पंचम माला, खंड 63, अंक 7, गुरुवार, 19 अगस्त, 1976/28 श्रावण, 1898 (शक)
Fifth Series, Vol. LXIII, No. 7, Thursday, August 19, 1976/Sravana 28, 1898 (Saka)

# लोक-सभा वाद-विवाद
# का
# संक्षिप्त अनूदित संस्करण

# SUMMARISED TRANSLATED VERSION
# OF
# LOK SABHA DEBATES

[सत्रहवां सत्र
Seventeenth Session]

5th Lok Sabha

[खंड 63 में अंक 1 से 10 तक हैं
Vol. LXIII contains Nos. 1 to 10]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : दो रुपये

*Price : Two Rupees*

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी हिंदी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है।

This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translations of speeches etc. in English/Hindi]

1—684LSS/76

# विषय सूची/CONTENTS

अंक 7, गुरुवार, 19 अगस्त, 1976/28 श्रावण, 1898 (शक)

*No. 7, Thursday, August 19, 1976/Sravana 28, 1898 (Saka)*


| विषय | SUBJECT | पृष्ठ PAGES |
|---|---|---|
| **प्रश्नों के मौखिक उत्तर** | ORAL ANSWERS TO QUESTIONS | |
| *तारांकित प्रश्न संख्या 122, 123, 128, 130, 131, 134 और 135 | *Starred Questions Nos. 122, 123, 128, 130, 131, 134 and 135 . . | 1-10 |
| **प्रश्नों के लिखित उत्तर** | WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS | |
| तारांकित प्रश्न संख्या 121, 124 से 127, 129, 132, 133 और 136 से 140 | Starred Questions Nos. 121, 124 to 127, 129, 132, 133 and 136 to 140 | 11-15 |
| अतारांकित प्रश्न संख्या 954 से 965, 967 से 978, 980 से 1048 और 1050 से 1061 | Unstarred Questions Nos. 954 to 965, 967 to 978, 980 to 1048 and 1050 to 1061. . . . . . . | 15-58 |
| आलाम्पिक में भारतीय हाकी दल के प्रदर्शन के बारे में वक्तव्य । | Re. Statement of performance of India's Hockey Team in Olympics. | 58 |
| **सभा पटल पर रखे गये पत्र** | Papers laid on the Table . . | 59-60 |
| राज्य सभा से संदेश | Message from Rajya Sabha . | 60 |
| पुरावशेष तथा बहुमूल्य कलाकृति (संशोधन) विधेयक राज्य सभा द्वारा पारित रूप में | Antiquities and Art Treasures (Amendment) Bill as passed by Rajya Sabha | 60 |
| अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना | Calling Attention to matter of Urgent public importance | |
| विभिन्न राज्यों में सूखे की स्थिति | Drought situation in various States . . . . . . | 60-63 |
| श्री एम० कतामुतु | Shri M. Kathamuthu | 60-61 |
| श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे | Shri Annasahib P. Shinde | 62-63 |
| कार्य मंत्रणा समिति | Business Advisory Committee | |
| 63वां प्रतिवेदन | Sixty-third Report | 63 |
| विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण (दूसरा संशोधन) विधेयक | Conservation of Foreign Exchange and prevention of Smuggling Activities (Second Amendment) Bill . . . . . . | 64 |
| विचार करने का प्रस्ताव | Motion to consider | |
| श्री के० लकप्पा | Shri K. Lakkappa | 64-65 |
| श्री एम० राम गोपाल रेड्डी | Shri M. Ram Gopal Reddy | 65 |
| श्री प्रणव कुमार मुखर्जी | Shri Pranab Kumar Mukherjee | 65-66 |
| खण्ड 2 से 4 और 1 | Clauses 2 to 4 and 1 | 66 |
| पारित करने का प्रस्ताव | Motion to pass | |
| श्री प्रणव कुमार मुखर्जी | Shri Pranab Kumar Mukherjee . . . . . . | 66-67 |


किसी नाम पर अंकित यह † इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

The sign † marked above the name of a Member indicated that the question was actually asked in the floor of the house by him.

| विषय | SUBJECT | पृष्ठ PAGES |
|---|---|---|
| इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी (शेयरों का अर्जन) विधेयक | Indian Iron and Steel Company (Acquisition of Shares) Bill . | 68—76 |
| विचार करने का प्रस्ताव | Motion to Consider | |
| श्री चन्द्रजीत यादव | Shri Chandrajit Yadav | 68—69 |
| श्री दीनेन भट्टाचार्य | Shri Dinen Bhattacharyya | 69—70 |
| सरदार स्वर्ण सिंह सोखी | Sardar Swaran Singh Sokhi | 70 |
| श्री इन्द्रजीत गुप्त | Shri Inderajit Gupta | 70—71 |
| श्री मूल चन्द डागा | Shri M. C. Daga | 71 |
| श्री बी० आर० शुक्ल | Shri B. R. Shukla | 71—72 |
| श्री वाई० एस० महाजन | Shri Y. S. Mahajan | 72 |
| श्री हरी सिंह | Shri Hari Singh | 72—73 |
| श्री चपलेन्दु भट्टाचार्य | Shri Chapalendu Bhattacharyyia | 73 |
| श्री बी० वी० नायक | Shri B. V. Naik | 73 |
| श्री प्रिय रंजन दास मुंशी | Shri Priya Ranjan Das Munshi | 73—74 |
| श्री श्साम सुन्दर महापात्र | Shri Shyam Sunder Mohapatra | 74 |
| खण्ड 2 से 18 और 1 | Clauses 2 to 18 and 1— | |
| पारित करने का प्रस्ताव | Motion to Pass— | |
| श्री चन्द्रजीत यादव | Shri Chandrajit Yadav . . | 74—76 |
| अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य), 1976-77 | Supplementary Demands for Grants (General), 1976-77 | 76—79 |
| श्री बीरेन दत्त | Shri Biren Dutta | 76 |
| श्री एस० एम० बनर्जी | Shri S. M. Banerjee | 76—77 |
| श्री डी० एन० तिवारी | Shri D. N. Tiwary | 76—78 |
| सरदार स्वर्ण सिंह सोखी | Sardar Swaran Singh Sokhi | 78 |
| श्री हरी सिंह | Shri Hari Singh | 79 |
| श्री आर० एस० पांडेय | Shri R. S. Pandey | 79 |

# लोक सभा

# LOK SABHA

**गुरुवार, 19 अगस्त, 1976/28 श्रावण, 1898 (शक)**
*Thursday, August* 19, 1976/*Sravana* 28, 1898 (*Saka*)

**लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई**
*The Lok Sabha met at Eleven of the Clock*

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. SPEAKER *in the Chair*]

## प्रश्नों के मौखिक उत्तर
## ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

**हाई कार्बन फेरो-क्रोम संयंत्र**

*122. **श्री जगन्नाथ मिश्र : क्या इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार शीघ्र ही एक हाई कार्बन फेरो-क्रोम संयंत्र स्थापित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

**इस्पात और खान मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद)** : (क) और (ख) उड़ीसा के क्रोमाइक अयस्क के चूरे पर आधारित एक हाई कार्बन फेरो-क्रोम संयंत्र लगाने का प्रस्ताव विचाराधीन है जिसकी वार्षिक क्षमता 50,000 टन होगी।

**श्री जगन्नाथ मिश्र** : क्या मैं जान सकता हूं कि 'स्टील एथारेटी आफ इण्डिया' ने अपनी तकनीकी आर्थिक व्यवहारिता के सम्बन्ध में रिपोर्ट दे दी है ? और क्या परियोजना को उड़ीसा सरकार के साथ संयुक्त उपक्रम के रूप में स्थापित किया जाएगा, और यदि हां, तो उनका कितना हिस्सा होगा ?

**इस्पात और खान मंत्री (श्री चन्द्रजीत यादव)** : 'मेकान' ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है तथा प्रतिवेदन की मुख्य बातें यह हैं कि या तो नया संयंत्र वर्तमान फेरो-क्रोम आई० डी० सी० ओ० जयपुर रोड के अहाते में स्थित हो और जिसकी क्षमता 10000 टन हो अथवा एक नए संयंत्र की स्थापना की जाए जो क्रोम ओर कि क्षेत्र में पलेट बनाने पर आधारित हो जिसमें बाद में पिघलाने का काम किया जाए। संयंत्र की क्षमता 50000 टन बताई गई है। तथा इस पर कुल लागत 10 करोड़ रुपए की अनुमानित की गई है। यह 1975 के मूल्य पर आधारित हैं। यदि इस में कुछ लागत भी बढ़ जाएगी।

**श्री जगन्नाथ मिश्र** : मैं जानना चाहता हूं कि देश में ऐसे कितने संयंत्र हैं, वे कहां पर स्थित हैं, उनकी उत्पादन क्षमता कितनी है तथा लागत कितनी आएगी।

**श्री चन्द्रजीत यादव** : ऐसे अधिक संयंत्र नहीं हैं। दो ही ऐसे संयंत्रों को लाइसेंस जारी किया गया है। एक औद्योगिक विकास निगम उड़ीसा का है जिसकी क्षमता 10000 टन है। दूसरा मैसर्ज फ्रेरो अलाए कार्पो-रेशन गौमदी आन्ध्र प्रदेश का है।

**श्री चिन्तमणी पाणिग्राही** : श्री मिश्र ने एक प्रश्न पूछा है जिसका उत्तर नहीं दिया गया है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि यह पूर्णतः भारत सरकार का संयंत्र होगा अथवा क्या इसे संयुक्त क्षेत्र में रखा जाएगा ? यदि हां, तो कौनसी फर्म सहयोग के लिए आगे आ रही है ? क्या मंत्री महोदय बताएंगे कि उड़ीसा में इस हाई कार्बन फैक्टरी की कब तक स्थापना हो जाएगी ?

**श्री चन्द्रजीत यादव** : इस समय यह बताना कठिन है, परन्तु योजना आयोग ने इस परियोजना को पांचवीं पंच वर्षीय योजना में सम्मिलित किया है तथा मगनेशी और क्रोमाइट भण्डारों की खोज के लिए 50 लाख रुपए की व्यवस्था भी की है। इस बारे में उड़ीसा के मुख्य मंत्री से बातचीत की गई है। अभिप्राय यह है कि उड़ीसा सरकार सहमत हो जाए तो इसे एस० ए० आई० एल० मैटर औद्योगिक विकास निगम उड़ीसा का संयुक्त उपक्रम बनाया जा सकता है। परन्तु यह सरकारी क्षेत्र में होगी।

**उड़ीसा में फेरो-वेनाडियम और निकल परियोजनाएं**

*123. **श्री अर्जुन सेठी : क्या इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा की फेरो-वेनोडियम परियोजना और निकल परियोजना अब चालू हो गई है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं।

**इस्पात और खान मंत्री (श्री चन्द्रजीत यादव)** : (क) जी, नहीं।

(ख) उड़ीसा में फेरो-वैनेडियम का एक कारखाना लगाने का प्रस्ताव भारत सरकार के विचाराधीन है।

जहां तक उड़ीसा में निकल परियोजना का सम्बंध है वाणिज्यिक संयंत्र के लिए विस्तृत इंजीनियरी कार्यों के लिए आवश्यक बेसिक पेरामीटर प्राप्त करने हेतु अयस्क के परीक्षण के लिए प्रायोगिक संयंत्र में परीक्षण किए जा रहे हैं। इन परीक्षणों के आधार पर परामर्शदाताओं ने इन कार्यों की पूर्ति के लिए लागत के संशोधित अनुमान तथा समय-अनुसूची सम्बन्धी प्रस्ताव प्रस्तुत कर दिए हैं। सरकार इन प्रस्तावों पर विचार कर रही हैं।

**श्री अर्जुन सेठी** : हमें सदन में बार बार बताया गया है कि उड़ीसा में परियोजना की स्थापना योजना आयोग ने स्वीकार कर ली है। क्या मंत्री महोदय बताएंगे कि परियोजना को शीघ्र चालू करने में सरकार को क्या कठिनाइयां हो रही हैं। मेरे प्रश्न के दूसरे भाग के उत्तर में मंत्री महोदय ने निकल परियोजना के बारे में बताया है कि "इन परीक्षणों के आधार पर परामर्शदाताओं ने इन कार्यों की पूर्ति के लिए लागत के संशोधित अनुमानतः समय-अनुसूची सम्बन्धी प्रस्ताव प्रस्तुत कर दिए हैं।" निकल परियोजना पर जिसे चिरकाल से विलम्बित किया गया है कितनी अनुमानित लागत आएगी?

**श्री चन्द्रजीत यादव** : फेरो संयंत्र के बारे में दिए गए आश्वासन की मुझे जानकारी नहीं है। संयंत्र की स्थापना उड़ीसा में की जाएगी। प्रस्ताव विचाराधीन हैं। यह एक विशिष्ट प्रकार का संयंत्र है तथा सिद्धान्त रूप से इसकी स्थापना का निर्णय ले लिया गया है। दो प्रस्ताव विचाराधीन हैं। एक तो उड़ीसा के मैसर्ज विश्वेश्वरेय्या स्टील प्लांट का है। इन प्रस्तावों के गुण दोषों का अध्ययन किया जा रहा है। एस० ए० आई० एल० ने सरकार से सिफारिश की है कि इस संयंत्र को स्थापित करें तथा उसके लिए धन उपलब्ध किया जाए। मुख्य कठिनाई यह है कि हमारे संसाधनों पर रुकावटें हैं। जहां तक निकल संयंत्र की स्थापना का प्रश्न है, प्राथमिक परीक्षणों के लिए अग्रणी मार्गदर्शी संयंत्र की स्थापना की गई थी परन्तु उसमें कुछ कठिनाइयां समक्ष आई। अब राष्ट्रीय खनिज विकास निगम ने प्रस्ताव में संशोधन कर दिया है। इसमें कुछ उपकरणों का सामांजस्य अपेक्षित है। जब मार्गदर्शी संयंत्र के जांच परिणाम समक्ष आएंगे तब हम निकल संयंत्र पर निर्णय लेंगे।

**श्री अर्जुन सेठी** : क्या यह सच है कि योजना आयोग ने उड़ीसा राज्य के लिए इस परियोजना को स्वीकृत किया है।

दूसरे मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि कुछ स्थानीय दैनिक समाचारपत्रों में प्रकाशित इस समाचार के बारे में उनकी क्या प्रतिक्रिया है कि देशी तकनीक उपलब्ध न होने के कारण इस फैरो बनाडियम परियोजना को उड़ीसा राज्य में मयूरभंज से हटाकर मैसूर राज्य में ले जाया जा रहा है? यदि ऐसा नहीं है, तो क्या मंत्री महोदय हमें आश्वासन देंगे कि उड़ीसा सरकार की सिफारिश को ध्यान में रखते हुए यह परियोजना उड़ीसा राज्य में मयूरभंज में स्थापित की जाएगी? भारत सरकार मैसूर में एक दूसरी परियोजना स्थापित कर सकती है।

**श्री चन्द्रजीत यादव** : इस प्रश्न पर विचार करना होगा कि क्या हम वास्तव में दो संयंत्र या केवल एक संयंत्र स्थापित कर सकते हैं। जैसा कि मैंने कहा है कि योजना आयोग यह भी चाहता है कि हमें संयंत्र की

तकनीकी एवं आर्थिक व्यावहारिता पर विचार करना चाहिए। जांच के पूरा होने के बाद ही कोई निर्णय लिया जा सकता है। इस समय मैं यह आश्वासन नहीं दे सकता कि यह कहां स्थापित किया जाएगा।

**श्री अर्जुन सेठी :** उन्होंने मेरे मूल प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है कि क्या योजना आयोग ने इस परियोजना को उड़ीसा के लिए स्वीकृत किया है या नहीं?

**श्री चन्द्रजीत यादव :** दोनों प्रस्तावों पर विचार किया जा रहा है। योजना आयोग ने किसी राज्य विशेष के लिए परियोजना को स्वीकृत नहीं किया है।

**श्री बी० वी० नायक :** जैसा कि हमें पता चला है कि भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड ने सभी तर्क संगत कारणों से फैरो-वनाडियम परियोजना को मैसूर राज्य में भद्रावती में स्थापित करने की सिफारिश की है। विश्वरैया स्टील मिल फैरो वनाडियम परियोजना को अपने हाथों में लेने का विचार कर रही है जहां बहुत ऊंचे विशेषज्ञ हैं। तथापि, यह भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड का अभिन्न नहीं बना है। यदि ऐसा है तो प्राधिकरण ने भद्रावती आयरन एण्ड स्टील मिल को अपने हाथों में क्यों नहीं लिया और फैरो वनाडियम परियोजना के बारे में लिया गया निर्णय तथा तत्संबंधी निर्णय लेना माननीय मंत्री पर निर्भर करता है।

**श्री चन्द्रजीत यादव :** सरकार या सम्बन्धित प्राधिकार का मुख्य काम संयंत्र की तकनीकी-एवं-आर्थिक व्यावहारिकता, स्थान और उपलब्ध संसाधनों पर विचार करना होता है। इन सभी बातों पर विचार किया जाता है। चूंकि यहां पर दो प्रस्ताव हैं, अतः भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड के अनुसन्धान और विकास सेक्शन को प्रतिवेदन देने के लिए कहा गया है। वे गहराई से इस पर विचार करेंगे और दोनों प्रस्तावों के फायदों तथा नुक्सान की तुलना करेंगे। उसके बाद एक निर्णय लिया जायेगा जो देश के हित में होगा।

## राष्ट्रीय परमिट योजना

*128. **श्री एम० कतामुत्तु :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जून, 1976 के अन्त तक दिल्ली परिवहन प्राधिकरण द्वारा कितने राष्ट्रीय परमिट दिए गए हैं ;

(ख) क्या कुछ राष्ट्रीय परमिट कतिपय नियमों का उल्लंघन करते हुए दिये गये है ; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

**नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दलबीर सिंह) :** (क) 150।

(ख) जी, हां।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

**श्री एम० कतामुतु :** मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि दिल्ली परिवहन प्राधिकरण को राष्ट्रीय परमिटों के लिए कितने आवेदन प्राप्त हुए और क्या परमिट उनके क्रमानुसार आधार पर जारी किए गए हैं ?

**श्री दलबीर सिंह :** इन सभी श्रेणियों से प्राप्त आवेदनों की संख्या 877 है। इनमें से इन सभी श्रेणियों से चुने गए 183 आवेदनों में से 150 परमिट वास्तव में जारी किए गए हैं।

## रोहे रोग से पीड़ित लोग

*130. **श्री आर० के० सिन्हा :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में रोहे रोग से अनुमानतः कितने लोग पीड़ित हैं ;

(ख) राष्ट्रीय रोहे रोग नियंत्रण कार्यक्रम पर अब तक कुल कितनी राशि खर्च की गई है और उसमें कितनी सफलता मिली है; और

(ग) रोहे रोग की रोकथाम और उपचार के लिए अन्य क्या कार्यवाही की जा रही है ?

**स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक)** : (क) हाल में कोई सर्वेक्षण तो नहीं किया गया है, परन्तु भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् ने 1959-1963 में जो अध्ययन किए थे उनके अनुसार देश में 33.55 प्रतिशत लोग रोहे से पीड़ित हैं।

(ख) मार्च, 1976 के अंत तक 273.22 लाख रुपए खर्च किए जा चुके हैं और देश में रोहे संक्रमण से पीड़ित 29 करोड़ 66 लाख 30 हजार व्यक्तियों में से 27 करोड़ 32 लाख 20 हजार व्यक्तियों को राष्ट्रीय रोहे नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत लाया गया है।

(ग) हाल ही में देश में लोगों को आंखों के इलाज की व्यापक सुविधाएं देने के लिए तैयार की गई दृष्टि विकार और अंधपन के निवारण की राष्ट्रीय योजना के एक अभिन्न अंग के रूप में राष्ट्रीय रोहे नियंत्रण कार्यक्रम को निरंतर चलाया जाता रहेगा।

**श्री आर० के० सिन्हा** : मंत्री महोदय ने अपने उत्तर के (ख) भाग में व्यय किए गए धन का ब्यौरा दिया है, जो रोहे रोग से पीड़ित जनसंख्या पर प्रति व्यक्ति एक रुपया फैलता है। मैं समझता हूं कि यह पर्याप्त नहीं है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने अपने 1975-76 के प्रतिवेदन में कहा है कि रोहों का रोग अज्ञान के कारण होता है। इसके लिए भारी जन सभाएं और सामूहिक चर्चाएं की जानी चाहिए। वर्ष 1976-77 में 600 ब्लाकों में 5.13 लाख रुपए का नया कार्यक्रम शुरू किया है। इसमें तथा मंत्री महोदय के वक्तव्य में अंतर है। मैं समझता हूं कि भारत में अंधता का रोग वैसा ही भयानक है जैसा चेचक आदि अन्य कोई रोग हैं। मुझे पता चला है कि स्वास्थ्य मंत्रालय योजना आयोग तथा वित्त मंत्रालय से एक बड़ा कार्यक्रम शुरू करना चाहती है जिसमें विश्व स्वास्थ्य संगठन अथवा अन्य किसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन की सहायता प्राप्त हो। अंधता की उपेक्षा नहीं की जा सकती क्योंकि भारत में प्रति तीसरा व्यक्ति उससे प्रभावित है। इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि अंधता रोकने के लिए कौनसी योजनाएं अंधता की रोकथाम की शिक्षा देने के लिए शुरू की गई हैं अथवा देश में व्यापक रूप से रोहे रोग को रोकने के लिए कोई व्यापक कार्यक्रम है।

**श्री ए० के० एम० इसहाक** : माननीय सदस्य ने रोहे रोग के बारे में ठीक ही चिन्ता व्यक्त की है। रोहों का रोग सदा से रहा है, तथा 29.6 करोड़ लोगों को उसकी जोखम बनी रहती है, तथा देश की कुल अंधता का 5 प्रतिशत रोहों के कारण ही पैदा है। अतएव यह योजना, जो अग्रणी योजना के रूप में 1956 में प्रारम्भ की गई थी को 1963 में राष्ट्रीय रूप दिया गया तथा 1975 में उसे देश के अंधता निवारण कार्यक्रम में सम्मिलित किया गया है। इस कार्यक्रम का नाम जैसा कि मैंने पहले ही बताया है, दृष्टि विकास तथा अंधता निवारण के लिए राष्ट्रीय योजना के साथ समेकित किया गया है। यदि इस योजना पर बहुत अधिक धन का व्यय नहीं किया गया तो इसका कारण यही है कि इसके लिए पृथक संगठनों की स्थापना नहीं हुई थी परन्तु देश में उपलब्ध सामान्य संरचना को उपयोग में लाया गया है अतएव व्यय अधिकतः औषधियों के वितरण तथा अनपढ़ लोगों में स्वास्थ्य संबंधी शिक्षा देने पर हुआ। इसी कारण से व्यय अधिक नहीं हुआ, जैसा कि माननीय सदस्य ने बताया है अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र से सहायता प्राप्त हो रही है। 1963 की परिस्थिति में तथा आज की स्थिति में बहुत अन्तर आ गया है; इसमें दिन प्रति दिन सुधार आ रहा है।

**श्री आर० के० सिन्हा** : मंत्री महोदय ने चतुराई से विशेष ब्यौरा देना टाल दिया है। मैं बताना चाहता हूं कि अखिल भारतीय चिकित्सा संस्थान की देश में अंधता रोकने की योजना थी, वे अपनी परियोजना पर योजना आयोग तथा वित्त मंत्रालय से विचार कर रहे थे जिसमें 90 प्रतिशत सहायता विदेशों से आनी थी। मुझे पता चला है कि राष्ट्रमंडल अंधता निवारण संगठन ने मथुरा में प्रयोग किया है......

**अध्यक्ष महोदय** : मैं समझता हूं कि सदस्य महोदय जानकारी देकर मंत्री का कर्त्तव्य निभा रहे हैं।

**श्री आर० के० सिन्हा** : राष्ट्र मंडलीय अंधता निवारण संघ ने मथुरा में रोहों की रोकथाम पर प्रयोग किया है और यह पाया गया है कि यदि बच्चों को गाजर, गुड़, तथा मूंगफली और चने दिए जाएं तो अंधता तथा रोहों को रोका जा सकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने आंखों के स्वास्थ्य के बारे में एक पुस्तिका में कहा है......

**अध्यक्ष महोदय** : आप जानकारी दे रहे हैं। आप जा कर उन्हें पढ़ा सकते हैं।

**श्री आर० के० सिन्हा :** वह मेरे बहुत विद्वान साथी हैं। मैं उन्हें पढ़ा नहीं सकता। विश्व स्वास्थ्य संगठन के विवरण में कहा गया है कि निवारण योग्य अंधता का एक कारण रोहे हैं, जिनका ऐंटीबायटिक्स प्रयोगों से, आंखों के रोगों की शल्य-चिकित्सा, सामाजिक आर्थिक वातावरण से पता लगाया जा सकता है। रोहे न केवल 5 प्रतिशत अंधता के लिए उत्तरदायी हैं, अपितु रोहों से अंधा कर देने वाली खराबियां और संक्रामक नेत्र रोग हो जाते हैं। मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय देश में इस रोग के प्रति जागरूक रहें।

**श्री ए० के० एम० इसहाक :** मैं रोग के प्रति सजग हूं। विश्व स्वास्थ्य संगठन, राष्ट्रमंडलीय संगठन तथा कुछ अन्य संस्थाएं भी इस कार्य में लगी हैं : यू०एन० डी० पी०, एस० आई० डी० ए०, ए० एन० आई० डी० ए०, ओ० के० एफ० ए० एम०, कैथोलिक गिल्ड, लाउन इन्टरनेशनल और रोटेरीयन आदि संस्थाएं इस कार्य में रत हैं। परन्तु सहायता की मात्रा बहुत बड़ी नहीं है। मैं सभा को बताना चाहता हूं कि स्थिति में सुधार हुआ है। 1960 में रोहों के कारण भर्त्ती में 23 प्रतिशत को अस्वीकार कर दिया जाता था। 1969 में यह दर 6 प्रतिशत ही रह गई, जो और घटती जा रही है। स्थिति अब नियंत्रण में है। स्थिति भली प्रकार काबू में है।

**Shri Narsingh Narain Pandey :** A large number of trachoma cases are in backward regions, especially in U. P and North Bihar, where Adivasis live. It is because there is no arrangement for nourishing diet. The hon. Minister should take steps to check this disease and also take help from World Health Organisation.

**श्री ए० के० एम० इसहाक :** जीवन-स्तर तथा जलवायु से इसका सम्बन्ध है। पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरयाणा राज्यों में यह रोग अधिक है। ग्रामीण क्षेत्रों को नियंत्रण में लाया जा रहा है। स्वास्थ शिक्षा इस योजना का मुख्य भाग है। स्वास्थ शिक्षा में विस्तार के साथ-साथ इस पर नियंत्रण किया जा रहा है।

**Shri R. P. Yadav :** The hon. Minister in his reply has stated on the one hand the reasons for blindness while on the other, he has stated that it has not been surveyed but that it's impact is 5 percent. May I know he has arrived at this conclusion ? Does he feel that it is essential for the Government to conduct a survey and to form a committee for this ?

**श्री ए० के० एम० इसहाक :** इसके लिए विशेषज्ञ समिति स्थापित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। परन्तु यह नए अनुसन्धान केन्द्र इन समस्याओं पर ध्यान दे रहे हैं। यद्यपि कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया, तथापि हम रोग की विद्यमानता के बारे जानकारी एकत्र करते हैं।

**श्रीमती एम० गोडफ्रे :** मैं मंत्री महोदय से जानना चाहती हूं कि क्या रोहे संक्रामक रोग हैं? यदि यह कुपोषण के कारण हैं तो सरकार इस पर नियंत्रण रखने तथा रोग के उन्मूलन के लिए क्या कार्रवाई कर रही है ?

**श्री ए० के० एम० इसहाक :** इसका कुपोषण के साथ सम्बन्ध है। पोषाहार कार्यक्रम के अन्तर्गत स्कूली बच्चों को पोषाहार की दृष्टि से भोजन दिया जा रहा है।

**Shri R. C. Vikal :** Whether the hon. Minister contemplates some scheme to find out a cure of trachoma and other eye ailments through nature cure ? If so, when and if not the reasons therefor ?

**श्री ए० के० एम० इसहाक :** जिस स्वास्थ्य शिक्षा का हम प्रसार कर रहे उससे इस रोग का पता लगाने में बहुत सहायता मिलेगी और यह स्वाभाविक ही है।

**श्री के० राम गोपाल रेड्डी :** 60 करोड़ जनसंख्या वाला हमारा देश एक विशाल देश है और मंत्री महोदय यहां सर्वेक्षण किस प्रकार कराएंगे तथा किस प्रकार इस बात का निर्णय करेंगे कि अमुक रोगी रोहे के रोग से ग्रस्त है। यह एक ऐसी बीमारी है जिसका आम आदमी पता नहीं लगा सकता। मंत्री महोदय किस प्रकार अर्थात् किस पद्धति द्वारा इस रोग के बारे में सही जानकारी प्राप्त करेंगे।

**श्री ए० के० एम० इसहाक :** सर्वेक्षण के बिना भी हमें आंकड़े प्राप्त हो सकते हैं क्योंकि देश में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के रूप में हमारा आधारभूत ढांचा तो बना ही हुआ है।

**बड़े-बड़े पत्तनों में स्थायीकरण योजनाओं का पुनर्विलोकन करने संबंधी समिति का प्रतिवेदन**

*131. **श्री दीनेन भट्टाचार्य :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को बड़े बड़े पत्तनों में स्थायीकरण योजनाओं तथा संबंधित मामलों के पुनर्विलोकन के बारे में गठित समिति का प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो समिति की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) इन पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

**नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० एम० द्विवेदी) :** (क) जी, हां।

(ख) रिपोर्ट की प्रतियां संसद पुस्तकालय में रखी गई हैं।

(ग) रिपोर्ट सरकार के विचाराधीन है।

**श्री दीनेन भट्टाचार्य :** अध्यक्ष महोदय मुझे प्रतिवेदन पढ़ने का समय नहीं मिला क्योंकि मुझे इस बात की जानकारी नहीं थी कि समीक्षा समिति का प्रतिवेदन संसद के ग्रंथालय में पड़ा है। यद्यपि यह प्रतिवेदन काफी समय पहले से आया हुआ है फिर भी सभी मुख्य पत्तनों के नैमित्तिक श्रमिकों, विशेषकर कलकत्ता के श्रमिकों को वह सब लाभ नहीं प्राप्त हो रहे हैं जोकि स्थायी कर्मचारियों को प्राप्त हो रहे हैं। यदि यह सही है तो इस अवस्था में जबकि सरकार प्रतिवेदन पर अंतिम रूप से विचार कर रही है, क्या वह नैमित्तिक कर्मचारियों को भी अन्य कर्मचारियों को मिलने वाले न्यूनतम लाभों को उपलब्ध कराएगी।

**श्री एच० एम० द्विवेदी :** माननीय सदस्य कर्मचारियों की किस श्रेणी के बारे में उल्लेख कर रहे हैं मैं समझ नहीं पाया। जहां तक कलकत्ता पत्तन के गोदी कर्मचारियों के रोजगार और वेतन संबंधी शर्तों का प्रश्न है वह एक समिति द्वारा किए गए सर्वेक्षण पर आधारित है और अभी भी वहां न्यायाधीश लोकुर की अध्यक्षता में एक समिति कार्य कर रही है जोकि इस विषय पर और सिफारिशें करेगी।

**श्री दीनेन भट्टाचार्य :** कलकत्ता पत्तन में कुल कर्मचारियों में से कितने प्रतिशत कर्मचारी नैमित्तिक कर्मचारी के रूप में कार्य कर रहे हैं। मंत्री महोदय के उत्तर से ऐसा प्रतीत होता है कि उन्हें सभी सुविधाएं प्राप्त हो रही हैं मैं यह जानना चाहता हूं कि नैमित्तिक कर्मचारियों के मामले में अभी और कौनसी सुविधाएं दी जानी हैं। पहला प्रश्न मेरा प्रतिशतता के बारे में है।

**श्री एच० एम० त्रिवेदी :** वास्तव में यह प्रश्न चैटर्जी समिति के प्रतिवेदन से नहीं उठता लेकिन यदि आप नैमित्तिक कर्मचारियों को सही प्रतिशतता के बारे में जानना चाहते हैं तो इसके लिए मुझे पूर्व सूचना दी जाए।

**श्री प्रिय रंजन दास मुंशी :** मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या पांचवें दशक के अन्त से कलकत्ता पत्तन में पत्तन पर काम करने के लिए जितने कर्मचारियों की आवश्यकता है उतने कर्मचारी न रखकर उसी काम के लिए नैमत्तिक कर्मचारियों की नियुक्ति करने की प्रथा बनी हुई है। यह प्रथा आज तक जारी है परिणामस्वरूप जितने भी कर्मचारी पांचवें दशक के अन्त से कार्य कर रहे हैं वह अब तक नैमित्तिक कर्मचारी बने हुए हैं और कुछ मामलों में जबकि कर्मचारी कानूनी रूप से स्थायी कर्मचारी बनने के हकदार होने लगते हैं तो पत्तन के प्राधिकारी निर्धारित तिथि से पांच दस दिन पहले उन्हें निकाल बाहर करते हैं क्या मंत्री महोदय को कलकत्ता पत्तन पर चल रही ऐसी कुछ प्रथा के बारे में पता चला है और यदि हां तो इस प्रथा को समाप्त करने के लिए वह क्या उपाय करने जा रहे हैं।

**श्री एच० एम० त्रिवेदी :** मेरे विचार में यह प्रश्न संगत नहीं है।

**अध्यक्ष महोदय :** आपके पास जानकारी है अथवा नहीं। यह प्रश्न संगत है अथवा नहीं इसका निर्णय अध्यक्षपीठ द्वारा किया जाएगा नाकि मंत्री महोदय द्वारा।

**श्री एच० एम० त्रिवेदी :** जहां तक गोदी श्रमिक बोर्ड का सम्बन्ध है, श्रमिकों के पूल का पंजीकरण गोदी श्रमिक बोर्ड के पास किया गया है। जहां तक गोदी श्रमिकों के सम्बन्ध है, स्थायी श्रमिक पहले ही पत्तन पर कार्य कर रहे हैं। पत्तन पर कुछ नैमित्तिक श्रमिक भी हैं जो आकस्मिक श्रम कार्य करते हैं। पत्तन में ऐसी परम्परा विद्यमान नहीं है जिसका माननीय सदस्य सुझाव दे रहे हैं। वस्तुतः पत्तन पर जो नैमित्तिक श्रमिक हैं, वे आकस्मिक कार्य करते हैं और जब वह काम समाप्त हो जाता है, वे चल जाते हैं।

**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : माननीय मंत्री के कथन से मैं यह समझ पाया हूं कि चटर्जी समिति की विचाराधीन सिफारिशों पर अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

क्या यह सच है कि समिति का एक निष्कर्ष यह भी था कि कलकत्ता पत्तन पर काफी अतिरिक्त श्रमिक हैं और क्या ऐसे श्रमिकों की संख्या को घटाने के साधन खोजे जाएंगे? यदि ऐसा है और मामला अभी भी विचाराधीन है, तो कलकत्ता गोदी श्रमिक बोर्ड ने यह घोषणा क्यों नहीं की कि वहां 5,000 अतिरिक्त श्रमिक हैं तथा अनिवार्य सेवा-निवृत्ति योजना शुरू की जाने वाली है ताकि ये 5,000 लोगों से छुटकारा पाया जा सके? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या पूरा प्रतिवेदन अभी भी विचाराधीन है और क्या कलकत्ता गोदी श्रमिक बोर्ड का निर्णय तब तक विचाराधीन रखा जाएगा जब तक 5,000 अतिरिक्त श्रमिकों की प्रस्तावित छंटनी के बारे में अन्तिम निर्णय नहीं ले लिया जाता?

**श्री एच० एम० त्रिवेदी** : चटर्जी समिति ने यह सुझाव एवं सिफारिश नहीं की थी कि कलकत्ता एवं अन्य पत्तनों पर आवश्यक कार्य पूरा करने के लिए श्रमिकों की अपेक्षित संख्या का अनुमान लगाया जाए तथा अतिरिक्त श्रमिकों की छंटनी के लिए कोई योजना बनाई जाए।

जहां तक कलकत्ता पत्तन का प्रश्न है, कलकत्ता गोदी श्रमिक बोर्ड सांविधिक स्थायीकरण योजना के अन्तर्गत कार्य करता है और यह योजना कई वर्षों से चली आ रही है। इस सांविधिक योजना में पतन पर माल के उतार चढ़ाव के लिए अपेक्षित श्रमिकों का समय समय पर अनुमान लगाने की व्यवस्था है। कुछ वर्षों तक यह अनुमान नहीं लगाया जा सका परन्तु अब यह अनुमान लगाया गया है और इस अनुमान के अनुसरण में कलकत्ता गोदी श्रमिक बोर्ड का यह प्रस्ताव है कि 5,000 अतिरिक्त श्रमिकों को सेवा निवृत्त कर दिया जाए।

**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : मेरा प्रश्न यह है, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि कई वर्षों से अनुमान नहीं लगाया गया है तथा यह प्रतिवेदन अभी विचाराधीन है, क्या सरकार का अचानक लगाया गया यह अनुमान, कि 5000 कर्मचारी अतिरिक्त हैं, तब तक रोक कर रखा जाएगा जब तक पूरे प्रतिवेदन को अंतिम रूप नहीं दे दिया जाता तथा सरकार अन्तिम निर्णय नहीं कर लेती?

**श्री एच० एम० त्रिवेदी** : दो प्रश्न परस्पर सम्बन्धित नहीं हैं। चटर्जी समिति का प्रतिवेदन तथा सांविधिक स्थायीकरण योजना के अन्तर्गत कलकत्ता गोदी श्रमिक बोर्ड द्वारा अपेक्षित मजदूरों का अनुमान लगाना अलग अलग मामले हैं। आवधिक अनुमान बहुत पहले लगाया जाना चाहिए था परन्तु वस्तुतः यह अनुमान अब लगाया गया है। इस संदर्भ में प्रस्ताव गोदी श्रमिक बोर्ड के समक्ष रखा जा चुका है।

**अध्यक्ष महोदय** : क्या वर्तमान जांच या अनुमान का सम्बन्ध कलकत्ता से नहीं है?

**श्री एच० एम० त्रिवेदी** : इसका सम्बन्ध केवल कलकत्ता से नहीं बल्कि अन्य पत्तनों से भी है।

**अध्यक्ष महोदय** : मामले का सम्बन्ध विनिर्मैत्तिकरण से है अथवा नहीं?

**श्री एच० एम० त्रिवेदी** : जी, है।

**अध्यक्ष महोदय** : कलकत्ता भी उसमें शामिल है।

**श्री एच० एम० त्रिवेदी** : जी, हां।

**अध्यक्ष महोदय** : फिर आप कैसे कह सकते हैं कि दोनों प्रतिवेदन परस्पर सम्बन्धित नहीं हैं?

**श्री एच० एम० त्रिवेदी** : मैं यह अन्तर स्पष्ट करने का प्रयत्न कर रहा हूं कि चटर्जी प्रतिवेदन यह है कि पत्तनों पर माल उतारने-चढ़ाने के लिए श्रमिकों की अपेक्षित संख्या का अनुमान लगाया जाना चाहिए और अतिरिक्त श्रमिकों को सेवा-निवृत्त कर दिया जाए। माननीय सदस्य उस विशिष्ट प्रस्ताव का उल्लेख कर रहे हैं जो इस समय कलकत्ता पत्तन श्रमिक बोर्ड के विचाराधीन है। मैं यह बताने का प्रयत्न कर रहा हूं कि यह विशिष्ट प्रस्ताव सांविधिक स्थायीकरण योजना, जो लम्बे समय से चली आ रही है, के अन्तर्गत कलकत्ता पत्तन पर लगाए गए अनुमान के बाद किया गया है।

**(व्यवधान)**

**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : अन्तिम रूप देने से पूर्व ही इसे लागू कैसे किया जा सकता है।

**अध्यक्ष महोदय** : वरिष्ठ मंत्री इसका उत्तर देंगे ।

**नौवहन और परिवहन मंत्री (डा० जी० एस० ढिल्लों)** : आखिरकार यह मामला अतिरिक्त श्रमिकों से सम्बन्धित है चाहे इसका पता सांविधिक आंकड़ों से लगे या अन्य ढंग से। माननीय सदस्य को यह ध्यान में रखना चाहिए कि यदि अतिरिक्त श्रमिकों को सेवा-निवृत्त करने का निर्णय किया जाता है, तो इसके लिए तैयार रहना बेहतर होगा । जब चटर्जी समिति की सिफारिशें स्वीकार कर ली जाएंगी, तो हम उस मामले से निपटने के लिए तैयार रहेंगे। मेरे सहयोगी पहले ही बता चुके हैं कि अतिरिक्त श्रमिकों का अनुमान लगाने के लिए हमारे पास तंत्र है। मान लीजिए हमने अनुमान लगा लिया है और इसे स्वीकार कर लिया जाता है तो हम उन्हें सेवानिवृत्त करने में तनिक भी देर नहीं करेंगे।

**कर्मचारियों का प्रबन्ध में भाग लेना**

*134. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पश्चिम बंगाल में किए गए प्रतिदर्शी सवक्षण से यह पता लगा है कि केन्द्रीय सरकार के आधिपत्य वाले उद्योगों में से 10 प्रतिशत उद्योगों के भी प्रबन्ध में कर्मचारी भाग नहीं लेते; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**श्रम मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी)** : (क) और (ख) शायद माननीय सदस्य ने सरकार द्वारा 30 अक्तूबर, 1975 को घोषित उद्योग में कामगारों के भाग लेने की योजना के अनुसार शाप फ्लोर और प्लांट स्तर पर कामगरों के भाग लेने के संबंध में जिक्र किया है । उपरोक्त योजना के कार्यान्वियन के संबंध में सरकार को पश्चिम बंगाल में किए गए किसी भी नमूना सर्वेक्षण की जानकारी नहीं है। पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा किए गए इस सर्वेक्षण के संबंध में सूचना का, यदि कोई हो, पता लगाया जा रहा है। तथापि श्रम मंत्रालय में तत्काल उपलब्ध सूचना के अनुसार, पश्चिम बंगाल में स्थित केन्द्रीय सरकार के सरकारी क्षेत्र में 2 विभागीय उपक्रमों सहित 30 यूनिटों ने योजना को या तो कार्यान्वित किया या कार्यान्वयन के लिए कदम उठाए हैं।

**श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : हम यह प्रश्न आपात स्थिति शुरू होने के एक वर्ष बाद पूछ रहे हैं। अब भी सरकार यही कह रही है कि कर्मचारियों का प्रबन्ध में भाग लेने सम्बन्धी योजना का क्रियान्वयन कुछ मामलों में किया जा चुका है और कुछ मामलों में किया जा रहा है। इस संदर्भ में मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि जब यह योजना पेश की गई थी तो इस योजना के बारे में केन्द्रीय मजदूर संघों ने टिप्पणी की थी? फिर भी मैं समझता हूं कि उन्होंने यह स्वीकार किया था कि सरकार परीक्षणात्मक कार्य कर सकती है। क्या सरकार के विचार में पूरे मामले की समीक्षा करने का समय आ गया है ? यह योजना कहां तक सफल हुई है और क्या सरकार ने इसका अध्ययन करने के लिए प्रयत्न किए हैं?

**श्री रघुनाथ रेड्डी** : प्रश्न पश्चिमी बंगाल सरकार के सर्वेक्षण से सम्बन्धित है। जहां तक सर्वेक्षण का सम्बन्ध है, हमें किसी सर्वेक्षण की जानकारी नहीं है। हम पश्चिमी बंगाल सरकार से जानकारी प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहे हैं। जहां तक योजना के क्रियान्वयन का सम्बन्ध है, पश्चिमी बंगाल में 30 कारखानों ने या तो इसका क्रियान्वयन कर दिया है या करने में लगे हुए हैं। यह परिवर्तनशील योजना है और इसको प्रत्येक उद्योग की परिस्थितियों तथा स्थितियों को ध्यान में रखकर अपनाना होगा और योजना वहां लागू होगी जहां 50 से अधिक कर्मचारी हैं। अतः जहां तक पश्चिमी बंगाल में योजना के क्रियान्वयन का सम्बन्ध है, यह नहीं कहा जा सकता कि कार्य सही नहीं चल रहा।

वस्तुतः शाप फ्लोर तथा प्लांट स्तर पर कर्मचारियों द्वारा प्रबन्ध में भाग लेने को सुनिश्चित करने सम्बन्धी योजना अत्यन्त परिवर्तनशील है। इसको अपनाना प्रत्येक उद्योग की परिस्थितियों पर निर्भर करता है। कई ऐसे कारखाने भी हैं जहां 50 से भी कम कर्मचारी हैं लेकिन उन्होंने यह योजना अपनाई हुई है। विभिन्न राज्य सरकारों से सूचना प्राप्त होने के बाद हम पूरी योजना की समीक्षा करेंगे और यह देखेंगे कि यदि इस योजना में सुधार अपेक्षित है तो यह सुधार किस प्रकार किया जा सकता है।

**श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : इस लम्बे उत्तर से पता चलता है कि सरकार को स्वयं इस बात का स्पष्ट ज्ञान नहीं है कि देश में औद्योगिक सम्बन्धों का इस योजना पर क्या प्रभाव पड़ता है। योजना शुरू हुए एक वर्ष बीत गया है। क्या सरकार पूरी योजना की समीक्षा करेगी और केन्द्रीय मजदूर संघों से बातचीत करेगी। क्या सरकार बताएगी कि इसमें कितना समय लगेगा?

**श्री रघुनाथ रेड्डी** : जैसा कि मैंने कहा है, इसका बहुत प्रभाव हुआ है और सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में उत्पादन तथा उत्पादकता में बहुत वृद्धि हुई है। मानव दिनों की हानि कम होने से यह संभव हुआ है। यह योजना 30 अक्तूबर को घोषित की गई थी और अभी उसे एक वर्ष भी पूरा नहीं हुआ है। हम समय आने पर इसकी पुनरीक्षा करेंगे। उस समय देखा जायेगा कि क्या कतिपय कार्मिक संघों से भी परामर्श किया जा सकता है। निश्चय ही यह श्रमिक कल्याण योजना है और श्रमिक निःसन्देह अपनी भूमिका निभायेंगे।

**श्री प्रिय रंजन दास मुंशी** : प्रधानमंत्री के 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम में श्रमिकों की सहभागिता का उल्लेख है। आपात स्थिति घोषित होने के तुरंत बाद कुछ समान विचारों वाले कार्मिक संघों ने पश्चिम बंगाल में घोषणा की कि वे जयप्रकाश नारायण के आन्दोलन और अन्य राष्ट्रविरोधी गतिविधियों को पसन्द नहीं करते लेकिन फरक्का बांध, ग्रेशम और क्रेवन एंड जेसपस जैसे एककों में उनके इस प्रस्ताव को मान्यता नहीं दी? क्या सरकार के ध्यान में ऐसी शिकायतें आई हैं। क्या सरकार सारे मामले पर पुर्नविचार करेगी ताकि पश्चिम बंगाल में केन्द्रीय सरकार के एककों का स्वस्थ्य ढंग से विकास हो सके और प्रधान मंत्री, का 20 सूत्री कार्यक्रम सफल हो सके।

**श्री रघुनाथ रेड्डी** : महोदय राष्ट्रीय शीर्षस्थ निकाय की पहली या दूसरी बैठक में और संसद सदस्यों की परामर्शदात्री समिति की बैठक में मैंने यह बिल्कुल स्पष्ट कर दिया था कि जो कार्मिक संघ आपात स्थिति और प्रधान मंत्री के 20 सूत्री कार्यक्रम का समर्थन नहीं करते, उन्हें सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त निकायों में कोई स्थान नहीं दिया जाएगा। जहां तक 'शाप फ्लोर' स्तर पर और संयंत्र स्तर पर श्रमिकों की सहभागिता का प्रश्न है, किसी भी बाहरी व्यक्ति को शाप स्तरीय समिति का सदस्य नहीं बनाया जायेगा। संयंत्र में कार्य करने वाले ही सदस्य बन सकेंगे।

यह स्वाभाविक है कि श्रमिकों के सहयोग को देखकर ही प्रबन्धक कोई योजना तैयार करते हैं। सदस्य महोदय यदि चाहें तो अपना कोई सुझाव दे सकते हैं।

**Shri Ram Singh Bhai** : The Hon. Minister has said that production and productivity has increased because of worker's participation. But whether his attention has been drawn to the resentment among the workers because no steps have been taken to improve the working conditions and to provide other facilities ?

**श्री रघुनाथ रेड्डी** : मेरे विचार से तो सन्देह की कोई सम्भावना नहीं। लेकिन यदि उन्हें ध्यान है तो वह बता दें। श्रमिक सहभागिता का सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों पर बहुत अच्छा प्रभाव हुआ है और उत्पादन तथा उत्पादकता में काफी वृद्धि हुई है। सरकारी क्षेत्र में 15 से 17 प्रतिशत की वृद्धि काफी अच्छी कही जा सकती है। यदि कोई प्रोत्साहन दिया जाना हो तो मैं उस ओर ध्यान दूंगा।

**Shri Narsingh Narain Pandey** : Whether the Hon'ble Minister is aware that certain trade union organisations have not been allowed to participate in the management.

**Mr. Speaker** : You should not ask general questions. It is about West Bengal.

**श्री नरसिंह नारायण पाण्डे** : मैं प्रश्न पूछ रहा हूं पर मैं तो विशिष्ट जानकारी दे रहा हूं। कोई जानकारी हासिल नहीं करना चाहता।

**अध्यक्ष महोदय** : आप केन्द्रीय सरकार के एककों के बारे में प्रश्न न करें। पश्चिम बंगाल के संबंध में पूछिए।

**श्री नरसिंह नारायण पाण्डेय** : मैं वही प्रश्न कर रहा हूं। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि केन्द्रीय कार्मिक संघ संगठन विभिन्न एककों में शाप फ्लोर समितियां बनाने में उपयुक्त सहयोग नहीं देते। यदि ऐसा है तो वे संगठन कौन से हैं।

**श्री रघनाथ रेड्डी** : जहां तक श्रमिकों की सहभागिता का प्रश्न है, शाप फ्लोर और संयंत्र स्तर पर उन्हें सहभागी बनाया जाता है। लेकिन जब प्रबन्ध व्यवस्था के स्तर पर सहभागिता का प्रश्न सामने आयेगा तब

कार्मिक संघों का प्रश्न भी उठेगा। शाप फ्लोर स्तर पर सहभागिता के लिए संयंत्र में काम करने वाले श्रमिक ही अपना प्रतिनिधि निर्वाचित करेंगे या चुनेंगे। सरकार की विभिन्न समितियों में सहभागी बनाने के लिए ही केन्द्रीय कार्मिक संघों को मान्यता दी गई है। ये संघ हैं इण्डियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, आल इण्डिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस और हिन्द मजदूर सभा। सहयोग न दिए जाने का यदि कोई विशिष्ट मामला आप मेरे ध्यान में लाएं तो उस पर चर्चा की जा सकती है।

**Shri R. N. Sharma :** Sir, May I know the reasons for the ineffectiveness of this scheme in certain coal field of West Bengal ?

**श्री रघुनाथ रेड्डी :** इस बारे में मेरे पास विशिष्ट जानकारी नहीं है। मैं इस मामले की जांच करूंगा।

**सलाल पन-बिजली परियोजना पर भारत-पाक वार्ता**

*135. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया :** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चिनाब नदी पर भारत की सलाल पन बिजली परियोजना के बारे में भारत-पाकिस्तान के बीच तकनीकी चर्चा हाल ही में दिल्ली में पुनः हुई थी; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या प्रगति हुई है?

**विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बिपिन पाल दास) :** (क) और (ख) इस मसले पर विचार-विमर्श करने के लिए स्थायी सिंधु आयोग की बैठकें हुई थीं, पहले 28 मार्च से 2 अप्रैल 1976 तक इस्लामाबाद में और फिर 26 से 30 अप्रैल 1976 तक नई दिल्ली में। स्थायी सिंधु आयोग स्तर पर चूंकि कुछ मुद्दे अन-सुलझे रह गए हैं इसलिए दोनों सरकारों के बीच द्विपक्षीय वार्ता के माध्यम से इन्हें सुलझाने के प्रयास किए जा रहे हैं?

**श्री रघुनन्दन लाल भाटिया :** महोदय, सिंधु जल सन्धि पर कुछ समय पूर्व हस्ताक्षर किए गए थे और उस सन्धि के अनुसार भारत चिना नदी पर सलाल परियोजना का निर्माण कर सकता है। दोनों देशों की सरकारों के बीच चार बैठकें हो चुकी हैं लेकिन यह बात अभी तक नहीं सुलझ सकी है। यदि भारत यह परियोजना का कार्य आरम्भ करता है तो पाकिस्तान को क्या-क्या आपत्तियां हैं?

**श्री बिपिनपाल दास :** महोदय, यह बात ठीक है कि समझौता नहीं हो सका है। खेद है कि वार्ता के इस स्तर पर मैं विवरण नहीं दे सकता।

**श्री रघुनन्दन लाल भाटिया :** मैं जानना चाहता हूं कि भारत द्वारा सलाल परियोजना का तैयार किया गया रूपांकन क्या सिन्धु जल सन्धि के अनुरूप है?

**श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे :** महोदय, सलाल पन बिजली योजना सहित इन सभी समस्याओं का हल तभी निकल सकता है जब भारत-पाकिस्तान के बीच सद्भावना और सूझ-बूझ का वातावरण उत्पन्न हो सके। इस प्रयोजन का क्या कार्यकुशल और खुशमिजाज संसद सदस्यों का एक दल भेजे जाने पर विचार किया जा सकता है।

**अध्यक्ष महोदय :** आप अध्यक्ष को अपना सुझाव भेज सकते हैं।

**श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे :** चूंकि मैंने कार्यकुशल और खुशमिजाज संसद सदस्यों की बात कही है अतः मुझे डर है कि मंत्रीमण्डल के सभी सदस्य दल में जाने को तैयार हो जाएंगे। हमें पाकिस्तान के भी एक दल को आमंत्रित करना चाहिए और एक दल अपना भेजना चाहिए।

**श्री बिपिनपाल दास :** ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

**श्री पी० वेंकटासुब्बैया :** मैं जानना चाहता हूं कि सिन्धु जल सन्धि के अनुसार क्या हम सलाल पन बिजली परियोजना कर सकते हैं और क्या पाकिस्तान को यह भय है कि उनका एक बड़ा भाग पानी में डूब जाएगा। क्या यही झगड़े की जड़ है?

**श्री बिपिनपाल दास :** मैं पहले ही कह चुका हूं कि इस स्तर पर विवरण नहीं दिया जा सकता। मैं केवल यह बात कह सकता हूं कि हमने सन्धि के बिल्कुल अनुरूप रूपांकन तैयार किया है।

## प्रश्नों के लिखित उत्तर
# WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

### राष्ट्रीय शीर्ष संस्था की समिति का प्रतिवेदन

*121. **श्री एस० ए० मुरुगनन्तम :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या जबरन छुट्टी, छंटनी, कारखानों के बन्द होने और उनके बन्द होने की आशंका के मामलों की जांच करने के लिए नियुक्त राष्ट्रीय शीर्ष संस्था की समिति ने अपना प्रतिवेदन दे दिया है; और

(ख) यदि हां, तो समिति की मुख्य सिफारिशें क्या हैं तथा उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

**श्रम मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) :** (क) जी हां। राष्ट्रीय शीर्ष निकाय एक द्विपक्षीय निकाय है जिसमें नियोजकों और श्रमिकों के संगठनों के सम-संख्यक प्रतिनिधि शामिल हैं। इसने तारीख 10 जनवरी, 1976 के अपने निर्णय के अनुसार अपनी मर्जी से एक संहत समिति नियुक्त की थी। इसमें निम्नलिखित सदस्य शामिल थे :—

**नियोजकों के प्रतिनिधि**

1. श्री आई० पी० आनन्द।
2. श्री एम० के० मोहता।
3. श्री बी० वी० मेहता।

**श्रमिकों के प्रतिनिधि**

1. श्री एस० पी० अवस्थी

(बाद में जिनका स्थान श्री वी० आर० होशिंग ने ग्रहण किया ह )–(इन्टक)

2. श्री के० जी० श्रीवास्तव (एटक)

8. श्री विमल महरोत्रा (एच० एम० एस०)

इस समिति ने मुख्य निकाय को 21-7-1976 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की।

(ख) संहत समिति की सिफारिणें रिपोर्ट के अध्याय-2 और 3 में दी गई हैं। राष्ट्रीय शीर्ष निकाय ने 24 जुलाई, 1976 को हुई अपनी बैठक में अध्याय 2 में दी गई विशिष्ट सिफारिशों को स्वीकार किया और अध्याय 3 में दी गई सामान्य सिफारिशों पर 25 सितम्बर, 1976 को होने वाली अपनी अगली बैठक में विचार-विमर्ण करने का निर्णय किया। अध्याय 2 में दी गई सिफारिशें सम्बंधित प्राधिकारियों में ऐसी उचित कार्रवाई के लिए जिसे कि प्रत्येक मामले में स्थितिनुसार योग्य और आवश्यक समझे, परिचालित की गई है। अध्याय 2 में दिए गए रिपोर्ट के संबंधित अंश सभा की मेज पर रखे गए हैं। चूंकि यह एक लम्बा दस्तावेज है, इसलिए सादर निवेदन है कि इसका हिन्दी में अनुवाद नहीं किया जा सका। हिन्दी अनुवाद, बाद में, यथा सम्भव शीघ्र, सभा की मेज पर रख दिया जाएगा।

[ग्रन्थालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल० टी० 11140/76]

### अखिल भारतीय बीड़ी और सिगार कर्मचारी समिति से ज्ञापन

*124. **श्री ए० के० गोपालन :** क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को अखिल भारतीय बीड़ी और सिगार कर्मचारी समिति कन्नानोर से जुलाई, 1976 में कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है; और

(ख) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

**श्रम मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) :** (क) जी हां।

(ख) बीडी और सिगार कामगारों (रोजगार की प्रशाएं) अधिनियम, 1966 के उपबन्धों का कार्यान्वयन राज्य सरकारों द्वारा होता है। बीड़ी और सिगार कामगारों के कल्याण फ़ण्ड अधिनियम, 1976 के अधीन नियमों को बनाने और अन्तिम रूप देने के लिए कदम भी उठाए गए हैं जिसे, उस अधिनियम के उपबन्धों को क्रियान्वित करने से पहले 10 अप्रैल, 1976 को भारत के राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हो गई थी

### चल उपग्रह संचार यूनिट का कार्यालय

*125. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चल उपग्रह संचार यूनिट के कार्यकरण की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ख) क्या इसे अल्प सूचना पर देश के दूरस्थ क्षेत्र में स्थित किया जा सकता है?

**संचार मंत्री (डा० शंकर दयाल शर्मा)** : (क) चल या वहनीय दूरसंचार भू-उपग्रह केन्द्र इस समय भारत में पबलव्ध नहीं हैं । उपग्रह दूरसंचार प्रयोग परियोजना (सैटेलाइट टेली–कम्युनिकेशन एक्सपेरिमेंट्स प्रोजेक्ट) के एक अंग के रूप में वहनीय भू-उपग्रह केन्द्र का निर्माण किया जा रहा है। वहनीय भू-उपग्रह केन्द्र और दिल्ली, अहमदाबाद, तथा मद्रास में से किसी भी नियत भू-उपग्रह केन्द्र के बीच उस स्तर के ट्रंक टेलीफोन सर्किट प्राप्त किए जाएंगे, जो वाणिज्यिक क्षेत्र में स्वीकार्य हों। इस परियोजना में इन स्थानों के भू-उपग्रह केन्द्र शामिल किए गए हैं।

डाक-तार विभाग और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इंडियन स्पेस रिसर्च आर्गेनाइजेशन) संयुक्त रूप से उपग्रह संचार प्रयोग परियोजना (स्टेप) के प्रयोग कर रहे हैं और वे 1977-79 समयावधि के दौरान फ्रैंको-जर्मन सिम्फोनी सैटेलाइट का इस्तेमाल करेंगे। आशा है कि भारतीय वहनीय भू-उपग्रह केन्द्र पर निष्पादन के परिणाम (परफार्मेंस रिजल्ट) 1978 तक उपलब्ध हो जाएंगे। जब हमारे पास अपना आंतरिक उपग्रह (डोमोस्टिक सैटेलाइ) हो जाएगा तब हम ऐसे भू-उपग्रह केन्द्र का उपयोग वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए करने की स्थिति में हो जाएंगे।

(ख) ऐसा भू-उपग्रह केन्द्र ऐसे किसी भी स्थान पर स्थित किया जा सकता है, जहां तक सड़क जाती हो। चुने हुए स्थल पर लगभग 12 महीनों में उपग्रह केन्द्र चालू किया जा सकता है।

### कालीकट में लौह अयस्क निक्षेप

*126. **श्री सी० एच० मोहम्मद कोया** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कालीकट क्षेत्र में लौह अयस्क के बहुत बड़े निक्षेप है;

(ख) क्या इस संबंध में कोई सर्वेक्षण किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो कालीकट में लौह अयस्क की खुदाई करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

**इस्पात और खान मंत्री (श्री चन्द्रजीत यादव)** : (क) और (ख) भारतीय भूगर्भ सर्वे द्वारा अब तक किए गए प्रारंभिक खोज कार्य से कालीकट क्षेत्र में लौह अयस्क के लगभग 800 लाख टन भंडारों का पता चला है।

(ग) इन लौह अयस्क भंडारों के उपयोग की तकनीकी और आर्थिक संभावना का पता लगाने के लिए केरल राज्य औद्योगिक विकास निगम अध्ययन कर रहा है।

### इस्पात संयंत्र स्थल के आर्थिक प्रभाव का सर्वेक्षण

*127. **श्री राम भगत पासवान** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी क्षेत्र में इस्पात संयंत्र स्थल के आर्थिक प्रभाव के सर्वेक्षण से यह पता चला है कि इसका लाभ केवल कुछ विशिष्ट श्रेणियों को मिलता है; और

(ख) यदि हां, तो इस सर्वेक्षण के निष्कर्षों पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

**इस्पात और खान मंत्री (श्री चन्द्रजीत यादव)** : (क) और (ख) सम्भवत: अभिप्राय उस अध्ययन (केस स्टडी) से है जो किसी क्षेत्र में इस्पात कारखाने की स्थापना से उस क्षेत्र पर पड़ने वाले आर्थिक-प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए अनुग्रह नारायण सिन्हा सामाजिक अध्ययन संस्थान, पटना द्वारा किया गया था। इस अध्ययन के लिए राउरकेला इस्पात कारखाने को चुना गया था। इस अध्ययन की रिपोर्ट, मई, 1976 में प्रकाशित हुई थी। यह अध्ययन व्यापक किस्म का अध्ययन नहीं है परन्तु इसमें यह स्वीकार किया गया है कि इस्पात कारखाने में रोजगार के मामले में उस राज्य के लोगों को जिसमें यह कारखाना स्थित होता है

विशेषरूप से लाभ होता है । इस अध्ययन से इस बात का भी पता चलता है कि जिस क्षेत्र में यह कारखाना स्थित होता है उस क्षेत्र को अन्य लाभ भी होते हैं । इस समय इस सर्वेक्षण के निष्कर्षों की जांच की जा रही है ।

**गर्भपात के लिए अस्पतालों और नर्सिंग होमों को मान्यता**

*129. **श्री के० मालन्ना** : क्या **क्या स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गर्भ की चिकित्सीय समाप्ति अधिनियम के अन्तर्गत चिकित्सीय गर्भपात के लिए चालू वर्ष में कितने अस्पतालों और नर्सिंग होमों को मान्यता दी गई है; और

(ख) इस अधिनियम के लागू होने के पश्चात जिन महिलाओं ने गर्भपात कराया उनकी संख्या कितनी है ?

**स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में राज्य मंत्री (चौधरी राम सेवक)** : (क) 1789 केंद्र चिकित्सा द्वारा गर्भ-समापन की सेवायें प्रदान कर रहे हैं ।

(ख) जून, 1976 तक की संख्या 4,19,812 है ।

**कोरबा एल्यूमिनियम संयंत्र में बाक्साइट निक्षेपों के गलत अनुमान का प्रभाव**

*132. **श्री के० एम० मधुकर**
**श्री वाई० ईश्वर रेड्डी** } क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या फ़ुटकापहाड़ और अमरकंटक के बाक्साइट निक्षेपों के गलत अनुमान लगाये गये थे;

(ख) क्या इस गलत अनुमान के परिणाम स्वरूप कोरबा एल्युमिनियम संयंत्र के बन्द होने की संभावना है;

(ग) क्या भारत एल्युमिनियम कम्पनी ने इस बारे में उत्तरदायित्व नियत करने और स्थिति में सुधार लाने के लिये सुझाव देने हेतु जांच करने की मांग की है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ?

**इस्पात और खान मंत्री (श्री चन्द्रजीत यादव)** : (क) इन दोनों निक्षेपों में खनन योग्य बाक्साइट अयस्क भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण द्वारा 1961—63 के दौरान किये गए खोज कार्यों में लगाए गए अनुमानों की तुलना में काफी कम निकला ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) जी, हां ।

(घ) भूगर्भीय खोजों के अन्तर्गत पूर्व अनुमानित मात्रा की तुलना में अयस्क की वास्तविक उपलब्ध मात्रा में कुछ अन्तर होता है, यद्यपि प्रस्तुत मामले में यह अंतर काफी अधिक है ।

बालकों को दीर्घकालीन आधार पर पूरी सप्लाई जारी रखने हेतु अतिरिक्त स्रोतों का पता लगा लिया गया है । बालकों ने नए क्षेत्रों के लिए खनन पट्टे के लिए पहले ही आवेदन कर दिया है ।

**तेल समृद्ध देशों में भारतीयों को रोजगार देने के मामले में कदाचार**

*133. **श्री एस० आर० दामाणी** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि तेल समृद्ध देशों में भारतीय नागरिकों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के नाम पर बड़े पैमाने पर कदाचार किये जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इस मामले की जांच की गई है; और

(ग) ऐसे रोजगार के अवसर सरकारी रोजगार कार्यालयों के माध्यम से उपलब्ध न कराने तथा गैर सरकारी एजेंसियों पर प्रतिबंध न लगाने के क्या कारण हैं ?



2—684 LSS/76

**विदेश मंत्रालय में उपमंत्री ((श्री बिपिनपाल दास))** : (क) सरकार को कुछ ऐसे मामलों की जानकारी है जिनमें कि विदेशों में सीधे संविदा के आधार पर नियोजित कुछ भारतीय नागरिकों को कठिनाईयों का सामना करना पड़ा है ।

(ख) ये मामले जांच पड़ताल के लिए उपयुक्त प्राधिकारियों को भेजे गए थे ।

(ग) विदेशों में नौकरी के लिए कुशल अर्ध कुशल और अकुशल कारीगरों की भर्ती को नियमित करने का निर्णय सरकार पहले ही चुकी है । कतिपय प्रशासनिक तरीके और उपाय निश्चित किये गये हैं और इस उद्देश्य के लिए श्रम मंत्रालय केंद्र बिंदु होगा ।

**औषधि और सौन्दर्य प्रसाधन नियमों में संशोधन**

*136. **श्री रानेन सेन** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बाजार में बिकने वाले फार्मुलेशनों में विटामिनों की मात्रा को विनियमित करने के लिए सरकार ने औषधि और सौन्दर्य प्रसाधन नियम 1945 में संशोधन करने का निर्णय किया है, और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

**स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में राज्य मंत्री (चौधरी राम सेवक)** : **(क)** और **(ख)** जी हां । जैसा कि औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 में अपेक्षित है, औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियमावली 1945 में संशोधनों का एक प्रारु 10 जनवरी, 1976 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया था जिसमें इसके प्रकाशन की तारीख से 90 दिन की अवधि के भीतर जनता की टिप्पणियां आमंत्रित की गईं थीं । टिप्पणियां प्राप्त हो गयी हैं और उन पर विचार किया जा रहा है ।

**कलकत्ता बन्दरगाह पर माल उतारने-चढ़ाने वाले उपकरण**

*137. **श्री एच० एन० मुकर्जी** : क्या **क्या नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वह हाल ही में ईस्ट इंडिया शिपर्स एसोसियेशन के सदस्यों से मिले थे और उनकी समस्याओं पर विचार-विमर्श किया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस विचार-विमर्श में यह बताया गया था कि कलकत्ता बन्दरगाह पर सामान्य माल उतारने-चढ़ाने के उपकरणों के आधुनिकरण के लिए पर्याप्त पूंजी निवेश किया जाये; और

(ग) सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

**नौवहन और परिवहन मंत्री (डा० जी० एस० ढिल्लों))** : (क) जी हां, ।

(ख) यह सुझाव दिया गया था कि मौजूदा अप्रचलित माल धरा उठाई उपस्कर के स्थान पर पर्याप्त निवेश आवश्यक होंगे ।

(ग) चल उपस्कर के लिए पांचवीं योजना में 121.89 लाख रुपये के परिव्यय का सुझाव दिया गया है जिसमें सामान्य माल के लिए भारी लिफ्ट क्रेन भी शामिल है ।

**जनेवा में रोजगार के विषय पर अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का सम्मेलन**

*138. **श्री डी० डी० देसाई** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या उन्होंने जनेवा में रोजगार के विषय पर अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा हाल हीमें आयोजित सम्मेलन में भाग लिया था ?

(ख) यदि हां, तो उन्होंने तीसेरे विश्व के देशों में रोजगार के अपेक्षित अवसर बनाने के सम्बन्ध में क्या विचार व्यक्त किये; और

(ग) भारत की आर्थिक नीति पर सम्मेलन का क्या प्रभाव पड़ा है ?

**श्रम मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी)** : (क) जी हां ।

(ख) मेरे द्वारा व्यक्त किए गए विचार विश्व रोजगार सम्मेलन के पूर्णाधिवेशन में मेरे द्वारा दिए गए भाषण में दर्शाये गए हैं; भाषण की एक प्रति सभा की मेज पर रख दी गई है।)

(ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी०–11141/76) ।

(ग) सम्मेलन में अभिस्वीकृत किए गए सिद्धांतों के ब्यौरे मुख्यतया केंद्रीय नियोजन की भारतीय धारणा, मूल आवश्यकता कार्यक्रम और प्रधानमंत्री के 20-सूत्री कार्यक्रम से प्रभावित हुए थे । यह प्रलेख नई अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक पद्धति पर भारत के विचारों को प्रतिविम्बित करता है । वास्तव में, सम्मेलन ने ऐसी विभिन्न आर्थिक नीतियों को अनुमोदित और अभिस्वीकृत किया है, जिनका हम अपने देश में अनुसरण कर रहे हैं ।

**महिलाओं में बेरोजगारी**

***139. श्रीमती भार्गवी तनकप्पन** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ।

(क) महिलाओं में बेरोजगारी की समस्या के समाधान के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम कहां तक सफल सिद्ध हुए हैं ; और

(ख) इस संबंध में केंद्र सरकार ने राज्यों को किस हद तक सहायता की है ?

**श्रम मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी)** : (क) और (ख) : क्रमिक पंचवर्षीय योजनाओं और इसके साथ साथ केंद्र और राज्यों की वार्षिक योजनाओं तथा चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरु की गई विशेष रोजगार योजनाओं में शामिल किए गए विभिन्न विकास कार्यक्रमों से बढ़े हुए रोजगार अवसर सृजत हुए हैं जिसमें महिलाओं के लिए भी, जिन्हें शैक्षित योग्यताओं और उपयुक्तता के अनुरूप रोजगार ढूंढने के बराबर अवसर प्राप्त हैं, रोजगार अवसर शामिल हैं।

पांचवीं पंचवर्षीय योजना में अपनाई गई रोजगार नीति का उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में कार्यक्रमों के कार्यन्वयन के माध्यम से पर्याप्त रोजगार अवसर सृजत करना है । इसके अलावा, 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम से, जो कि इस समय कार्यान्वित किया जा रहा है, रोजगार अवसर पैदा होने में काफी तेजी आएगी । शिक्षित नवयुवकों (महिलाओं सहित) के लिए रोजगार अवसरों में वृद्धि करने के लिए किए गए उपायों में से एक उपाय शिक्षुता योजनाएं प्रभावपूर्ण ढंग से लागू करना है ।

**इस्पात उत्पादन की लागत**

***140. श्री एम० श्याम गोपाल रेड्डी** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड ने इस्पात उत्पादन की लागत कम करने के लिए कुछ प्रयोग किए हैं; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं ?

**इस्पात और खान मंत्री (श्री चन्द्रजीत यादव)** : (क) और (ख) : संभवतः अभिप्राय स्टील अथारिटी आफ़ इंडिया लि० के अधीन अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा आरंभ की गई अनुसंधान और विकास योजनाओं से हैं जिनका उद्देश्य इस्पात उत्पादन की लागत में कमी करना है। इन योजनाओं में एल० डी० कन्वर्टरों की लाइनिंग लाइफ में वृद्धि करना, धमन भट्टी धातुमल प्रणाली को इष्टतम बनाना और धमन भट्टी में कोयले के चूर्ण का प्रयोग (कोल डस्ट इन्जेक्शन) शामिल है । ये अनुसंधान योजनाएं निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है और इनके दृष्टिगोचर तथा वाणिज्यिक परिणाम प्राप्त होने में समय लगेगा । फिर भी, राउरकेला इस्पात कारखाने के एल० डी० कन्वर्टरों की लाइनिंग लाइफ में वृद्धि करने में कुछ सफलता प्राप्त हुई है। दुर्गापुर इस्पात कारखाने में धमन भट्टी धातुमल में एम० जी० ओ० (MGO) की मात्रा में वृद्धि करने के अनुसंधान कार्यक्रम के परिणाम भी उत्साहवर्द्धक है ।

**श्रमिक संघ अधिकारों के उल्लंघन पर अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की रिपोर्ट**

**954. श्री सरोज मुकर्जी** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि 25 देशों ने श्रमिक संघ अधिकारों का उल्लंघन किया है जैसा दिनांक 24 जून, 1976 के कलकत्ता के एक दैनिक में प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो उन देशों के नाम क्या हैं;

(ग) क्या इस सूची में भारत का नाम भी शामिल है; और

(घ) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा)** : (क) से (घ) : यह संभवतः अनुबन्धों और सिफ़ारिशों के लागू करने की अन्तर्राष्ट्रीय श्रम कान्फ्रेंस समिति से संबंधित है । भारत के विरुद्ध कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं है ।

**इस्पात उद्योग के लिये दीर्घकालिक योजना**

955. **श्री सी० जनार्दनन** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड द्वारा इस्पात उद्योग की दीर्घकालिक योजना के रूप में एक श्वेत-पत्र तैयार किया गया है, और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं और इसके कार्यान्वियन के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

**इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद)** : (क) और (ख) : सरकार ने इस्पात उद्योग पर एक श्वेत पत्र मई, 1976 में संसद के दोनों सदनों के पटल पर रखा था । उसमें अन्य बातों के साथ साथ बताया गया था कि इस्पात उद्योग के लिए एक 25 वर्षीय संदर्श योजना तैयार की जा रही है । सरकार ने इससे संबंधित विभिण्न पहलुओं की विस्तृत जांच करने तथा योजना तैयार करने के लिए विशेषज्ञों की एक समिति नियुक्त की है ।

**कारखानों के बंद होने और कर्मचारियों को जबरन छुट्टी पर भेजने की घटनाओं का सर्वेक्षण**

956. **श्रीमती पार्वती कृष्णन** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कारखानों के बन्द होने और कर्मचारियों को जबरन छुट्टी पर भेजने की घटनाओं की संख्या के बारे में सरकार ने कोई सर्वेक्षण किया है –

(ख) सरकार ने कितने उद्योगों में हस्तक्षेप किया ; और

(ग) गत तीन महीनों में कितनी औद्योगिक बन्दी उठा दी गई ?

**श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा)** : (क) : सरकार ने कामबन्दी और जबरी छुट्टी की संख्या संबंधी कोई विशिष्ट सर्वेक्षण नहीं किया है । तथापि, राष्ट्रीय शीर्ष निकाय ने जबरी छुट्टी, छंटनी और कामबन्दी के मामलों पर विचार करने के लिए एक कम्पेक्ट समिति का गठन किया है ।

(ख) और (ग) : सूचना एकत्र की जा रही है और सभा की मेज पर रख दी जायगी।

**विभिन्न सर्किलों की टेलीफोन डायरेक्टरियों के प्रकाशन में विलम्ब**

957. **श्री बसंत साठे** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में विभिन्न सर्किलों के लिए टेलीफोन डायरेक्टरियों के प्रकाशन में असाधारण विलम्ब हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं और टेलीफोन डायरेक्टिरियों के समय पर तथा ठीक प्रकाशन को सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है/ करने का विचार है ?

**संचार मंत्री (डा० शंकर दयाल शर्मा)** : (क) और (ख) :–टेलीफोन डाइरेक्टरियों की छपाई में आम-तौर पर कोई असाधारण विलम्ब नहीं होता है । तथापि, कुछ मामलों में कागज की कमी और छापेखानों में विलम्ब आदि के कारण डाइरेक्टरियां समय पर नहीं प्रकाशित हुई हैं । इसका पक्का इन्तजाम करने के लिए कि टेलीफोन डाइरेक्टरियां समय पर प्रकाशित हों हर संभव प्रयास किये जा रहे हैं । इसके लिए अग्रिम योजना बनाई जा रही है और समय से कार्यवाई की जा रही है ।

**तमिलनाडु में बसों का राष्ट्रीयकरण**

958. **श्री मुरासोली भारन :**

**श्री सी० चित्तिबाबू :**

क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राजनीतिक दलों के कुछ प्रतिनिधियों ने तमिलनाडु के राज्यपाल को एक ज्ञापन प्रस्तुत किया है जिसमें उनसे बसों का राष्ट्रीयकरण करने के बारे में पुनः विचार करने का अनुरोध किया गया है, और

(ख) यदि हां, तो ज्ञापन देने वाले प्रतिनिधि किन-किन राजनीतिक दलों के हैं

**नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (दलबीर सिंह)** : (क) और (ख) : इस संबंध में तमिलनाडु स्टेट काउंसिल कम्युनिस्ट पार्टी आफ इंडिया के सचिव ने तमिलनाडु के राज्यपाल को एक याचिका दी है । राज्य सरकार को किसी अन्य राजनीतिक दल से कोई याचिका प्राप्त नहीं हुई है । परंतु पूर्वोल्लिखित याचिका की तरह की ही तीन याचिकाएं राज्य के राज्यपाल को दी गई हैं जिनमें से एक पर ए० डी० एम० के संसद सदस्यों अर्थात सर्वश्री के मनोहरन, जी० विश्वानाथन, एस० डी० सोमा सुन्दरम, के० ए० कृष्णस्वामी, एम० सी० बालन और वी० वी० स्वामीनाथन द्वारा और दूसरी पर सर्वश्री एम० कल्याण सुन्दरम के० गोपाल और ई० आर० कृष्णन द्वारा और तीसरी पर श्रीमति वी० जयलक्ष्मी और सर्वश्री आर० वी० स्वामीनाथन, एस० राधा कृष्णन और एम० आर० लक्ष्मी नारायणन सदस्य, लोक सभा द्वारा हस्ताक्षर किये गये थे।

**Loan to M. P. State Transport Corporation**

**959. Shri Bhagirath Bhanwar :** Will the Minister of **Shipping and Transport** be pleased to state :

(a) the amount of loan and grant for which a request has been received for the purchase of buses etc. in future by State Transport Corporation of Madhya Pradesh for providing further transport facilities in Indore (M. P.) after its being declared as a metropolitan city; and

(b) the nature of assistance provided to Indore so far ?

**Deputy Minister in the Ministry of Shipping and Transport (Shri Dalbir Singh ):** (a) No request in this behalf has been received from the Government of Mahdya Pradesh during 1976-77.

(b) A loan of Rs. 80 lakhs was sanctioned to the Government of Madhya Pradesh during the financial year 1975-76 for relending to the Madhya Pradesh State Road Transport Corporation for the purchase of buses for strengthening and improving the bus transport system in the city of Indore.

**टॉनिकों में आवश्यकता से अधिक विटामिन डालने पर रोक लगाना**

960. **सरदार मोहिन्दर सिंह गिल** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार विशेषज्ञों की सिफारिशों के आधार पर बाजार में मिलने वाले टानिकों में विटामिन आवश्यकता से अधिक मिलने पर रोक लगाने के प्रश्न पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) औषध उद्योग की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

**स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक)** : (क) जी हां।

(ख) तैयार औषधियों में विटामिनों की कितनी मात्रा होनी चाहिये इसे विनियमित करने के लिये औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियमावली, 1945, में संशोधन करने संबंधी प्रारूप 10 जनवरी, 1976 को प्रकाशित किया गया था जिसमें जनता से टिप्पणियां आमंत्रित की गई थीं । टिप्पणियां मिल गई हैं और उन पर विचार किया जा रहा है ।

(ग) औषधि उद्योग का प्रतिनिधित्व करने वाले संघों ने अपनी अपनी टिप्पणियां भेज दी हैं । इन पर विचार किया जा रहा है ।

**Funds for National Highways in Madhya Pradesh**

961. **Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of **Shipping and Transport** be pleased to state :

(a) whether the Madhya Pradesh Government have submitted any proposal to the Ministry for provision of additional funds for 1976-77 for the development of the National Highways (Original Works); and

(b) if so, the facts in this regard ?

**The Deputy Minister in the Ministry of Shipping and Transport (Shri Dalbir Singh ):** (a) & (b) : A sum of Rs. 420 lakhs has been earmarked for National Highway (Original) works in Madhya Pradesh during 1976-77. In May, 1976, the State P. W. Minister indicated that the State P.W.D. had the capacity to spend money more than Rs. 1 crore and the expenditure on pay for the said staff was to be borne by the Central Government and that if the Central Govt. could increase this amount the State Govt. would be able to produce more work. There has however been no specific requirement from the State P.W.D. indicating any increase in the sum of Rs. 420 lakhs referred to above

**Production of Rock Phosphate**

962. **Dr. Laxminarayan Pandeya :** Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state :

(a) the production of rock phosphate from Jhamarkotra rock phosphate mines in Rajasthan at present;

(b) whether Rajasthan State Mines and Minerals Corporation has sought financial assistance from the Union Government and loans from I.D.B.I. for increasing its production;

(c) if so, the action taken by the Union Government in this regard; and

(d) whether this rock phosphate is of very good quality and is exported to foreign countries in a large quantity ?

**Deputy Minister in the Ministry of Steel and Mines (Shri Sukhdev Prasad) :** (a) The production of rock phosphate from Jhamarkotra mines, Udaipur, Rajasthan, during 1975-76 was 3,51,000 tonnes.

(b) The Rajasthan State Mines and Minerals Corporation has not sought any financial assistance from the Union Government. They have, however, applied for a loan of Rs. 5 crores to I.D.B.I.

(c) Does not arise.

(d) Mining operations by Rajasthan State Mines & Minerals Corporation are presently confined to B and D Blocks of the deposits which are of good quality. Rock phosphate has so far not been exported.

**केरल सर्किल डाक-तार कर्मचारियों के लिए आवास सुविधायें और कल्याणकारी उपाय**

963. **श्री वयालार रवि :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1976–77 के दौरान केरल सरकार के डाक-तार कर्मचारियों के लिए आवास सुविधाओं और कल्याणकारी कार्यों में वृद्धि करने के लिए क्या कार्रवाई करने का प्रस्ताव है; और

(ख) वर्ष 1975–76 के दौरान इन सुविधाओं पर कुल कितनी धनराशि खर्च की गई है और वर्ष 1976–77 के लिए कितनी धनराशि नियत की गयी है ?

**संचार मंत्री (डा० शंकर दयाल शर्मा) :** (क) केरल में 245 क्वार्टर बनवाने का प्रस्ताव है । हाल ही में 6 क्वार्टर तैयार हो गये हैं । 30 क्वार्टरों का निर्माण-कार्य चल रहा है । चालू वित्तीय वर्ष के दौरान 126 क्वार्टरों का निर्माण काम शुरु हो जाने की संभावना है । निधियां उपलब्ध होने पर और अधिक क्वार्टरों के निर्माण का काम प्रारंभ किया जायगा ।

कर्मचारियों को इस समय मिलने वाली कल्याण-सुविधाओं में निम्नलिखित सुविधाएं शामिल हैं :

(1) कम वेतन पाने वाले कर्मचारियों के बच्चों को तकनीकी और गैर तकनीकी शिक्षा के लिए छात्र-वृत्तियां और पुस्तक पुरस्कार ।

(2) चिकित्सा सुविधाएँ, मनोरंजन क्लब, कैन्टीनें, विश्राम कक्ष आदि ।

(3) खेल-कूद और सांस्कृतिक गतिविधियों के आयोजन ।

(4) बीमारी, प्राकृतिक विपत्तियों जैसे कि आग-बाढ़ आदि के दौरान कल्याण निधि से वित्तीय सहायता देना ।

(ख) वर्ष 1975-76 में 5.07 लाख रुपए खर्च किए गए थे और वर्ष 1976—77 में इस के लिए 15.82 लाख रुपए की राशि नियत की गई है ।

**सरकारी क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों के होस्टल और होटल**

964. **सरदार स्वर्ण सिंह सोखी :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के सभी इस्पात संयंत्रों के होस्टलों और होटलों को प्राइवेट फर्में चलाती हैं;

(ख) यदि हां, तो उनके नाम क्या हैं ; और

(ग) ये होटल कब तक प्राइवेट ठेकेदारों द्वारा चलाये जायेंगे ?

**इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद)** : (क) से (ग) : जानकारी प्राप्त की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायगी ।

**यंत्रीकृत नौकाओं के निर्माण के लिये गुजरात को वित्तीय सहायता**

965. **श्री अरविन्द एम० पटेल :**

**श्री एन० आर० बेकारिया :**

क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चौथी योजनावधि के दौरान मत्स्य व्यापार के विकास के लिए गुजरात में यंत्रीकृत नौकाओं के निर्माण के लिए कितनी वित्तीय सहायता गई थी, और

(ख) पांचवीं योजना में इसके लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गई है ?

**नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० एम० त्रिवेदी) :** (क) यंत्रीकृत पाल जहाजों के निर्माण तथा मौजूदा पाल जहाजों को यंत्रीकरण के ऋण की योजना के अन्तर्गत चौथी योजना के दौरान गुजरात राज्य में विभिन्न कंपनियों को 85.60 लाख रुपए की धन राशि स्वीकृत की गई । यंत्रीकृत तथा गैर यंत्रीकृत दोनों प्रकार के पाल जहाज सामान्यतया देश में तटीय तथा समुद्रपारीय व्यापार में चलते हैं तथा साथ के देशों को सूखी मछली निर्यात करते हैं ।

(ख) पांचवीं योजना में सभी पाल जहाजों के स्वामियों को सभी समुद्रवर्ती राज्यों में यंत्रीकरण के लिए 1.50 करोड़ रुपए की राशि अलग रखी गई है ।

**समंगीकृत दूध की संतृप्त चिकनाई का हृदय पर प्रभाव**

967. **श्री एन० आर० बेकारिया :**

**श्री अरविन्द एम० पटेल :**

क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऐसे संदेश व्यक्त किए गए हैं कि समंगीकृत दूध में विद्यमान संतृप्त चिकनाई से हृदय रोग होता है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में कोई नया अध्ययन किया गया है और यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं

**स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक)** : (क) जी हां ।

(ख) भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् द्वारा किए गए अध्ययन से यह पता चला है कि गाय के 4.64 ग्राम प्रतिशत दूध की तुलना में समगीकृत दूध में कुल चिकनाई 4.6 ग्राम प्रतिशत होती है । समगीकृत दूध में तत्वत: वसा-अम्ल गाय के दूध के समान ही होता है ।

**रोज़गार दफ्तरों में पंजीकृत बेरोज़गार व्यक्तियों की संख्या**

968. **श्रीमती सावित्री श्याम** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनेकों शिक्षित, दक्ष, अदक्ष तथा अन्य श्रेणियों की महिलाओं, युवकों तथा अन्य लोगों को दिल्ली तथा अन्य स्थानों पर रोजगार कार्यालयों में अपने नाम पंजीकृत कराने पर भी अभी तक रोजगार नहीं मिला है;

(ख) क्या बहुत-सी महिला तथा पुरुष शिक्षक भी दीर्घकाल से बेरोजगार हैं; और

(ग) ऐसे शिक्षित व्यक्तियों की संख्या कितनी है जिन्होंने तीन वर्ष से भी अधिक समय से अपने नाम रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत कराए हैं किंतु जिन्हें रोजगार प्राप्त नहीं हुआ है?

**श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा)** (क) से (ग) : देश में रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टर में दर्ज शिक्षित* नौकरी चाहने वालों (जो सभी अनिवार्यतः बेरोजगार नहीं है) की संख्या 31-12-75 को 48.05 लाख थी । इसमें 76.7 हजार प्रशिक्षित स्नातक अध्यापक शामिल हैं ।

चालू रजिस्टर पर अवधि के अनुसार शिक्षित नौकरी चाहने वालों का वर्गीकरण यद्यपि उपलब्ध नहीं है तथापि, पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान ऐसे व्यक्तियों के संबंध में रोजगार कार्यालयों में किए गए नवीन पंजीकरणों की संख्या नीचे दिए अनुसार हैं :—

1973—29.37 लाख
1974—23.81 लाख
1975—26.20 लाख

*मैट्रिक उत्तीर्ण और उससे अधिक ।

**वर्ष 1975 में कार्य-दिवसों की हानि**

969. **श्री पी० गंगा रेड्डी :**

क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करगें कि :

(क) क्या देश में कार्य दिवसों की हानि न्यूनतम हो गई है और

(ख) यदि हां तो वर्ष 1975 के दौरान कार्य दिवसों की हानि के राज्यवार आंकड़े क्या हैं ?

**श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) :** (क) 1975 के दौंरान हड़तालों ओर तालाबन्दी की वजह से कार्य-दिवसों की हानि की कुल संख्या 215.6 लाख थी, जबकि 1974 के दौंरान 402.6 लाख थी ।

(ख) एक विवरण सभा की मेज पर रख दिया गया है ।

भाग (ख) : 1975 के दौरान हड़तालों और तालावन्दियों के कारण क्षति हुए श्रम दिनों की संख्या (राज्य-वार) दर्शाने वाली तालिका (अनंतिम) ।

सारणी

| राज्य-संघ शासित क्षेत्र | क्षति हुए श्रम दिनांक की संख्या |
|---|---|
| 1 | 2 |
| आंध्र प्रदेश | 351,797 |
| असम | 102,933 |
| बिहार | 708,712 |
| गुजरात | 603,465 |
| हरियाणा | 22,625 |

| 1 | 2 |
|---|---|
| हिमाचल प्रदेश | — |
| जम्मू और कश्मीर | — |
| कर्नाटक | 682,866 |
| केरल | 497,371 |
| मध्य प्रदेश | 97,321 |
| महाराष्ट्र | 1,362,190 |
| मणिपुर | — |
| उड़ीसा | 291,508 |
| पंजाब | 63,532 |
| राजस्थान | 125,550 |
| तमिलनाडु | 1,663,290 |
| त्रिपुरा | 667 |
| उत्तर प्रदेश | 1,027,235 |
| पश्चिम बंगाल | 13,812,364 |
| अंडेमान और निकोबार द्वीप समूह | 2,214 |
| चंडीगढ़ | 6,634 |
| दिल्ली | 35,268 |
| गोवा | 84,243 |
| पांडिचेरी | 21,936 |
| जोड़ | 21,563,721 |

अ—अनंतिम,

—शून्य।

**नोट :**—शेष राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के बारे में सूचना या तो शून्य है या उपलब्ध नहीं है।

### न्यूयार्क में समुद्री कानून के बारे में सम्मेलन

970. **श्री हरी सिंह** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा अगस्त, 1976 में न्यूयार्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में समुद्री कानून के बारे में आयोजित किये जाने वाले सम्मेलन में भारत भाग लेगा; और

(ख) यदि हां, तो उक्त सम्मेलन के विचार-विमर्श में भारत के क्या प्रमुख प्रस्ताव हैं ?

**विदेश मंत्रालय में उपमंत्री: (श्री बिपिनपाल दास)** : (क) जी हां। 2 अगस्त, 1976 से न्यूयार्क में समुद्री कानून सम्मेलन का जो पांचवां अधिवेशन चल रहा है उसमें भारत भी भाग ले रहा है।

(ख) यदि सम्मेलन के समक्ष प्रस्तुत मुख्य प्रश्नों पर भारत द्वारा अपनाई गई और समर्थित स्थिति नीचे लिखे अनुसार है :

(i) किसी तटवर्ती राज्य का प्रादेशिक समुद्र, जिस पर कि उस राज्य की पूरी प्रभुसत्ता होती है, 12 समुद्री मील तक विस्तीर्ण हो।

(ii) किसी तटवर्ती राज्य का सन्निध अंचल उसके प्रादेशिक समुद्र की सीमाओं के बाद 12 समुद्री मील तक विस्तृत हो सकता है।

(iii) कोई तटवर्ती राज्य उस आधार रेखा से, जहां से उसका प्रादेशिक समुद्र नापा जाता हो, 200 समुद्री मील का अनन्य आर्थिक क्षेत्र स्थापित कर सकता है। इस क्षेत्र के अंदर, सजीव और निर्जीव संसाधनों पर उस तटवर्ती राज्य का प्रभुसत्तात्मक अधिकार होगा और कुछ अन्य मामलों में, जिसमें वैज्ञानिक अनुसंधान तथा समुद्रदूषण नियंत्रण भी शामिल है, यह उस राज्य के अनन्य अधिकार क्षेत्र में होगा।

(iv) इसके अतिरिक्त तटवर्ती राज्य को अपने महाद्वीप शैल्फ के संबंध में प्रभुसत्तात्मक अधिकार होगा। किसी तटवर्ती राज्य के महाद्वीप शैल्फ़ का अभिप्राय है उन समुद्रगमीय क्षेत्रों का समुद्रतल और उसकी अवभूमि जो उस तटवर्ती राज्य के प्रादेशिक समुद्र के परे उसकी भू-संहति के प्राकृतिक विस्तार के साथ-साथ सर्वत्र महाद्वीपीय सीमा के बाहरी छोर तक विस्तीर्ण हो अथवा आधार रेखा से 200 समुद्री मील की दूरी तक विस्तीर्ण समुद्री जलक्षेत्र, इन दोनों में से जो भी अधिक हो।

(v) हरेक द्वीप को अथवा द्वीप समूह को अथवा संश्लिष्ट द्वीप समूह को आर्चिपेलागो की स्थिति लागू होनी चाहिए चाहे वे स्वतंत्र राज्य हों अथवा किसी तटवर्ती राज्य के अभिन्न अंग।

(vi) एक अंतर्राष्ट्रीय समुद्रतल प्राधिकरण बनाया जाना चाहिए जिसे व्यापक अधिकार प्राप्त हों और जो अंतर्राष्ट्रीय समुद्रतल के संसाधनों पर प्रभावशाली नियंत्रण रखे और संदोहन करें जो कि समूची मानवजाति की सामान्य धरोहर है।

### अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण कार्यक्रम

**971. श्री भाऊ साहेब धामनकर** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शिक्षित बेरोजगारों तथा नौ-सीखियों के लिए रोजगार तथा प्रशिक्षण के अवसरों को बढ़ाने हेतु अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण कार्यक्रम में तेजी लाने के लिए केंद्र, राज्य सरकारों तथा गैर-सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में 20-सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत किए गए विशेष प्रयास कहां तक सफल हुए हैं;

(ख) इंजीनियर, तकनीशियनों, विकलांग तथा अन्य दुर्बल वर्गों के लिए विभिन्न धन्धों तथा व्यवसायों में अब तक कितनी वृद्धि हुई है और

(ग) विभिन्न अप्रेंटिसशिप योजनाओं में महिलाओं तथा ग्रामीण व्यक्तियों को शामिल होने तथा उनका लाभ उठाने हेतु उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है तथा विभिन्न श्रेणियों के अप्रेंटिसों को किस दर पर छात्रवृत्तियां दी जा रही हैं तथा उनका व्यय कौन वहन करता है ?

**श्रम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा)** : (क) और (ख) : अपेक्षित सूचना नीचे दी गई है :—

**व्यवसाय शिक्षु :**

| | 30 जून, 1975 को नियुक्त शिक्षुओं की संख्या | 13 अगस्त, 1976 को नियुक्त शिक्षुओं की संख्या |
|---|---|---|
| राज्य क्षेत्र | 47,047 | 89,714 |
| केंद्रीय क्षेत्र | 22,189 | 50,691 |
| योग . . . . | 69,236 | 140,405 |

उपर्युक्त संख्या में से 37581 शिक्षु कमजोर वर्ग, अर्थात 12935 अनुसूचित जाति, 3,355 अनुसूचित जनजाति, 250 विकलांग, 18,584 अल्प संख्यक और 2,457 महिला शिक्षु, से संबंधित है।

**ग्रेज्युएट और तकनीशियन शिक्षु :**

अधिनियम के अधीन जुलाई, 1975 से 12,864 ग्रेजुएट/तकनीशीयन शिक्षु नियुक्त किए गए से । इनमें से 957 कमजोर वर्ग अर्थात 230 अनुसूचित जाति; 41 अनुसूचित जनजाति 5 विकलांग और 681 अल्पसंख्यकों से संबंधित हैं ।

(ग) महिलाओं और ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित व्यक्तियों के लिए बहुत से नए व्यवसाय निर्दिष्ट किए गए हैं जो कि विशेष रूप से इन श्रेणियों के लिए उपयुक्त हैं । शिक्षुता अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए हैं कि वे यह सुनिश्चित कराएं कि पर्याप्त संख्या में इन श्रेणियों से संबंधित व्यक्ति शिक्षु के रूप में लगाए जाते है।

**वृत्तिका की दर :**

व्यवसाय शिक्षु

| | |
|---|---|
| पहला वर्ष | 130/-रु० प्रति माह |
| दूसरा वर्ष | 140/-रु० प्रति माह |
| तीसरा वर्ष | 150/-रु० प्रति माह |
| चौथा वर्ष | 200/—रु० प्रति माह |

**ग्रेज्युएट और तकनीशियन शिक्षु**

| | |
|---|---|
| इंजीनियरी ग्रेज्युएट | 280/— रु० प्रति माह |
| डिग्री संस्थाओं से सैंडविच कोर्स के छात्र | 180/— रु० प्रति माह |
| डिप्लोमाधारी | 180/— रु० प्रति माह |
| डिप्लोमा संस्थाओं से सैंडविच डिप्लोमाधारी | 150/—रु० प्रति माह |

**वृत्तिका—लागत आदि :**

यदि नियोजक अपने प्रतिष्ठान में 500 या इससे अधिक कामगार नियुक्त करता है तो वृत्तिका—लागत उसके द्वारा पूर्णतः वहन की जाती है । "नौखिए" शिक्षुओं की नियुक्ति के संबंध में ऐसे नियोजकों द्वारा, जो 500 से कम कामगार नियुक्त करते हैं, प्रशिक्षण लागत (जिसमें निर्दिष्ट सीमा तक वृत्तिका भी शामिल है) उतनी ही वहन करनी पड़ती है जितनी कि सरकार द्वारा वहन की जाती है । यदि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के भूतपूर्व छात्रों को शिक्षुओं के रूप में रखा जाता है, तो पूरी लागत प्रतिष्ठान द्वारा वहन की जाती है।

**भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् द्वारा समंगीकृत दूध का विश्लेषण**

972. **श्री यमुना प्रसाद मंडल : क्या स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् ने राष्ट्रीय डैरी विकास निगम द्वारा सप्लाई किये जाने वाले समंगीकृत दूध में पोषक तत्व तथा वसा का पता लगाने के लिए फिर से विश्लेषण किया था; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

**स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक)** : (क) जी हां।

(ख) राष्ट्रीय डैरी विकास निगम के दूध का कम्पोजीशन तत्व; गाय के दूध जैसा ही होता है।

**वाटर ट्रांसपोर्ट वर्कसफैडरेशन कलकत्ता से ज्ञापन**

973. **श्री समर मुकर्जी : क्या नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को वाटर ट्रांसेपोर्ट वर्कर्स फैडरेशन, कलकत्ता से 26 जुलाई, 1976 का कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है, और

(ख) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० एम० त्रिवेदी)** : (क) जी, हां।

(ख) मामले की जांच की जा रही है ।

### Expenditure on Family Planning

974. **Shri Mohan Swarup :** Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state :

(a) the amount spent so far by Government on Family Planning Programme by way of assistance to States during the last three years;

(b) the State-wise figures thereof; and

(c) the outcome thereof ?

**The Deputy Minister of Health and Family Planning (Shri A. K. M. Ishaque ):** (a) & (b) : The financial assistance released to States during the last three financial years towards expenditure on Family Planning is given below :—

| | (Rs. in lakhs) |
|---|---|
| 1973-74 | 4730·92 |
| 1974-75 | 5384·69 |
| 1975-76 | 6496·41 |

The Statewise details are given in the appended statement.
(Placed in the Library. *See* No. L. T.—11142/76)

(c) The Family Planning Performance in the corresponding period is given below :

| Year | Sterilization | IUD Insertions | C.C.Users |
|---|---|---|---|
| | (Figures in lakhs) | | |
| 1973-74 | 9·42 | 3·71 | 30·09 |
| 1974-75 | 13·49 | 4·30 | 25·16 |
| 1975-76 | 26·27 | 5·94 | 33·58 |

Since the inception of the Family Planning Programme, 19·46 million sterilisation operations and 6·16 million IUD insertions have been performed upto June, 1976. In addition it is estimated that about 2·56 million couples were using various types of conventional contraceptives including oral pills. About 25 million births are estimated to have been averted.

### संघों की सदस्यता में ठेका श्रमिकों को शामिल न करने का निर्देश

975. **श्री डी० के० पंडा :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या सरकार ने वर्ष 1976 में जांच के समय संघों की सदस्यता में ठेका श्रमिकों को शामिल न करने के कोई निर्देश दिये हैं;

(ख) क्या जारी किये गये इस निर्देश में श्रमिकों के सभी वर्ग आते हैं अथवा यह केवल खनन उद्योग और लौह अयस्क खानों के श्रमिकों के लिये हैं और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ?

**श्रम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) :** (क) से (ग) : अनुशासन संहिता के अन्तर्गत मान्यता के प्रयोजन के लिये संघों की सदस्य संख्या के सत्यापन संबंधी कार्यपद्धति के अनुसार संघों की सूचियों में केवल उन श्रमिकों को शामिल किया जाता है, जो गणना के दिन प्रबन्धकों की नामावली में मौजूद थे। यह मापदंड, सामान्यत: सभी वर्गों के उद्योगों में तथा जिन राज्यों में संघों की मान्यता कानून द्वारा विनियमित की जाती है, उन्हें छोड़कर सभी राज्यों में प्रयुक्त किया जाता है। इस कार्य पद्धति के संबंध में सत्यापन अधिकारियों को समय समय पर हिदायतें/स्पष्टीकरण जारी किए जाते हैं।

### बम्बई से न्यू मंगलौर बंदरगाह को यात्रा तथा माल जहाज सेवा

976. **श्री पी० रंगनाथ शिनाय :** क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई से न्यू मंगलौर बन्दरगाह को नियमित यात्री अथवा यात्री व माल जहाज सेवा आरम्भ करने के लिये मांग बराबर की जा रही है, और

(ख) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है।

**नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० एम० त्रिवेदी) :** (क) बंबई और नव मंगलोर पत्तन के बीच यात्री एवं माल सेवा शुरु करने के लिए कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुए हैं।

(ख) उपलब्ध माल की यात्रा और यात्रियों की संख्या से यह प्रकट होता है कि ऐसी सेवा व्यवहार्य नहीं होगी । यह भी बता दिया जाय कि यद्यपि ऐसी सेवा पिछले दशक के शुरु में चल रही थी तथापि बराबर होने वाली हानि के कारण इसे 1969 में बंद करना पड़ा ।

**दुर्गापुर इस्पात संयत्र के उत्पादन का विविधिकरण**

977. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या रेलवे को सप्लाई किये जाने वाले व्हील तथा एक्सल सेटों के अलाभकार मूल्यों के कारण दुर्गापुर इस्पात संयंत्र को निरन्तर हानि हो रही है,

(ख) क्या अभी भी कुछ व्हील तथा एक्सल सेट बहुत अधिक मूल्यों पर विदेशों से आयात किये जा रहे हैं, और

(ग) यदि हां, तो देश में ही निर्मित सेटों के मूल्यों का पुनरीक्षण करने अथवा दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की उत्पादन पद्धति में विविधता लाने के लिए यदि कोई कार्यवाही की जा रही है तो वह क्या है?

**इस्पात और खान मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) :** (क) जी हां । दुर्गापुर इस्पात कारखाने को व्हील सेटों के निर्माण में वर्ष 1974–75 और 1975–76 में क्रमश: 557 लाख रूपए और 531 लाख रूपए की हानि हुई थी ।

(ख) जी हां । लेकिन इसका संबंध रेलवे द्वारा 1975 में दिए गए आर्डरों से है । कोई नए आर्डर नहीं दिए गए हैं और न ही रेलवे द्वारा 1976–77 में आयात के लिए कोई नए आर्डर दिए जाने की संभावना है ।

(ग) जहां तक देश में ही निर्मित ह्वील सेटों के मूल्यों का पुनरीक्षण करने का १ बंध है इस मामले पर रेलवे से बातचीत की जा रही है ।

दुर्गापुर इस्पात कारखाने के प्राडक्टमिक्स में विविधता लाने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है और मेटालर्जीकल ऐंड इंजीनियरिंग कन्सलटेंटस (इंडिया) लिमिटेड से इस बारे में एक रिपोर्ट तैयार करने को कहा गया है।

**आपात स्थिति के लाभों को स्पष्ट करने हेतु विदेशों में भेजे जाने वाले सद्भाव शिष्टमंडल**

978. **श्री के० लकप्पा :** :या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या उनका मंत्रालय आपात स्थिति के लाभों को स्पष्ट करने तथा झूठे प्रचार का खंडन करने हेतु राजनीतिक दृष्टिकोण के बारे में स्पष्टीकरण देने के लिए यूरोपीय राष्ट्रों में सद्भाव शिष्टमंडल भेजने के लिए कोई प्रयास कर रहा है?

**विदेश मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विपिनपाल दास) :** जब कभी हमारे मंत्री, महत्वपूर्ण व्यक्ति और वरिष्ठ अधिकारी विदेशों की यात्रा करते हैं, जिनमें उल्लिखित देश भी शामिल हैं, तो इस अवसर का लाभ उठाकर वे वहां की सरकारों तथा संबद्ध देश की जनता के प्रभावशाली वर्गों को भी भारत की स्थिति सही परिप्रेक्ष्य में समझाते हैं । इसके अलावा, विदेश स्थित हमारे मिशनों में प्रचार के सामान्य तरीकों से आपातकालीन स्थिति के लाभ समझाने तथा भ्रामक प्रचार का प्रतिवाद करने का बराबर प्रयत्न किया है।

**Private Mini Buses operating in Delhi.**

**980. Shri M. C. Daga :** Will the Minister of **Shipping and Transport** be pleased to state:

(a) whether D.T.C. allowed private operators for plying mini buses;

(b) if so, the number of persons granted licences to ply these buses indicating the dates and terms and conditions on which the licences were granted and the total income earned by D.T.C. therefrom during the last three years; and

(c) the number of mini buses operating in Delhi and the names of private operators whose licences have been cancelled ?

**The Deputy Minister in the Ministry of Shipping and Transport (Shri Dalbir Singh ):** (a) Yes.

(b) Details of private mini buses operating under Delhi Transport Corporation's Administrative and Operational Control Charges scheme are given below :—

| | No. of buses being operated as on 12-8-76 | Date of commencement of operation |
|---|---|---|
| | (1) | (2) |
| (i) Mini buses operated by Private Operators @ Rs. 1000/- per bus per month as A.O.C. charges | 91 | 20-1-74 |
| | (1) | (2) |
| (ii) Mini buses operated by Ex-service-men @Rs. 1000/- per bus per month as A.O.C. Charges. | 30 | 20-4-75 |
| (iii) Mini buses operated by unemployed educated persons @ Rs. 500/- per bus per month as A.O.C.C. under the Scheme introduced by the Delhi Administration for the year 1975-76. | 58 | 22-1-76 |
| (iv) Mini buses operated by unemployed persons @ Rs. 500/- per bus per month as A.O.C. Charges under the special employment Scheme introduced by Delhi Administration for the year 1974-75. | 17 | 27-6-76 |
| (v) Mini buses operated by private operators @ Rs. 300/- per bus per month under the scheme introduced for the facility of re-settlement colonies. | 32 | 1-8-76 |

The above mini buses are being operated against permits issued by State Transport Authority Delhi in favour of DTC. Copies of the standard agreement being entered into by Private Operators with the D.T.C. giving details of the terms and conditions of operation of mini buses under the Corporation's Administrative and Operational Control Charges scheme are annexed. (Placed in the Library. *See* No. L.T.—11143/76).

Figures of total income earned by DTC from the operation of mini buses under its AOCC scheme are not readily available.

(c): 325 permits have been issued for mini buses in Delhi. These include mini buses of private operators and unemployed educated persons plying under D.T.C. operations.

No mini bus permit granted to any private operator has been cancelled.

**इस्पात लक्ष्य का आर्थिक विकास दर से जोड़ा जाना**

981. **श्री एम० राम गोपाल रेडी :** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार इस्पात लक्ष्य का भविष्य में देश में आर्थिक विकास दर से जोड़ने का है; और

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

**इस्पात और खान मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) :** (क) इस्पात उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित करते समय सरकार कई बातों को ध्यान में रखती है जैसे अर्थव्यवस्था की प्रत्याशित विकास दर, औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि, इस्पात इस्तेमाल करने वाले उद्योगों की मांग, इस्पात से बने इंजीनियरी साज-सामान का निर्यात करने वाले उद्योगों की मांग, इस्पात का सीधा निर्यात, संसाधनों की उपलब्धि आदि-आदि ।

(ख) इस्पात उद्योग के लिए एक दीर्घकालीन संदर्शन योजना बनाने के लिए स्टील अथारिटी आफ इंडिया लि० के तकनीकी निदेशक की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति गठित की गई है ।

### मापक गिलासों की कमी

**982. श्री डी० पी० चन्द्र गोडा : क्या स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार औषध स्टोरों में बड़ी बोतलों से तरल औषध मापने के लिये प्रमाणीकृत मिलि-लिटर गिलास (जो प्राप्त करने कठिन हैं) रखने पर जोर दे रही है;

(ख) क्या कुछ औषध विक्रेताओं ने एक अथवा दो औंस जैसी छोटी मात्रा में तरल औषधों की बिक्री रोक दी है; और

(ग) यदि, हां तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

**स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक) :** (क) जी हां।

(ख) भारत सरकार के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार यह सही नहीं है ।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता।

### अलौह धातु की उत्पादन क्षमता

**983. श्री राम सहाय पांडे : क्या इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अलौह धातु की उत्पादन क्षमता बढ़ाने का सरकार की योजना है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

**इस्पात और खान मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) :** (क) जी हां,।

(ख) मुख्य अलौह धातु जैसे एल्युमिनियम तांबा, जस्ता तथा सीसा के उत्पादन की क्षमता में वृद्धि करने हेतु किए जा रहे उपाय निम्नलिखित हैं :—

**एल्यूमीनियम**

देश में एल्युमिनियम उत्पादन की वर्तमान स्थापित क्षमता 275,000 टन वार्षिक है । यह क्षमता हमारी वर्तमान मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त है । वास्तव में भारत एल्युमिनियम में आत्म निर्भर हो गया है । भविष्य में बढ़ने वाली मांग को ध्यान में रखकर उसकी पूर्ति के लिए 1,25,000 टन की अतिरिक्त वार्षिक क्षमता (100,000 टन सरकारी क्षेत्र में और 25,000 टन निजी क्षेत्र में) के लिए पहले ही लाइसेंस दिए जा चुके हैं तथा यह काम कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में है ।

(2) **ताँबा**

इस समय हिंदुस्तान कापर लि० के 3 प्रद्रावक है जिनकी स्थापित क्षमता प्रति वर्ष 57,000 मीटरी टन है, जिसका ब्यौरा इस प्रकार है :—

1. घटसिला में फ्लैश प्रद्रावक 16,500 मीटरी टन
2. घटसिला में परावर्त्तन भट्टी 9,500 मीटरी टन
3. खेतड़ी में फ्लैश प्रद्रावक 31,000 मी० टन

| | |
|---|---|
| जोड़ | 57,000 मी टन |

घटसिला में फ्लैश प्रद्रावक की प्रद्रावण क्षमता को 1980–81 तक लगभग 16,500 से बढ़ाकर 30,000 मीटरी टन तक किया जायगा। प्रस्तावित विस्तार के लिए सांध्यता रिपोर्ट पहले ही तैयार की जा चुकी है। इस प्रस्तावित विस्तार से जो क्षमता 1985-86 तक किए जाने वाले प्रायजित सांद्र उत्पादन के लिए पर्याप्त होगी।

इस समय उपलब्ध प्रद्रावण क्षमता को कच्चा माल जुटाने के लिए, हिंदुस्तान कांपरा लि० मे खनन क्षमता का विस्तार करने की योजनाऐं बनाई हैं, जिनका ब्यौरा निम्नलिखित है :—

**सुर्दा** :—1000 टन अयस्क की वर्तमान दैनिक उत्पादन दर को 1300 टन दैनिक किया जायगा :

**योसाबनी** : 55000 टन अयस्क की वर्तमान मासिक उत्पादन दर को बढ़ा कर 80,000 टन किया जायेगा ।

**चाँदमारी** : 500 टन अयस्क की वर्तमान दैनिक उत्पादन दर को 1000 टन दैनिक किया जायेगा।

**पालंजखण्ड** : इस परियोजना को इस प्रकार बनाया जा रहा है कि यह अंततः प्रति वर्ष 23,000 टन तांबा धातु के बराबर अयस्क/सांद्रों का उत्पादन कर सके।

(3) **जस्ता**

इस समय देश में जो जस्ता प्रद्रावक हैं, एक उदयपुर के निकट देवरी में, जो सरकारी क्षेत्र में है तथा इसे हिंदुस्तान जिंक लि० चला रहा है, और दूसरा अलवाए (केरल) में, जो निजी क्षेत्र में है, जिसे कोमिन्को बिनानी जिंक लि० चला रहा है। देवरी स्थित प्रद्रावक की वार्षिक क्षमता को 18,000 टन से बढ़ाकर 45,000 टन किया जा रहा है? हिंदुस्तान जिंक लि० 30,000 टन वार्षिक क्षमता का एक जस्ता प्रद्रावक विशाखापत्तनम में भी स्थापित कर रहा है जो आयातित सांद्रों पर आधारित होगा। हिंदुस्तान जिंक लि० की दोनों योजनाओं के 1976 के अन्त तक कार्यरूप में परिणत हो जाने की संभावना है। इसके अलावा, मै० कोमिन्को बिनानी जिंक लि० को अपनी वार्षिक क्षमता 20,000 टन से बढ़ाकर 40,000 टन कर देने के लिए एक आशय पत्र मंजूर किया गया है। इन परियोजनाओं के पूरा होने पर जस्ता उत्पादन की वर्षिक क्षमता बढ़कर 115,000 टन हो जाएगी।

(4) **सीसा :**

इस समय देश में टुंडू (बिहार) में केवल एक सीसा प्रद्रावक है, जो सरकारी क्षेत्र में है और इसे हिंदुस्तान जिंक लि० द्वारा चलाया जा रहा है। इस प्रद्रावक का आधुनिकीकरण किया जा रहा है ताकि 8000 टन वार्षिक सीसा का उत्पादन किया जा सके। इसके अतिरिक्त, 10,000 टन वार्षिक क्षमता वाला एक सीसा संयंत्र विजाग जस्ता प्रद्रावक परियोजना के अन्तर्गत स्थापित किया जा रहा है, जिसके 1977 में चालू हो जाने की आशा है।

**अन्तर्राष्ट्रीय टेलीफोन और टेलीग्राफ, अमरीका के साथ तकनीकी और वित्तीय सहयोग करार**

984. **श्री सोमनाथ चटर्जी :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज" ने अन्तर्राष्ट्रीय टेलीफोन और टेलीग्राफ (आई० टी० टी०), अमरीका से तकनीकी और वित्तीय सहयोग के बारे में करार किये हैं।

(ख) यदि हां, तो करार की शर्तों की रूप रेखा क्या है ;

(ग) क्या वित्तीय सहयोग करार अभी भी लागू हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं?

**संचार मंत्री (डा० शंकरदयाल शर्मा)** : (क) जी हां।

(ख) से (घ) तक : इन्टरनेशनल टेलीफोन और टेलीग्राफ कार्पोरेशन ग्रुप के साथ भारत सरकार और इंडियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज लिमिटेड ने 21 मई, 1964 को दो करार किये थे। पहला करार इण्टरनेशनल स्टेंडर्ड इलेक्ट्रिक कार्पोरेशन (आई० टी० टी० ग्रुप की सहायक कम्पनी) के साथ भारत में पेंटाकोटा टाइप के क्रासबार स्विचिंग उपस्कर बनाने के लिए लाइसेंस देने और इंडियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज को 10 लाख अमरीकी डालरों के ऋण की मंजूरी तथा क्रासबार प्रायोजना की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के उद्देश्य से इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज लिमिटेड की साम्य पूंजी में 12.5 लाख अमरीकी डालरों के निवेश के लिए था। दूसरा करार बैल्जियम की बैल टैलीफोन मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी आफ एण्टवर्प (आई० टी० टी० ग्रुप के इण्टरनेशनल स्टैण्डर्ड इलेक्ट्रिक कार्पोरेशन की सहायक कम्पनी) के साथ भारत में क्रासबार एक्सचेंज उपस्कर के निर्माण के लिए तकनीकी जानकारी और उपस्कर उपलब्ध कराने के लिए था। आरम्भ में ये दोनों करार 21-5-1964 से 7 वर्षों की अवधि के लिए विधिमान्य थे। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज द्वारा करार में परिकल्पित उत्पादन-क्षमता प्राप्त करने और डाक-तार विभाग को क्रासबार एक्सचेंजों के संचालन में हुई कठिनाइयों को दूर करने के लिए दोनों करारों की अवधि 20 मई, 1971 के बाद एक-एक वर्ष के लिए दो बार बढ़ाई गई थी। बढ़ाई अवधि

में आई० टी० आई० द्वारा इण्टरनेशनल स्टेण्डर्ड इलेक्ट्रिक कार्पोरेशन को कोई स्वामित्व नहीं देना था । इण्टरनेशनल स्टेण्डर्ड इलेक्ट्रिक कार्पोरेशन द्वारा दिया कर्ज आई० टी० आई० को अभी लौटाना है । भारत सरकार द्वारा आई० टी० आई० में इण्टरनेशनल स्टेण्डर्ड इलेक्ट्रिक कार्पोरेशन के साम्य अंशों (शेअर) को खरीदने का प्रश्न अभी विचाराधीन है ।

**भारत-अमरीकी संबंध**

985. **श्री प्रसन्नभाई मेहता** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और अमरीका के संबंधों में सुधार हो रहा है; और

(ख) क्या अमरीका संबंध सुधारने का बहुत इच्छुक है और इसके प्रतीक के रूप में भारत को और अधिक यूरेनियम सप्लाई करने को सहमत हो गया है ?

**विदेश मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विपिन पाल दास)** : (क) संयुक्त राज्य अमरीका के साथ परिपक्व और रचनात्मक संबंध रखना भारत सरकार की नीति है । हाल के वर्षों में इन संबंधों में सुधार दृष्टिगोचर हुआ है।

(ख) असैनिक कार्यों के लिए परामाणु-ऊर्जा के उपयोग पर सहयोग के बारे में 1963 के करार के अन्तर्गत संयुक्त राज्य अमरीका तारापुर परमाणु बिजली घर के लिए ईंधन सप्लाई करने के लिए वचन बद्ध हैं । इस वर्ष के लिए कुछ बेहतर यूरेनियम की पहली खेप जिसके आने में संयुक्त राज्य अमरीका में कतिपय वर्गों के विरोध के कारण कुछ विलम्ब हो गया था, जुलाई, 1976 में छोड़ दी गयी थी। दूसरी खेप के लिए निर्यात लाइसेंस देने पर न्यूक्लीअर रेगुलेट्री कमीशन अभी विचार कर रहा है और उसने अभी तक इस बारे में कोई निर्णय नहीं लिया है ।

**उत्तर प्रदेश में भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण**

986. **मौलाना इसहाक संभली** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार उत्तर प्रदेश में विशेषकर पहाड़ी क्षेत्रों में खनिज निक्षेपों का पता लगाने के लिये, इस समय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण कर रही है, और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले ?

**इस्पात और खान मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद)** : (क) और (ख) : भारतीय भूगर्भ सर्वे संस्था खनिज भंडारों के लिए इस समय यू० पी० अलमोड़ा, पिथौरागढ़, चमोली तथा बांदा, झांसी और मिर्जापुर जिलों सहित अन्य इलाकों में खोज कार्य कर रही है । इस समय खोज के नतीजों के बारे में कोई संकेत देना संभव नहीं है । उत्तर प्रदेश के इन इलाकों में भूगर्भ सर्वे द्वारा अब तक खोजे गए खनिज निक्षेपों का ब्योरा सभा पटल पर रखा जाता है । [ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी०-11144/76]।

**हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड का पुनर्गठन**

987. **श्री बालकृष्ण वेंकन्ना नायक** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड के पुनर्गठन में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

**इस्पात और खान मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद)** : हिंदुस्तान स्टील लि० के पुनर्गठन में कंपनी अधिनियम तथा कुछ दूसरे कानूनों के उपबन्धों के अन्तर्गत कई कानूनी तथा दूसरी औपचारिकताऐं शामिल हैं । इन औपचारितकताओं को शीघ्रातिशीघ्र पूरा करने के लिए कार्रवाई की जा रही है। इस बीच केंद्रीय बिक्री संगठन, केंद्रीय परिवहन और नौवहन संगठन तथा हिंदुस्तान स्टील लि० के लन्दन के कार्यालय का प्रशासनिक नियंत्रण सेल इंटरनेशनल लि० को सौंपा दिया गया है । इसी प्रकार अनुसंधान और विकास संगठन तथा प्रबंध प्रशिक्षण संस्थान का प्रशासनिक नियंत्रण स्टील अथारिटी आफ इंडिया लि० को सौंप दिया गया है।

**बीड़ी उद्योग में मजदूरों को अपर्याप्त मंजूरी की अदायगी**

988. **श्री एम० एस० पुरती :** क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या बीड़ी उद्योग को भारी लाभ हो रहा है लेकिन कर्मचारियों को उचित मजदूरी नहीं दी जाती।

(ख) क्या बीड़ी सत्पादन पर लगे शुल्क के एक भाग का उपयोग कर्मचारियों के कल्याण के लिये किया जायेगा; और

(ग) क्या सरकार को बीड़ी निर्माताओं द्वारा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अनुसार अपने कर्मचारियों को भुगतान न करने के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं ?

**श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा)** : (क) और (ग) । बीड़ी उद्योग द्वारा अर्जित किए गए मुनाफे के संबंध में सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है । बीड़ी श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी का भुगतान करना राज्य कार्यक्षेत्र में आता है और न्यूनतम मजदूरियां निर्धारित करने के लिए और उनके प्रवर्तन के लिए आवश्यक कदम उठाने के लिए राज्य सरकारें न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अन्तर्गत उचित सरकारें हैं।

(ख) बीडी श्रमिक कल्याण सेस अधिनियम, 1976 (1976 का सं० 56) में बीड़ी श्रमिक कल्याण निधि अधिनियम, 1976 के प्रयोजन के लिए सेस लगाने और एकत्र करने की व्यवस्था है जो उतने तम्बाकू पर लगाया जाएगा जो किसी व्यक्ति को भंडार से बीड़ी के निर्माण सम्बन्धी प्रयोजन के लिए जारी किया जाए, इसमें ऐसे दर पर उत्पादन कर लगाने की व्यवस्था है जो ऐसे तम्बाकू पर प्रति किलोग्राम एक रुपए से अनधिक होगा जैसा कि केंद्रीय सरकार समय समय पर सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निर्धारित करे।

**कीटनाशी औषधियों एवं मलेरिया की रोकथाम वाली औषधियों की कमी**

989. **श्री पी० गंगा देव :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कीटनाशी औषधियों और मलेरिया की रोकथाम वाली औषधियों की कमी है;

(ख) यदि हां, तो बार-बार होने वाले मलेरिया की रोकथाम में सहायता करने के लिए उपरोक्त दोनों मदों में पर्याप्त उपयोग हेतु इनका आयात करने के लिये क्या उपाय किये जा रहे हैं; और

(ग) ग्रामीण क्षेत्रों में मलेरिया निरोधक व्यवस्था को पूरी तरह सुधारने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

**स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक)** : (क) और (ख): डी० डी० टी० की कुछ मात्रा को छोड़कर सभी कीटनाशक औषधियां देश में उपलब्ध हैं । 1976–77 में 75 प्रतिशत डी०. डी० टी० की 4000 एम० टी० और क्लोरोक्विन तथा प्राइमाकुनीन पाउडर की अपेक्षित मात्रा आयात की जा चुकी है अथवा की जा रही है । युनिसेफ और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी मलेरिया निरोधी औषधियों की कुछ मात्रा भेंट के तौर पर दी हैं ।

(ग) (i) देश में मलेरिया रोकने संबंधी कार्य-संचालन की एक संशोधित योजना तैयार कर ली गई है । मौजूदा एककों को जो देहातों में मलेलिया निरोधी कार्य कर रहे हैं, पुनर्गठित किया जायेगा।

(ii) क्षेत्र कर्मचारियों के निरीक्षण को तेज कर दिया गया है।

(iii) राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के अन्तर्गत पर्याप्त औषधियां उपलब्ध की गई हैं । व्यापारिक स्रोतों के जरिये भी दवाइयां दी गई हैं । जहां यह आशंका है कि औषधियां स्वास्थ्य कर्मचारियों के जरिये नहीं पहुंचेगी, वहां पंचायतों के जरिये मलेरिया निरोधी दवाइयां सप्लाई की जा रही हैं।

(iv) पी० फाल्सीपैरम किस्म के मच्छरों में क्लोरोक्विन के हजम करने की शक्ति किस सीमा तक आ गई है इस बात का पता लगाने तथा उन पर औषधियां का क्या प्रभाव पड़ता है यह जानने के लिए औषधि प्रतिरोध शक्ति के बारे में अध्ययन किए जा रहे हैं । इस स्थिति का सामना करने के लिए संबंधित एककों को क्विनीन की गोलियां / एम्पाउल्स दे दिये गये हैं ।

(v) राज्यों को इस वर्ष अनेक कीटनाशक औषधियां अधिक मात्रा में सप्लाई की गई हैं । उन एककों को वैकल्पिक कीटनाशक औषधियां दे दी गई हैं जहां पर वैक्टर डी० डी० टी० सहन करने वाले बन गय हैं।

**बकिंगम नहर को चौड़ा करना**

990. **श्री के० सूर्य नारायण :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बकिंघम नहर को चौड़ा करने का कोई प्रस्ताव है ताकि अन्तर्देशीय जल परिवहन को और अधिक उपयोगी बनाया जा सके; और

(ख) यदि हां, तो उक्त योजना की मुख्य बातें क्या हैं ?

**नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० एम० त्रिवेदी) :** (क) भारत सरकार ने इस नहर को गहरा करने के लिए आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सरकारों को अब तक 69.60 लाख रुपये की केंद्रीय सहायता दी है। केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त अध्ययन दल ने 1974 में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में सिफारिश की है कि इस नहर के सुधार के लिए आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सरकारें देशी नौकाओं के यंत्रीकरण करने और सहकारी समितियां आदि बनाने के लिए कार्यवाही करनी शुरु करें जिससे इस क्षेत्र में अन्तर्देशीय जल परिवहन का विकास हो सके। दोनों राज्य सरकारों द्वारा इस दिशा में कार्यवाही नहीं की गई है और उपरोक्त धन राशि लगाने के बावजूद इस नहर को गहरा करने के प्रथम चरण में नहर में चलाई जाने वाली नौकाओं की संख्या में अथवा ढुलाई के टनभार में कोई सुधार नहीं हुआ है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की राज्य सरकारों को फरवरी, 1976 में सूचित किया गया कि नहर को और गहरा चौड़ा करने के लिए उनकी योजनाएं 2 वर्षों के लिए रोक ली जाएँ और उसके बाद स्थिति की समीक्षा की जाये।

(ख) प्रथम चरण में नहर की गहराई 3 फुट और चौड़ाई 20 फुट की जाय। दूसरे चरण में गहराई और चौड़ाई में वृद्धि करके क्रमश: 6 फुट और 33 फुट करने का प्रस्ताव है।

**हल्दिया में 'लाक-गेट' का क्षतिग्रस्त होना**

991. **श्री मोहम्मद इस्माइल :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हल्दिया में नया निर्मित "लोक ग्रेट" क्षतिग्रस्त हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ?

**नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० एम० त्रिवेदी) :** (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

**Setting up of Benefactory Branch of Rock Phosphate in Rajasthan**

992. **Shri Lalji Bhai :** Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state :

(a) whether vigorous efforts are being made to set up a benifactory branch of rock phosphate mineral in Jhamar Kotra region of Udaipur (Rajasthan); and

(b) whether World Bank has also proposed to give financial assistance to this branch ?

**Deputy Minister in the Ministry of Steel and Mines (Shri Sukhdev Prasad) :** (a) Government have under consideration the integrated development of Jhamar Kotra rock phosphate deposits on scientific lines including establishment of such beneficiation facilities as would be needed.

(b) The World Bank has shown interest in the further development of these deposits. The stage has not been reached, however, to decide whether the World Bank need to be approached for any assistance.

**अन्तरिम राहत के बारे में गैरपत्रकार मजूरी बोर्ड**

993. **चौधरी रामप्रकाश :** क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गैर-पत्रकार मजूरी बोर्ड ने अन्तरिम राहत के बारे में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) :** : (क) और (ख) मजदूरी बोर्ड से मजदूरी की अन्तरिम दरें निर्धारित करने के प्रश्न पर विचार देने को कहा गया था। ये प्राप्त हो गए हैं और उनका अध्ययन किया जा रहा है।

### ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य की देखभाल

994. **श्री सुबोध हंसदा** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य संरक्षण और चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार के बारे में नवीनतम कार्यक्रम और स्थिति की रिपोर्ट क्या है ;

(ख) क्या सरकार को ग्रामीण स्वास्थ्य योजना के प्रस्तुतीकरण एवं क्रियान्वयन में भारतीय चिकित्सा संघ से पूर्ण सहयोग और समर्थन मिल रहा है; और

(ग) क्या सरकार ने ग्रामीण स्वास्थ्य योजना के लिए नेशनल फोरम आफ डाक्टर्स (राष्ट्रीय डाक्टर फोरम) का समर्थन प्राप्त करने के लिए उससे अनुरोध किया है ?

**स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक)** : (क) देहातों में इलाज की सुविधाएं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, उपकेंद्रों, एलोपैथिक, आयुर्वेदिक तथा यूनानी औषधालयों के माध्यम से दी जा रही हैं ।

31 मार्च, 1976 की स्थिति के अनुसार देश में इस समय 5,328 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र काम कर रहे हैं । देहातों में निदान की बेहतर सुविधाऐं प्रदान करने और पर्याप्त इलाज की व्यवस्था करने के लिए यह फैसला किया गया है कि हर चार प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में से एक केंद्र को 30 पलंगों वाला एक ग्राम अस्पताल बनाया जाय ताकि भायुर्विज्ञान, सल्य विज्ञान, संवेदना हरण विज्ञान, प्रसूति और स्त्री रोग विज्ञान संबंधी आम और विशेषज्ञ दोनों किस्म की सेवाएं उपलब्ध की जा सकें ।

देहातों में चिकित्सा की बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करने के लिए पांचवीं योजना में निम्नलिखित कार्यक्रमों को कार्यान्वित कराने का विचार है :—

(1) प्रत्येक सामुदायिक विकास खण्ड के लिए एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलना ।

(2) प्रत्येक 10,000 की आबादी के लिए एक उप केंद्र खोलना ।

(3) प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के भवनों, स्टाफ क्वार्टरों की और इन केंद्रों और उप-केंद्रों में उपकरणों की इस समय जो कमियां हैं उन्हें समन्वित रूप से दूर किया जाएगा । प्रत्येक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और उप-केंद्र को प्रति वर्ष दवाईयां के लिए क्रमशः 12,000 रुपए और 2,000 रुपए देने की भी व्यस्था की जानी है ।

(4) देश भर में चरणवार बहुद्देश्यीय कार्यक्रम चलाना ।

(ख) जी हां

(ग) जी नहीं ।

### जूनागढ़, जामनगर और राजकोट जिलों में नये टेलीफोन कनेक्शनों के लिये अनिर्णीत आवेदन

995. **श्री अरविन्द एम० पटेल :**
**श्री एन० आर० बेकारिया :**

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जूनागढ़, जामनगर और राजकोट जिलों में नये टेलीफोन कनेक्शनों के लिए बड़ी संख्या में आवेदन सरकार के पास विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो उस बारे में तथ्य क्या हैं; और

(ग) नये कनेक्शन देने के लिए सरकार ने क्या मानदण्ड अपनाया है ?

**संचार मंत्री (डा० शंकर दयाल शर्मा)** : (क) से (ख) : वांछित सूचना एकत्र की जा रही है और उसे लोक सभा पटल पर रख दिया जायेगा ।

(ग) ओ० वाई० टी० विशेष और सामान्य श्रेणियों के अन्तर्गत टेलीफोन कनेक्शन की अग्रिम जमा की अदायगी कर देने पर अर्जियां दर्ज की जाती हैं। इस समय जो नियम लागू हैं, उनके अनुसार टेलीफोन की अलाट की जाने वाली क्षमता इन तीनों श्रेणियों में 75:10:15 के अनुपात में बांट दी जाती है। ओ० वाई० टी० के 2 अन्तर्गत कनेक्शनों के 2½ प्रतिशत और विशेष श्रेणी के अन्तर्गत 5 प्रतिशत कनेक्शन टेलीफोन सलाहकार समिति की सिफारिशों पर बिना बारी के आधार पर दिए जाते हैं और शेष कनेक्शन रजिस्ट्रेशन के क्रम में दिए जाते हैं इसके अलावा ओ० वाई० टी० श्रेणी के अन्तर्गत बिना बारी के कनेक्शन सरकारी विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थानों और विदेशी मुद्रा अर्जित करने वाले व्यक्तियों को दिये जाते हैं। गैर ओ० वाई० टी० श्रेणी में बिना बारी के कनेक्शन विदेशी प्रतिनिधि मंडलों, संसद सदस्यों, विधायकों, विशिष्ट व्यक्तियों आदि को दिए जाते हैं

### Tracing of Boat with Cargo Bound for Bombay

996. **Shri Bhagirath Bhanwar :** Will the Minister of **Shipping and Transport** be pleased to state :

(a) whether a boat with cargo, which sailed for Bombay from Kozhikode on 27th April, 1976 and disappeared, has since been traced;

(b) if so, number of days it took to trace it and the reasons for its disappearance;

(c) the value and items of goods in the boat as also the number of persons therein; and

(d) whether it contained smuggled goods ?

**The Minister of State in the Ministry of Shipping and Transport (Shri H. M. Trivedi) :** (a) It is presumed the Hon'ble Member is referring to the boat S.V. Jaywanti, O. N. No. ETN-102 registered at Ratnagiri. The vessel sailed from Calicut on 27-4-1976 for Bombay. According to the report received from Govt. of Maharashtra, Home Deptt., the wreck of the vessel has since been traced.

(b) The vessel sailed from Calicut on 27-4-1976. The Collector of Ratnagiri reported missing of the vessel on 16-6-1976. The wreck was reported to Customs Inspector Dantiware, District Thanea on 27-6-1976. The reasons for disappearance of vessel will be known after an inquiry has been conducted by the Mercantile Marine Department.

(c) According to the Port Officer, Calicut S.V. Jaywanti had about 190 CM of timber planks of different sizes valued at Rs. 46720 and the number of persons on board was eleven.

(d) No report has been received from any source about the said vessel carrying any smuggled goods.

### केरल में राष्ट्रीय राजपथों का निर्माण

997. **श्री सी० जनार्दनन :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल राज्य से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजपथों के निर्माण में अब तक क्या प्रगति हुई है; और

(ख) वर्ष 1976-77 में इस प्रयोजन के लिए कितनी राशि नियत की गई है ?

**नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दलबीर सिंह) :** (क) केरल से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों (सड़क और पुल कार्यों के लिये अलग अलग) के निर्माण में 30 जून, 1976 तक हुई प्रगति को दिखाने वाले 2 विवरण संलग्न है। [**ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 11145/76**]।

(ख) केरल में 1976-77 के दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग (मूल) कार्यों के निर्माण के लिए 220.00 लाख रुपए की राशि निर्धारित की गई है।

### पूर्वी तिमोर को स्वतंत्रता संघर्ष के लिये सहायता

998. **श्री सरोज मुकर्जी :** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सरकार का पूर्वी तिमोर के लोगों को स्वाधीनता एवं प्रभुसत्ता के लिए संघर्ष में सहायता देने के लिए क्या उपाय करने का विचार है; और

(ख) क्या इस मामले को संयुक्त राष्ट्र संघ में उठाने के लिए कोई उपाय सोचे जा रहे हैं ?

**विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बिपिनपाल दास)** : (क) जैसा कि सदन को मालूम है, वर्तमान स्थिति यह है कि विभिन्न राजनीतिक वर्गों द्वारा निर्मित पूर्व तिमोर की अस्थायी सरकार ने एक जनसभा बुलाई जिसने 31 मई, 1976 को सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया कि इंडोनेशिया के साथ इस क्षेत्र को शीघ्र मिलाने के लिए इंडोनेशियाई सरकार से निवेदन किया जाए । अतः इंडोनेशिया ने इस बारे में कानून बनाया है जिसके परिणामस्वरूप पूर्व तिमोर को इंडोनेशिया के साथ अब मिला लिया गया है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

### चिली में राजनैतिक बंदियों को माफी देने की मांग के बारे में संयुक्त राष्ट्र संकल्प

999. **श्री सरोज मुकर्जी** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि संयुक्त राष्ट्र संघ के निवीय अधिकार आयोग द्वारा पारित उस संकल्प पर भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है जिस में चिली सरकार से चिली के नेता, लुइस कार्बालोन सहित 30,000 राजनैतिक बंदियों को माफी देने की मांग की गई है ?

**विदेश मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बिपिनपाल दास)** : चिली के राजनैतिक बंदियों को जिसमें लुइस-कार्बालोन भी शामिल है रिहा करने के सवाल पर मानवीय अधिकार आयोग 1974 से विचार कर रहा है । सरकार ने इस विषय पर मानवीय अधिकार आयोग के प्रस्तावों और निर्णयों का समर्थन किया है ।

### डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक आफ कोरिया के साथ व्यापार

1000. **श्री सरोज मुकर्जी** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक आफ कोरिया के साथ व्यापार बढ़ाने और उस देश के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध सुदृढ़ बनाने के लिए सरकार ने क्या उपाय किये हैं ?

**विदेश मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बिपिनपाल दास)** : कोरियाई लोकतांत्रिक जन गणराज्य के साथ भारत का व्यापार दीर्घावधि व्यापार एवं अदायगी करार से संचालित होता है जो भारत और उक्त देश के बीच 1974 में सम्पन्न हुआ था और फरवरी, 1977 तक वैध है । भारत और कोरियाई लोकतांत्रिक जनगणराज्य के बीच 1970 में मात्र 80 लाख रुपए का व्यापार हुआ था जो 1974 में बढ़कर 6 करोड़ 90 लाख रुपए और 1975 में 10 करोड़ 73 लाख रुपये हो गया । भारत ने कोरियाई लोकतांत्रिक जनगणराज्य के साथ अपने मैत्री संबंधों को सुदृढ़ करने का निरंतर प्रयास किया है ।

### गर्भनिरोधक के रूप में 'कापर-टी' उपकरण

1001. **सरदार महेन्द्र सिंह गिल** : क्या स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गर्भ निरोधक के रूप में 'कापर-टी' उपकरण लूप की अपेक्षा अधिक उपयोगी और लोकप्रिय सिद्ध हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार देश में इसका वाणिज्यिक आधार पर निर्माण करने और अस्पतालों एवं नर्सिंग होमों में उसकी सप्लाई करने के प्रश्न पर विचार कर रही है ?

**स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक)** : (क) जी, हां।

(ख) सरकार ने भारत में कापर-टी 200 बनाने का निर्णय लिया है । इस संबंध में ब्यौरा तैयार किया जा रहा है ।

### Auto Telephone System in cities of Madhya Pradesh

1002. **Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) whether Government proposed to introduce an auto-telephone system in important cities in Madhya Pradesh; and

(b) if so, the names of those cities and the time to be taken in completing this conversion?

**The Minister of Communications (Dr. Shankar Dayal Sharma):** (a) and (b) Bhopal, Indore, Gwalior, Jabalpur and Raipur are already having automatic exchanges. It is also proposed to convert telephone-exchanges at Ujjain , Bilaspur and Durg into automatic ones.

It is anticipated that Bilaspur automatic exchange may be commissioned by about 1979-80 and Ujjain and Durg by 1981-82.

**Survey to discover Coal deposits in M. P.**

**1003. Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state :

(a) whether any geological survey has been undertaken to discover the potential of coal deposits in Madhya Pradesh region;

(b) if so, the places where such deposits have been located; and

(c) the manner in which problems of deep coal mining have been solved ?

**The Deputy Minister in the Ministry of Steel and Mines (Shri Sukhdev Prasad) :** (a) Yes, Sir.

(b) Geological Survey of India has carried out regional exploration for coal in Lakhanpur, Sonhat, Jhilimili, and Mohpani coal fields and are also continuing investigation in Singrauli, Sohagpur, Bisrampur, Johilla, Korba, and Pench-Kanhan-Tawa valley coalfields. Besides, Hasdo-Arand, Ramkola-Tatapani and other coal bearing areas are also covered by large scale mapping. New coal deposits have been found in Jhingurdah seam in part of Singrauli coal field. Amilia 'A' Block in Sohagpur coal field, Jhagarkhand & Piparia in U-raria coal field and in Lakhanpur coal field.

(c) The Coal Mines Planning & Design Institute is studying use of air-coolers for lowering the temperature at Chinakuri and Sudamidih coal mines. The problems of deep mining are being attended to by stowing., horizon mining as in Sudamdih and Monidih, adoption of long wall method of mining, and by the use of heavy duty arches to meet strata pressure etc.

**Uniform Rates of Minimum Wages for Beedi Workers**

**1004. Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of **Labour** be pleased to state :

(a) whether Government are aware that there are different rates of minimum wages in different States for the beedi workers; and

(b) the action proposed to be taken to ensure uniform rates of minimum wages for the beedi workers in all the States ?

**The Deputy Minister in the Ministry of Labour (Shri Baigovind Verma) :** (a) and (b) It was agreed at the State Labour Ministers Conference held in September 1974, that the minimum rates of wages in the Beedi Industry should be revised further within the range of Rs. 4·50 and Rs. 5·00 for rolling 1000 beedis. This has been implemented by and large.

**Constitution of a Committee of Experts for Preparation of Ayurvedic Pharmacopoeia**

**1005. Dr. Laxminarain Pandeya :** Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 3434 on the 6th May, 1976 regarding constitution of a Committee of Experts for preparation of Ayurvedic Pharmacopoeia and state when the second or final part of the Standard Ayurvedic Formulary and Pharmacopoeia is likely to be submitted by that Committee.

**The Deputy Minister in the Ministry of Health and Family Planning (Shri A. K. M. Ishaque) :** Material for inclusion in the second part of the Ayurvedic Formulary of India is being collected. It shall be placed before the Ayurvedic Pharmacopoeia Committee at their next meeting. Basic matters regarding standard for inclusion in the Ayurvedic Pharmacopoeia are also to be considered by the Ayurvedic Pharmacopoeia Committee. No definite date can at this stage be fixed by when this work shall be completed.

There is a large number of formulations for inclusion in the Ayurvedic Formulary of India. There may, therefore, be more than one additional parts of the Ayurvedic Formulary of India and Ayurvedic Pharmacopoeia.

### कोचीन पोत्त प्रांगण में प्रथम जहाज का निर्माण

1006. **श्री वयालार रवि :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोचीन पोत प्रांगण में प्रथम जहाज के निर्माण में कितनी प्रगति हुई है; और

(ख) इसमें किस प्रकार के निर्माण कार्य पूरे किये जा चुके हैं और उनके कब तक चालू हो जाने की आशा है ?

**नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० एम० त्रिवेदी) :** (क) तथा (ख) ठेके की शर्तों के अनुसार पहले जहाज की जून, 1978 के अन्त में सुपुर्दगी की संभावना है जहाज की कील 11 फरवरी, 1976 को बिछाई गई ।

लगभग 8200 टन इस्पात पहले ही निर्माण स्थल में प्राप्त किया जा चुका है तथा 5900 टन की सितम्बर, 1976 तक पहुंचने की संभावना है। लगभग 2300 टन इस्पात पहले ही तैयार किया जा चुका है इसमें गोदी में दोहरी तल की निर्मित तथा संस्थापित 33 इकाइयां सम्मिलित हैं। पूरी की गई इस्पात की कुल असेंम्बलियां 1610 टन हैं। मेन इन्जिन, स्टीयरिंग गियर, शैफिटिंग तथा स्टर्न गियर, प्रार्पलर्स, स्टर्नफ्रेम तथा रडर आउटफिट के लिये पहले ही आर्डर दिये जा चुके हैं। विभिन्न अन्य मदों की प्राप्ति के लिये कार्यवाही प्रगति पर है ।

जहाज के 1977- की तीसरी तिमाही में जलावतरण किए जाने की संभावना है।

### Zinc Production

**1007. Shri Bhagirath Bhanwar :** Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state:

(a) the percentage of production of zinc to its requirements at present;

(b) the names of the main zinc producing centres at present and the main features of their production; and

(c) whether there is any scheme for their expansion ?

**The Deputy Minister in the Ministry of Steel and Mines (Shri Sukhdev Prasad) :** (a) to (c) There are at present two zinc smelters in the country—one in the public sector at Debari (near Udaipur) operated by the Hindustan Zinc Ltd., based on indigenous ore deposits, with a capacity of 18,000 tonnes per annum and another in the private sector at Alwaye (Kerala), operated by M/s. Cominco Binani Zinc Ltd., based on imported zinc concentrates. Production of zinc during 1975-76 was 27,829 tonnes which works out to about 35% of the country's requirements.

The Hindustan Zinc Ltd. is at present engaged in expanding the capacity of its Debari zinc smelter from 18,000 to 45,000 tonnes per annum and setting up a new 30,000 tonnes per annum zinc smelter (based on imported zinc concentrates) at Visakhapatnam (Andhra Pradesh). These are likely to be commissioned during 1976-77. A 'letter of intent' has also been issued for expansion of the Alwaye Zinc smelter from 20,000 to 40,000 tonnes per annum which may materialise early in the 6th Plan.

### वर्ष 1961, 1971 और 1975 में श्रमिक वर्ग के लिये उपभोक्ता मूल्य सूचकांक

1008. **श्री सोमनाथ चटर्जी :** क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1961, 1971 और 1975 में श्रमिक वर्ग रोजगार, उत्पादकता, मजूरी (मनी वेज) और वास्तविक मजूरी के संबंध में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक क्या थे; और

(ख) उक्त अवधि में ये ही आंकड़े राज्यवार क्या थे ?

**श्रम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) :** (क) श्रम ब्यूरो के] पास उपलब्ध सूचना संलग्न विवरण (संख्या 1) में दी गई है। [ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी०-1146/76]।

(ख) प्रत्येक सूचकांक के बारे में स्थिति सूचना नीचे दी जाती है :—

**(i) श्रमजीवी वर्ग (औद्योगिक श्रमिक) संबंधी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक :**

श्रम ब्यूरो उपभोक्ता मूल्य सूचकांकों का संकलन राज्यवार नहीं कर रहा है। तथापि कुछ महत्वपूर्ण औद्योगिक केन्द्रों के बारे में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक संलग्न विवरण (संख्या-2) में दिए जाते हैं : **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०-11146/76]।**

(ii) **रोज़गार सूचकांक :**

1961, 1971 और 1973 के वर्षों के संबंध में कारखानों, खानों और बागान के राज्यवार सूचकांक संलग्न विवरण (संख्या 3) में दिए जाते हैं। **[ग्रन्थायय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०-11146/76]।**

(iii) **उत्पादित सूचकांक :**

केवल चुने हुए उद्योगों के संबंध में ही अखिल भारतीय स्तर पर सूचकांक उपलब्ध हैं और वर्ष 1961 और 1966 (नवीनतम उपलब्ध वर्ष) के संबंध में संलग्न विवरण (संख्या 4) में दिए जाते हैं। **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०-11146/76]।**

(iv) **मुद्रा आय के सूचकांक :**

1971 और 1972 (नवीनतम उपलब्ध) के वर्षों के सम्बन्ध में, विनिर्माण उद्योगों और खनन उद्योगों में मुद्रा आय संबंधी 1961-100 आधार वाले राज्यवार सूचकांक संलग्न विवरणों (संख्या 5-क और 5-ख) में दिए जाते हैं। बागान श्रमिकों के संबंध में मुद्रा आय के सूचकांक उपलब्ध नहीं हैं।

(v) **वास्तविक आय के सूचकांक :**

चूंकि औद्योगिक श्रमिकों संबंधी उन उपभोक्ता मूल्य सूचकांकों का, जो मुद्रा आय के सूचकांकों को वास्तविक आय में बदलने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, संकलन राज्य-वार नहीं किया जाता, इसलिए वास्तविक आय के सूचकांक, राज्यवार, देना संभव नहीं है।

तथापि, 1971 और 1972 के लिए, विनिर्माण और खनन क्षेत्र के सम्बन्ध में (1961-100) आधार वाले अखिल भारतीय स्तर पर वास्तविक आय के सूचकांक संलग्न विवरण संख्या 1 में पहले ही दे दिए गए हैं।

### आपातस्थिति के पश्चात् श्रमिकों की आय में वृद्धि

1009. **श्री एस० आर० दामाणी :** क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आपातस्थिति की घोषणा के पश्चात् उद्योग के संगठित क्षेत्र में कुल कितने जन-दिवसों की हानि हुई और पिछले वर्ष की उसी अवधि की तुलना में यह स्थिति क्या है ;

(ख) विशेषरूप से भारी इंजीनियरी, कपड़ा तथा पटसन उद्योग में कितने जन-दिवसों की हानि हुई ; और

(ग) क्या आपातस्थिति की घोषणा के पश्चात् श्रमिकों की आय में वृद्धि हुई है और यदि हां, तो कितनी ?

**श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा)** : (क) से (ग) एक विवरण सभा की मेज़ पर रखा गया है। **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०-11147/76]।**

### यमुना-पार की नई पुनर्वास बस्तियों में अपर्याप्त चिकित्सा सुविधाएं

1010. **श्री भान सिंह भौरा :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान यमुना-पार नई पुनर्वास कालौनी में अपर्याप्त चिकित्सा सुविधाओं के कारण बीमारियों के कारण होने वाली मौतों की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उन्हें तुरन्त एवं पर्याप्त चिकित्सा सुविधाएं देने के लिए क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

**स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक)** : (क) सरकार के ध्यान में ऐसी कोई घटनाएं नहीं आई हैं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता। अलबत्ते, अब तक यमुना पार स्थापित नई पुनर्वास बस्तियों में चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करने के लिए दिल्ली प्रशासन द्वारा हाल ही में तीन औषधालय खोले गए हैं जो इस प्रकार हैं :—

(1) कल्याणपुरी औषधालय,

(2) त्रिलोकपुरी औषधालय,

(3) खिचड़ीपुर औषधालय।

### भिलाई तथा बोकारो इस्पात संयंत्रों के लिये विस्तार कार्यक्रम

1011. **श्री एस० ए० मुरुगनत्तम** } : क्या **इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :
**श्री चन्द्रशेखर सिंह** }

(क) क्या भिलाई तथा बोकारो इस्पात संयंत्रों के विस्तार कार्यक्रमों पर बातचीत करने के लिए इस्पात मंत्रालय के सचिव ने हाल ही में मास्को का दौरा किया था; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

**इस्पात और खान मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद)** : (क) और (ख) रूस सरकार की विदेशी आर्थिक मामलों की राज्य-समिति के निमन्त्रण पर जुलाई, 1976 में तीन सदस्यों का एक शिष्टमण्डल रूस गया था। इस शिष्टमण्डल के नेता इस्पात विभाग के सचिव थे। इस अवसर पर तीसरे देशों में कारखाने लगाने में भारतीय भागीदारी, इस्पात के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास कार्य में आपसी सहयोग, बोकारो और भिलाई में चल रहे इस्पात कारखानों के विस्तार कार्य से संबंधित कुछ मामलों आदि महत्वपूर्ण मामलों पर सोवियत सरकार के संबंधित मंत्रालयों और संगठनों के साथ विचार-विमर्श किया गया था। यह भी फैसला हुआ था कि दोनों ओर के विशेषज्ञों द्वारा इस बारे में शीघ्र ही विशिष्ट विषयों पर आगे विस्तार-पूर्वक विचार-विमर्श किया जाए।

### परिवार नियोजन के लिये विश्व बैंक से सहायता

1012. **श्री जगन्नाथ मिश्र** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने परिवार नियोजन कार्यक्रम के लिए विश्व बैंक से ऋण मांगा है;

(ख) यदि हां, तो बैंक की उस पर क्या प्रतिक्रिया हुई है ?

**स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक)** : (क) और (ख) विश्व बैंक के अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ की सहायता से एक जनसंख्या परियोजना पहले ही भारत में चल रही है। अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ ने 212 लाख डालर का एक ऋण अपनी सामान्य शर्तों पर अर्थात् एक प्रतिशत का तीन चौथाई सर्विस चार्जिस के रूप में दिया है जिसे 10 वर्षों की ग्रेस अवधि सहित 50 वर्षों में लौटाया जाएगा। स्वीडन सरकार भी इस परियोजना को 106 लाख डालर की आर्थिक सहायता देती है। भारत सरकार सभी नियमित आपरेशन खर्चों के लिए, जो परियोजना जिलों में भारत सरकार के पैटर्न के अन्तर्गत आते हैं, आर्थिक सहायता देगी। अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ तथा स्वीडन से प्राप्त धन का उपयोग इस परियोजना के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश के छः जिलों (लखनऊ, सुलतानपुर, रायबरेली, प्रतापगढ़, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर) तथा कर्नाटक के पांच जिलों (बंगलौर, टुंकुर, शिमोगा, कोलार तथा चित्रदुर्ग) में अतिरिक्त सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए किया जायेगा। यह परियोजना पांच वर्ष की समयबद्ध अवधि के लिए है और इसे पहली अप्रैल, 1973 से चलाया जा रहा है।

**Circulars by Delhi Administration regarding Family Planning**

**1013. Shri Ramavtar Shastri :** Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state :

(a) whether circulars dated 16th and 18th June, 1976 alongwith a form in regard to Family Planning have been circulated by the Government of India among the doctors and employees working in its Health Department at Delhi;

(b) if so, an outline thereof; and

(c) the reaction of Government thereto ?

**The Deputy Minister in the Ministry of Health and Family Planning (Shri A. K. M. Ishaque):** (a) No circular dated 16th and 18th June, 1976 alongwith a form in regard to Family Planning have been circulated by Government of India. However, on 28th June, 1976 D.O. letters were addressed by the Department of Family Planning to all the Secretaries of Government of India enclosing therewith a proforma in which all the Central Government employees were required to furnish certain information.

(b) The information asked for in the proforma was (1) marital status of Government servant, (2) Age of Government servant and his spouse, (3) Number of living children, (4) age of last child, (5) whether adopting any Family Planning measures etc. The information was asked for to collect and analyse data of data of eligible couples who are in reproductive age group and who have 3 or more children and have not yet adopted Family Planning measures.

(c) The question of reaction of the Government does not arise.

**दक्षिण अफ्रीका में जातिमूलक हिंसात्मक घटनाएं**

**1014. श्री भान सिंह भौरा**
**श्री के० एम० मधुकर** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :
**श्री मूलचन्द डागा**

(क) क्या सरकार को दक्षिण अफ्रीका में हाल ही में हुई जातिमूलक हिंसात्मक घटनाओं की जानकारी है ; और

(ख) इन हिंसात्मक घटनाओं का वहां पर रहने वाले भारतीयों पर कितना प्रभाव पड़ा है।

**विदेश मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बिपिनपाल दास) :** (क) जी हां।

(ख) भारतीय मूल के लोगों पर (जो कि दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रीक हैं) दक्षिण अफ्रीका के अन्य अश्वेत लोगों की तरह ही असर पड़ा है । प्राप्त समाचारों के अनुसार भारतीय मूल के 100 परिवारों को उनके जमे-जमाये बाजार के क्षेत्र से जबरन हटा दिया गया है। तीन छात्र नेताओं को गिरफ्तार भी किया गया है।

**पारादीप पत्तन को दिये गये ऋण**

**1015. श्री अर्जुन सेठी :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पारादीप पत्तन को आरम्भ से किस किस प्रकार के ऋण दिये गये; और

(ख) पारादीप पत्तन पर कितनी प्रगति हुई है और इसके विकास के लिये केन्द्रीय सरकार ने कितनी सहायता तथा सहयोग दिया है ?

**नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० एम० त्रिवेदी) :** (क) पारादीप पत्तन में 1-6-65, जब से केन्द्रीय सरकार ने इस पत्तन का अधिग्रहण किया है, राज्य सरकार द्वारा लगाई गई सम्पूर्ण पूंजी पत्तन को ऋण के रूप में मानी गई है जिसे पत्तन ने राज्य सरकार को वापिस करना है। 1-6-965 के बाद पत्तन को केन्द्रीय सरकार द्वारा दिया गया ऋण विकास योजनाओं के लिये "अर्थोपाय" अग्रिम और ऋण के रूप में है।

(ख) माल की धराउठाई के लिये पत्तन में उपलब्ध सुविधाओं और उपस्करों में, यातायात की मांगों, चालू और परिकल्पित दोनों को ध्यान में रखते हुए सुधार किया गया है और कुछ वर्षों तक बढ़ाया गया है। पत्तन में उपलब्ध अधिक महत्व के उपस्करों में लोकोमोटिवज, रीयर डम्पर्ज और फ्रंट एंड लोडर्ज (कोयले की

धराउठाई के लिए) और तिरते जलयान जैसे कर्षनाव लान्च, बजरे, आदि शामिल हैं। एक सामान्य माल घाट अप्रैल, 1975 में चालू किया गया। कटाव के प्रभाव को रोकने के लिये, 1200 मीटर से अधिक की दूरी पर एक समुद्री दीवार पूरी कर ली गई है और 3150 मीटर की समुद्री दीवार के शेष भागों के ठेके दिये गये हैं। लौह अयस्क वैगनों की धरा उठाई के लिये वैगन टिपलरों के लिये ठेका दे दिया है और फिलहाल खनिज लौह यातायात की धराउठाई की सुविधा के लिये अन्तरिम उतार सुविधाओं की स्वीकृति दी जा चुकी है। पत्तन में खनिज लौह धराउठाई पद्धति में कुछ सुधार और परिवर्तन किये जाने के लिये सहमति हो गई है ताकि मौजूदा संयंत्र के उत्पादन में वृद्धि की जा सके और इस संबंध में अनुवर्ती कार्यवाही की जा रही है। एक मालगोदाम, 269 आवासीय मकानों और पत्तन को बिजली की सप्लाई के लिये दो के० बी० लाइनों का निर्माण पूरा कर लिया गया है। विकास के लिये कुछ और प्रस्तावों पर सरकार विचार कर रही है।

### एक व्यापक निदर्शन (डीमांस्ट्रेशन) परियोजना को विकास करने के लिये विश्व बैंक से सहायता

**1016. श्री के० मालन्ना :** क्या स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने उत्तर प्रदेश और कर्नाटक के सीमित क्षेत्र में एक व्यापक निदर्शन परियोजना का विकास करने के लिए विश्व बैंक से सहायता मांगी है; और

(ख) यदि हां, तो परियोजनाओं के लागत सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

**स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक) :** (क) जी हां।

(ख) पहली अप्रैल, 1973 से आरम्भ हुई इस परियोजना के संचालन पर पांच वर्ष की अवधि में 318 लाख डालर खर्च आयेगा। इस रकम का एक तिहाई अर्थात् 106 लाख डालर अनुदान स्वरूप स्वीडन से मिलेगा तथा दो तिहाई अर्थात् 212 लाख डालर अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ से ऋण के रूप में मिलेगा जो उनकी सामान्य शर्तों पर अर्थात् सर्विस चार्जिस के रूप में एक प्रतिशत का तीन चौथाई होगा और जिसे 10 वर्षों की ग्रेस-अवधि समेत 50 वर्षों में लौटाना होगा। भारत सरकार सभी नियमित आपरेशनल खर्चों के लिए, जो परियोजना जिलों में भारत सरकार के पैटर्न के अन्तर्गत आते हैं, आर्थिक सहायता देगी। अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ तथा स्वीडन द्वारा दिए गए धन का उपयोग इस परियोजना के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश के छः जिलों—लखनऊ, सुलतानपुर, रायबरेली, प्रतापगढ़, मुज़फ्फरनगर और सहारनपुर तथा कर्नाटक के पांच जिलों—बंगलौर, टुंकुर, शिमोगा, कोलार और चित्रदुर्ग में और अधिक सुविधायें दिलाने के लिए किया जायेगा। यह परियोजना, जो पांच वर्ष की समयबद्ध अवधि तक चलेगी पहली अप्रैल, 1973 से शुरु हुई थी।

### क्षय रोग के नियन्त्रण के लिये कार्यवाही

**1017. श्री आर० के० सिन्हा :** क्या स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में क्षय रोग का पता लगाने और इसका उपचार करने के लिए राज्य-वार कुल कितने क्षय रोग नियंत्रण अधिकारी तथा क्लिनिक हैं तथा उनमें कितने रोगी दाखिल हैं;

(ख) गत तीन वर्षों में कितने क्षय रोगियों का उपचार किया गया तथा रोग मुक्त किया गया; और

(ग) जिन वर्गों में व्यक्तियों को क्षय रोग होने की संभावनाएं रहती हैं उन पर इस रोग का प्रभाव न पड़ने देने के लिए अभियान चलाने हेतु तथा उनके रोग का प्रारम्भिक अवस्था में ही पता लगाने तथा उपचार करने के लिए क्या अन्य उपाय करने का विचार है ?

**स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक) :** (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) जिन लोगों को इस रोग के होने की संभावनाएं रहती हैं, उन्हें इससे बचाने के लिए तथा इससे पीड़ित व्यक्तियों का पता लगाने और रोग की प्रारंभिक अवस्था में ही उनका इलाज करने के लिए निम्नलिखित उपाय बरते जा रहे हैं :—

(1) ग्राम स्वास्थ्य सेवाओं के अन्तर्गत सामान्य प्रतिरक्षा का जो कार्यक्रम है बी० सी० जी० का टीका लगाने के कार्य को उसी में सम्मिलित किया जा रहा है ताकि देहात में नवजात शिशुओं और बच्चों को जल्दी से जल्दी और अच्छे कारगर तरीके से इस कार्यक्रम के अन्तर्गत लाया जा सके।

(2) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा अन्य सीमावर्ती चिकित्सा और स्वास्थ्य संस्थानों में क्षय रोगियों के थूक की सूक्ष्मदर्शक से जांच करने और उनके इलाज करने की सुविधाएं उपलब्ध की जा रही हैं ताकि ये सुविधाएं इस रोग से पीड़ित लोगों को उनके घरों के पास उपलब्ध हो सकें तथा संक्रमक क्षय रोगियों का शुरू में ही पता लगाया जा सके और उनका इलाज आरंभ किया जा सके।

(3) यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि सीमावर्ती इलाकों में स्थित चिकित्सा और स्वास्थ्य संस्थान क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम को चलाने में अधिक सक्रिय रूप से भाग लें और क्षय रोगियों का पता लगाने, इलाज करने तथा बी० सी० जी० का टीका लगाने के कार्यक्रम में बहुधंधी स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को सम्मिलित किया जा रहा है।

(4) बी० सी० जी० प्रयोगशाला, गिंडी में जमा कर सुखाई गई बी० सी० जी० वैक्सीन का उत्पादन और बढ़ाया जा रहा है ताकि उसकी अतिरिक्त आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके।

**तांबे के तार की चोरी के कारण डाक तथा तार विभाग को हुई हानि**

1018. **श्री आर० के० सिन्हा : क्या संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ताम्बे के तार की चोरी के कारण डाक तथा तार विभाग को प्रतिवर्ष कितनी हानि होती है ;

(ख) गत तीन वर्षों में ताम्बे के तार की चोरी करने के कारण कितने व्यक्ति गिरफ्तार किये गये, उनमें डाक तथा तार विभाग के कितने कर्मचारी थे और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) ताम्बे के तार की चोरी रोकने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं या प्रयास किये गये हैं ?

**संचार मंत्री (डा० शंकर दयाल शर्मा) :** (क) पिछले 3 वर्षों के दौरान खंबों पर दी गई लाइनों से चुराये गये तांबे के तारों की कीमत नीचे दी गई है :—

| 1973-74 | 1974-75 | 1975-76 |
|---|---|---|
| रु० | रु० | रु० |
| 11,268,342 | 15,096,143 | 10,355,932 |

**(ख)** डाकतार विभाग के पास जो सूचना उपलब्ध है, उसकी एक तालिका संलग्न विवरण-पत्र में सर्किलवार/क्षेत्रवार दे दी गई है। **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 11148/76]**

**(ग)** टेलीग्राफ और टेलीफोन के तारों की चोरी की घटनायें कम करने के लिये सरकार ने अनेक उपाय किये हैं, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं :

(i) टेलीग्राफ तार अवैध कब्जा अधिनियम में संशोधन, जिसमें प्रथम अपराध के लिये न्यूनतम सजा, चुराये गये तारों को ढोने में इस्तेमाल किये गये वाहनों को न्यायालय द्वारा जब्त किये जाने और संदेह की स्थिति में पुलिस को किसी भी स्थान की तलाशी लेने का अधिकार देने और चुराये टेलीग्राफ तार को जब्त करने की व्यवस्था की गई है।

(ii) तांबे के तारों की जगह ए० सी० एस० आर० तार या तांबा बने इस्पात के तार लगाना।

**रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत शिक्षित बेरोजगार**

1019. **श्री एस० आर० दामाणी : क्या श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 1976 तक कितने शिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों के नाम रोजगार कार्यालयों में दर्ज थे ;

(ख) उनमें से कितने मैट्रिक पास थे, कितने स्नातक थे, कितने स्नातकोत्तर, कितने इंजीनियर और कितने डाक्टर थे ;

(ग) कितने व्यक्तियों के नाम दो वर्षों से अधिक अवधि से दर्ज हैं ; और

(घ) सरकार उनके लिए किस प्रकार और कितने समय तक लाभप्रद रोजगार उपलब्ध कराना चाहती है ?

**श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा)** : (क) से (घ) उपलब्ध सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

**विवरण**

यद्यपि अवधि के अनुसार रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टर पर दर्ज शिक्षित (मैट्रिक उत्तीर्ण और उससे अधिक) नौकरी चाहने वालों का ब्योरा उपलब्ध नहीं है तथापि, 31 दिसम्बर 1975 को उनकी संख्या और शिक्षा-स्तर के अनुसार उनका वर्गीकरण नीचे दिया गया है :—

| क्रम संख्या | शैक्षिक स्तर | संख्या हजारों में |
|---|---|---|
| 1. | मैट्रिक उत्तीर्ण . . . . . . . . | 2641.2 |
| 2. | हायर सैकेण्डरी (इंटरमीडिएट/अंडर ग्रेज्युएट सहित) | 1228.1 |
| 3. | स्नातक योग : . . | 858.7 |
| | (i) इंजीनियर . | 17.0 |
| | (ii) डाक्टर . | 7.3 |
| | (iii) अन्य . | 834.4 |
| 4. | स्नातकोत्तर . . . . . . | 77.2 |
| | (i) इंजीनियर . . . . . . | 0.3 |
| | (ii) डाक्टर . . . . . . . | 0.4 |
| | (iii) अन्य . . . . . . . | 76.5 |
| | योग :— . . . . . . | 4805.2 (स) |

टिप्पणी 1. सूचना प्रत्येक वर्ष जून और दिसम्बर को समाप्त होने वाले अर्द्धवार्षिक अंतरालों पर एकत्र की जाती है ।

2. दिल्ली में स्थित दो केन्द्रों (दिल्ली और जामिया मिलिया विश्वविद्यालयों) को छोड़कर विश्वविद्यालय रोजगार सूचना और मार्गदर्शन केन्द्रों के आंकड़े सम्मिलित नहीं हैं।

3. स —संशोधित

4. रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टर पर दर्ज सभी नौकरी चाहने वाले अनिवार्यत: बेरोज़गार नहीं हैं ।

(घ) इस संबंध में यद्यपि कोई निश्चित अवधि तय नहीं की जा सकती, तथापि, पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विभिन्न क्षेत्रों जैसे कृषि, सिंचाई, बिजली उत्पादन, मुख्य सिंचाई प्रणालियों का कमान क्षेत्र विकास, लघु और मध्यम उद्योगों, समाज सेवाओं, व्यापार, वाणिज्य तथा अन्य अनुषंगी एवं संबद्ध कार्य-कलापों के योजना कार्यक्रमों को कार्यान्वित करके शिक्षित बेरोजगारों के लिए पर्याप्त रोजगार अवसर सृजित होने की आशा है । 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम के अन्तर्गत शिक्षित युवकों के लिए, जिन में ग्रेज्युएट इंजीनियर और डिप्लोमाधारी शामिल हैं, रोजगार अवसरों में वृद्धि करने के अनेक उपायों में से एक उपाय शिक्षु योजना को प्रभावपूर्ण ढंग से कार्यान्वित करना है ।

**शिक्षित युवाओं के लिये स्वत: रोजगार योजना**

1020. **श्री एस० आर० दामाणी** : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बेरोजगार शिक्षित युवाओं को रोजगार में खपाने के लिए पिछले वर्ष औद्योगिक क्षेत्र तथा अन्य संगठित क्षेत्रों में, पृथक-पृथक रोज़गार के कितने नये अवसर पैदा किये गये ;

(ख) शिक्षित युवाओं के संबंध में स्वत: रोज़गार योजनाओं में अब तक किस हद तक सफलता प्राप्त हुई है; और

(ग) पांचवीं योजना अवधि के अन्त तक रोज़गार के कितने अवसर पैदा होने की संभावना है ?

**श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) :** (क) यद्यपि औद्योगिक क्षेत्र और अन्य संगठित क्षेत्रों में सृजित नए रोज़गार अवसरों की संख्या के बारे में यथार्थ सूचना उपलब्ध नहीं है, तथापि विभिन्न राज्यों में पहली जुलाई, 1975 से 31 मई, 1976 की अवधि के दौरान रोज़गार कार्यालयों को 7.09 लाख से अधिक रिक्तियां (सरकारी क्षेत्र में 5.67 लाख और गैर-सरकारी क्षेत्र में 1.42 लाख) अधिसूचित की गईं । शिक्षित बेरोज़गारों के संबंध में यह सूचना अलग रूप से उपलब्ध नहीं है । इन आंकड़ों में वे रिक्तियां शामिल नहीं हैं जो रोज़गार कार्यालयों के अलावा लोक सेवा आयोगों, रेलवे सेवा आयोगों आदि जैसे अभिकरणों को अधिसूचित की गई और उनके माध्यम से भरी गईं।

(ख) पांच लाख रोज़गार कार्यक्रम और रोज़गार वर्धन कार्यक्रम की स्वनियोजन योजनाओं के अन्तर्गत पर्याप्त रोज़गार अवसर सृजित किए गए थे। इन दोनों कार्यक्रमों की स्वनियोजन योजनाओं के अन्तर्गत आरम्भ से आज तक की पूरी अवधि के दौरान सृजित हुए रोज़गार अवसर दर्शाने वाला एक विवरण (अनुबंध) संलग्न है। (ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी०-11149/76) ।

(ग) पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में योजना कार्यक्रमों के कार्यान्वियन द्वारा पर्याप्त रोज़गार अवसरों के सृजित होने की आशा है। तथापि सृजित होने वाले रोज़गार अवसरों के यथार्थ आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

### टेलीफोन केन्द्रों में कर्मचारी व्यवस्था

1021. **श्री भाऊसाहेब धामनकर :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में टेलीफोन केन्द्रों में सामान्य-कर्मचारी व्यवस्था क्या है ;

(ख) क्या महाराष्ट्र के अधिकांश टेलीफोन केन्द्रों में कर्मचारियों की संख्या अपर्याप्त है ; और

(ग) यदि हां, तो टेलीफोन सेवाओं के स्तर में सुधार करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

**संचार मंत्री (डा० शंकर दयाल शर्मा) :** (क) टेलीफोन एक्सचेंज के आकार यातायात के भार आदि के आधार पर टेलीफोन एक्सचेंज में कर्मचारियों की व्यवस्था की जाती है ।

(ख) जी नहीं । तकनीशियनों की कुछ कमी जरूर है जो टेलीफोन एक्सचेंजों के रखरखाव का काम देखते हैं ।

(ग) जो उम्मीदवार प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं उनके जरिये तकनीशियनों की खाली जगहें भरने के लिए कार्रवाई की जा रही है ।

### मोजाम्बीक तथा अंगोला को आर्थिक सहायता

1022. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार मोजाम्बीक तथा अंगोला को उनके विकास हेतु आर्थिक सहायता देने का है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका स्वरूप क्या है ?

**विदेश मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विपिन पाल दास) :** (क) जी, हां ।

(ख) इस सहायता का ब्यौरा निम्न है :

**मोजाम्बीक**

सरकार ने भारत से सामान और सेवाएं प्राप्त करने के लिए मोजम्बीक सरकार को 900,000/- रुपये की सहायता देने का निश्चय किया है। मोजम्बीक को हमारी यह सहायता हमारी इस इच्छा का प्रतीक-स्वरूप है कि रोडेशिया के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंधों को क्रियान्वित करने की दिशा में उस देश के साथ लगने वाली अपनी सीमाओं के बंद कर लेने की वजह से उसे जिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है उनका वह मुकाबला कर सके ।

मोजम्बीक से एक आर्थिक प्रतिनिधिमंडल के शीघ्र ही भारत आने की आशा है जो उन अन्य क्षेत्रों को तय करेगा जिनमें हम उनकी सहायता और कर सकते हों ।

**अंगोला**

सरकार ने एक लाख रुपये के मूल्य की चिकित्सा सामग्री हवाई जहाज से अंगोला को भेजी है और वहां के स्कूल के बच्चों के लिए स्टेशनरी भी भेंट करेगा। विशेषज्ञ स्तर पर शीघ्र ही विचार-विमर्श होने की आशा है जो यह पता लगाएगा कि भारत अंगोला को आगे किस प्रकार की और कितनी मात्रा में सहायता कर सकता है।

**श्रमिकों की समस्याओं पर विचार करने के लिये शीर्ष संस्था की बैठकें**

1023. **श्रीमती पार्वती कृष्णन :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) श्रमिकों की समस्याओं पर विशेष कर कपड़ा, बागान, पटसन, और चीनी उद्योग के श्रमिकों की, विचार करने के लिए सर्वोच्च शीर्ष संस्था की गत तीन महीनों में कितनी बार बैठक हुई; और

(ख) उसका क्या परिणाम निकला ?

**श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) :** (क) मई से जुलाई, 1976 तक गत तीन महीनों की अवधि के दौरान, राष्ट्रीय शीर्ष निकास जिस की बैठक 24 जुलाई, 1976 को हुई, के अतिरिक्त निम्नलिखित राष्ट्रीय औद्योगिक समितियों, जो राष्ट्रीय शीर्ष निकास और टैक्सटाइल्स विशेषज्ञ समिति की काम्पेक्ट समिति है, की बैठकें हुई :—

| | |
|---|---|
| 1. जूट की राष्ट्रीय औद्योगिक समिति | 27-5-1976 |
| 2. टैक्सटाइल की राष्ट्रीय औद्योगिक समिति (निजी क्षेत्र) | 17-6-1976 |
| 3. बागान की राष्ट्रीय औद्योगिक समिति | 18-6-1976 |
| 4. इंजीनियरिंग की राष्ट्रीय औद्योगिक समिति | 2-6-1976 |
| 5. रसायन की राष्ट्रीय औद्योगिक समिति | 18-6-1976 |
| 6. सीमेंट की राष्ट्रीय औद्योगिक समिति | 15-6-1976 |
| 7. जूट की राष्ट्रीय औद्योगिक समिति | 22-7-1976 |
| 8. कागज़ की राष्ट्रीय औद्योगिक समिति | 23-7-1976 |
| 9. बैंकिंग राष्ट्रीय औद्योगिक समिति | 23-7-1976 |
| 10. टैक्सटाइल विशेषज्ञ समिति | 6-7-1976 और 7-7-1976 |
| 11. राष्ट्रीय शीर्ष निकास की काम्पेक्ट समिति | 5 और 6 मई, 10—12 मई, 18 और 19 मई, 1976 |

(ख) राष्ट्रीय शीर्ष निकास और टैक्सटाइल विशेषज्ञ समिति की काम्पेक्ट समिति ने विशेष मामलों में, जो उनको भेजे गए, जांच-पड़ताल के बाद अपनी रिपोर्टें प्रस्तुत कर दीं। राष्ट्रीय शीर्ष निकास और राष्ट्रीय औद्योगिक समितियों ने कारखानों के बंद होने, छंटनी, जबरन छुट्टी, आशंकित बंद होना, उत्पादन/उत्पादिता, प्रबंध में श्रमिकों के भागीपन और उद्योगों से संबंधित अनेक अन्य समस्याओं का और निर्णय देने का काम जारी रखा।

**इस्पात के लिये निधि का बढ़ा हुआ आबंटन**

1024. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन :** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस्पात के लिये धनराशि के आबंटन में काफी वृद्धि हुई है ;

(ख) यदि हां, तो इससे इस्पात परियोजनाओं में कितना विस्तार किया जा सकेगा, और

(ग) क्या सलेम इस्पात संयंत्र को भी इससे लाभ होगा ?

**इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद)** : (क) वर्ष 1976-77 के लिये इस्पात विभाग के लिए किया गया आबंटन वर्ष 1975-76 के लिये किये गये आबंटन (संशोधित) से 142.31 करोड़ रुपये अर्थात् 43.4% अधिक है। चालू वर्ष के लिये किया गया आबंटन 469.73 करोड़ रुपये है। इसमें कुद्रेमुख परियोजना के लिये 88.5 करोड़ रुपये भी शामिल हैं।

(ख) विस्तार कार्यों की पूर्ति के लिये पर्याप्त धन-राशि की व्यवस्था की गई है ।

(ग) वर्ष 1976-77 में सलेम इस्पात कारखाने के लिए 3 करोड़ रुपये रखे गये हैं।

### एल्जियर्स में आयोजित बैठक

1025. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने हाल ही में एल्जियर्स में आयोजित हुई बैठक में भाग लिया था; और

(ख) यदि हां, तो उस बैठक में भारत ने क्या सुझाव रखे?

**विदेश मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बिपिनपाल दास)** : (क) जी हां । अल्जीयर्स में 20 मई से 2 जून, 1976 तक गुट-निरपेक्ष देशों के समन्वय ब्यूरो के सदस्य विदेश मंत्रियों की जो बैठक हुई थी उसमें भारत ने भाग लिया था ।

(ख) इस अवसर पर भारत ने जो सुझाव दिए थे वे विदेश मंत्री के उस वक्तव्य में निहित हैं जो उन्होंने इस बैठक में दिया था। इसकी एक प्रति पुस्तकालय में रख दी गई है।

### हल्दिया पत्तन का निर्माण

1026. **श्री रानेन सेन** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हल्दिया पत्तन का निर्माण कार्य किस स्थिति तक पहुंच गया है तथा इसके कब तक पूरा हो जाने की संभावना है ;

(ख) क्या हल्दिया पत्तन से पत्तन पर आधारित एककों के लिये व्यापक क्षेत्र मिलता है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं; और

(घ) इस दिशा में क्या कदम उठाये गये हैं ?

**नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० एम० त्रिवेदी)** : (क) घाट और जलपाश से संबंधित सिविल कार्य पूरे कर लिये गये हैं। केसन गेट उभार स्थलों में ले जाए जा चुके हैं और हाइड्रालिक मशीनरी लगाने और पाइप बिछाने का काम प्रगति पर है। अयस्क और कोयला घाटों में माल धरा उठाई उपस्कर लगाने का काम प्रगति पर है। बाकी कामों की वर्ष के अन्त तक पूरा हो जाने की संभावना है।

(ख), (ग) और (घ) हल्दिया गोदी परियोजना की योजना बनाते समय पत्तन-आधारित उद्योगों के विकास को ध्यान में रखा गया । भारतीय तेल निगम के अधीन एक तेल शोधक कारखाना हल्दिया में पहले से ही लगा दिया गया है और अब भारतीय उर्वरक निगम के अन्तर्गत एक उर्वरक कारखाना निर्माणाधीन है। पत्तन आधारित और पत्तन-मूलक उद्योगों की भावी आवश्यकताओं के लिये भूमि को आरक्षित कर लिया गया है। इस दिशा में पश्चिम बंगाल सरकार का औद्योगिक अवस्थापना विकास निगम भी आवश्यक कदम उठा रहा है ।

### क्षेत्रीय कार्यालयों में भविष्य निधि के नामांकन फार्मों का खो जाना

1027. **श्री नरेन्द्र कुमार सांघी** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या क्षेत्रीय भविष्य निधि कार्यालयों, विशेषकर राजस्थान में, वर्तमान सदस्यों के खोये गए नामांकन फार्मों का कोई अनुमान लगाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो खोये गए नामांकन फार्मों की कुल संख्या कितनी है और कितने मामलों में मालिकों के माध्यम से सदस्यों से दोबारा नामांकन फार्म भरवाने के लिए राजस्थान भविष्य निधि कार्यालय द्वारा कार्य-वाही की गई है ; और

(ग) यह समूची प्रक्रिया कब तक पूरी हो जायेगी ?

**श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा)** : भविष्यनिधि प्राधिकारियों ने निम्न प्रकार सूचित किया है :—

(क) और (ख) क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्तों (क्षेत्रीय आयुक्त राजस्थान सहित), को पहले ही अपेक्षित नामांकन पत्रों को सूचीबद्ध करने के लिए पूर्ण गणना करने और संबंधित नियोजकों, क्षेत्रीय भविष्य निधि निरीक्षकों को अनुवर्ती कार्यवाही करने हेतु अपेक्षित प्रपत्र प्राप्त करने के लिए सूची देने का निर्देश दिया गया है। यह कार्य प्रगति पर है। तथापि, राजस्थान क्षेत्र में 1–4-1975 से 31-3-1976 तक की अवधि के दौरान, 3,747 सदस्यों के संबंध में नामांकन पत्र की दो दो प्रतियां नियोजकों के माध्यम से प्राप्त हुई थीं। इनमें से 2,715 प्रपत्रों की जांच की गई थी और उन्हें स्वीकार किया गया था और स्वीकृत करने के बाद उनकी दूसरी प्रति (नकल) को सदस्यों को उनके नियोजकों के माध्यम से वापस किया गया था। शेष 1,032 प्रपत्र भी अब तक निपटा दिए गए हैं। 1-4-1976 से 31-7-1976 की अवधि के दौरान, राजस्थान क्षेत्रीय कार्यालय में 3,274 प्रपत्र प्राप्त हुए थे और 30-6-1976 तक 1,779 प्रपत्रों की जांच की गई और स्वीकार किए गए। शेष प्रपत्रों में से अधिकांश जुलाई, 1976 में ही प्राप्त हुए थे।

(ग) इस कार्य को लगभग तीन महीनों में अद्यतन बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं तथापि क्षेत्रीय भविष्यनिधि आयुक्त को इस मामले में शीघ्र कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं और इसकी प्रबलता से पैरवी की जा रही है।

### कलकत्ता पत्तन न्यास के एच० टी० एक्स० आर० विभाग के कर्मचारी

1028. **श्री समर मुकर्जी** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता पत्तन न्यास के अधीन एच० टी० एक्स० आर० विभाग के चित्तपुर जंकशन के कर्मचारी, कार्यालय कक्ष के अभाव में, वर्ष 1968 से वर्षा तथा धूप में काम करते रहने को विवश है;

(ख) यदि हां, तो संबंधित कर्मचारियों द्वारा बार बार अनुरोध किये जाने के बावजूद वहां कार्यालय कक्ष की व्यवस्था न करने के कारण क्या हैं; और

(ग) यह कठिनाई कब तक दूर कर दी जायेगी?

**नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० एम० त्रिवेदी)** : (क) से (ग) यद्यपि चितपूर में स्थित कलकत्ता पत्तन न्यास के गाड़ी जांच कर्मचारियों के लिये कोई सही कार्यालय-व-विश्राम स्थल नहीं है, एक पुराने भवन को इस्तेमाल करके इस कमी को पूरा किया जा रहा है। परन्तु किसी भी दूसरे रेलवे यार्ड की भांति गाड़ी के डिब्बों की जांच खुले में करनी होगी।

पूर्वी रेलवे की कुछ आपत्तियों के कारण संबंधित कर्मचारियों के लिये कार्यालय व विश्राम स्थल के निर्माण के लिये पत्तन न्यास की योजना पर कार्रवाई न की जा सकी। फिलहाल कलकत्ता पत्तन न्यास ने पूर्वी रेलवे की छूट प्राप्त कर ली है, परन्तु पत्तन न्यास को नये अनुमान तैयार करने पड़ेंगे क्योंकि पुराने अनुमान अब प्रमाणिक नहीं है। इस बीच, पूर्वी रेलवे ने चितपूर जंकशन पर दोहरे नियंत्रण को समाप्त करने का प्रस्ताव किया है। यदि ऐसा किया जाता है तो पत्तन न्यास के गाड़ी-जांच-कर्मचारियों को चितपूर पर लगाना आवश्यक नहीं होगा। कलकत्ता पत्तन न्यास पूरे मामले की जाँच कर रहा है।

### उड़ीसा सर्किल में दूर संचार कर्मचारियों के लिये क्वार्टरों का निर्माण

1029. **श्री डी० के० पंडा** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सर्किल में दूर संचार कर्मचारियों के लिये मंजूरशुदा क्वार्टर उड़ीसा में भिन्न भिन्न स्थानों पर बनाये गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो कितने क्वार्टर पूरे बन चुके हैं, कितने निर्माणाधीन हैं और वे कब तक पूरे तैयार हो जायेंगे?

**संचार मंत्री (डा० शंकर दयाल शर्मा)** : (क) और (ख) उड़ीसा सर्किल में डाक और दूरसंचार दोनों के ही कर्मचारियों के लिये 300 क्वार्टर बनवाने की मंजूरी दी गई थी जिनमें से 100 क्वार्टर बन चुके हैं वर्ष 1976-77 के दौरान 90 क्वार्टरों का निर्माण-कार्य शुरु करने का प्रस्ताव है। आशा है कि 1978-79 तक

ये क्वार्टर बन कर तैयार हो जाएंगे । निधि उपलब्ध होने पर शेष 110 क्वार्टरों के निर्माण का काम बाद में शुरू किया जाएगा।

**नौवहन नीति**

1030. **श्री डी० के० पण्डा : क्या नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में घोषित सरकार की नौवहन नीति से विभिन्न राज्यों में प्रस्तावित तथा मंजूर किये गये छोटे पत्तनों और इनसे संबंधित अथवा इन पर आश्रित मंजूर हुए उद्योगों पर प्रभाव पड़ेगा; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं और छोटे पत्तनों की स्थापना के लिये क्या उपाय करने का विचार है ?

**नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० एम० त्रिवेदी)** : (क) हाल ही में नौवहन नीति के बारे में ऐसी कोई घोषणा नहीं की गई है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

**संविद श्रमिकों को मजदूर संघों का सदस्य न बनाया जाना**

1031. **श्री डा० के० पंडा : क्या श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस आशय का नीति संबंधी निर्णय किया है कि सामान्यतः मजदूर संघों और विशेषकर उड़ीसा की लौह अयस्क खानों के संघ की मान्यता के लिए सदस्य संख्या के सत्यापन के समय संविद श्रमिकों की गणना न की जाये; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ?

**श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा)** : (क) और (ख) अनुशासन संहिता के अन्तर्गत मान्यता के प्रयोजन के लिए संघों की सदस्यता के सत्यापन की कार्य-विधि के अनुसार, यह सुनिश्चित किया जाता है कि संघों की सूचियों में केवल उन्हीं श्रमिकों को शामिल किया जाए जिनके नाम गणना की तारीख को प्रबन्ध की उपस्थिति नामावली में थे । यह सिद्धांत सामान्यतः सभी वर्गों के उद्योगों के मामलों में लागू किया जाता है और सभी राज्यों में लागू किया जाता है। केवल उन्हीं मामलों को छोड़कर जहां संघों की मान्यता अधिनियम द्वारा विनियमिन की जाती है।

**उड़ीसा में गोपालपुर पत्तन का पूरा होना**

1032. **श्री डी० के० पण्डा : क्या नौवहन और परिवहन** मंत्री 25 मार्च, 1976 के तारांकित प्रश्न संख्या 241 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने इस योजना की जांच इस बीच कर ली है;

(ख) यदि हां, तो क्या निर्णय किया गया है , और

(ग) क्या केन्द्र सरकार को उड़ीसा सरकार की ओर से इस योजना पर शीघ्र कार्यवाही करने का अनुरोध प्राप्त हुआ है ?

**नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० ए० त्रिवेदी)** : (क) और (ख) गोपालपुर के छोटे पत्तन के विकास की योजना पर सरकार अभी जांच कर रही है।

(ग) जी हां ।

**कुद्रेमुख से नये मंगलौर पत्तन को लौह अयस्क की ढुलाई**

1033. **श्री पी० रंगनाथ शिनाय : क्या इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कुद्रेमुख से नये मंगलौर पत्तन तक किस प्रकार लौह अयस्क पहुंचाने का विचार है;

(ख) क्या इस तरीके से अयस्क ले जाने के लिये विदेशी सहयोग अनिवार्य है; और

(ग) यदि हां, तो विदेशी सहयोग का स्वरूप क्या है ?

**इस्पात और खान मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) :** (क) कुद्रेमुख के कन्सेंट्रेट प्लांट से लौह अयस्क सांद्रण (कन्सेंट्रेट) को घोल के रूप में लगभग 58 कि० मी० लम्बी पाइपलाईन द्वारा मंगलौर ले जाया जाएगा।

(ख) जी, हां।

(ग) इस बात को देखते हुए कि यह परियोजना एक विशेष प्रकार की है तथा इसके आकार तथा जटिलताओं को ध्यान में रखते हुए इसका निर्माण कार्य पूरा होने के पश्चात आरम्भिक 3 वर्षों के लिए खान के विकास, इंजीनियरी निर्माण तथा संचालन के लिए विदेशी सहयोग प्राप्त किया जा रहा है।

### कुद्रेमुख लौह अयस्क परियोजना

1034. **श्री पी० रंगनाथ शिनाय:** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कुद्रेमुख लौह अयस्क परियोजना के अन्तर्गत कार्य के निष्पादन में अब तक कितनी प्रगति हुई है?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : कुद्रेमुख परियोजना से संबंधित कार्यों की कुछ मुख्य मदों के बारे में अब तक हुई प्रगति नीचे दिखाई गई है :—

(1) इस परियोजना को कार्यान्वित करने के लिए 2 अप्रैल 1976 को सरकार के पूर्ण स्वामित्व में कुद्रेमुख आयरन ओर कंपनी लि० के नाम से एक कंपनी गठित की गई है जिसकी अधिकृत पूंजी 150 करोड़ रुपये है। इस कंपनी के लिए अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक और 6 अन्य अंशकालिक निदेशक नियुक्त कर दिए गए हैं। आवश्यकतानुसार संगठनात्मक ढांचे की आवश्यकता की पर्याप्त व्यवस्था करने के लिए उच्च, मध्यम तथा निम्न स्तरों पर भी नियुक्तियां की गई हैं और की जा रही हैं।

(2) खान के आयोजन, विकास, इंजीनियरी तथा निर्माण के लिए परामर्शदाता के रूप में किसी विदेशी संस्था के चयन तथा नियुक्ति के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है। आशा है शीघ्र ही इस बारे में अन्तिम निर्णय ले लिया जाएगा।

(3) अतः मंत्रालय समिति की सिफारिशों के आधार पर इस परियोजना के लिए कई प्रक्रियात्मक छूटें दी गई हैं। नियमों और विनियमों को सरल बनाया गया है ताकि इस परियोजना को शीघ्रता से कार्यान्वित किया जा सके।

(4) कलसा से मन्लेश्वर तक की खुष्क मौसमी सड़क में सुधार किया गया है और भद्रानदी पर एक पुल (बेन्ले ब्रिज) बनाया गया है ताकि वर्षा ऋतु में भी संयंत्र स्थल तक जाया जा सके। राज्य सरकार ने पादुबिदरी से खान स्थल तक एक पक्की सड़क का निर्माण कार्य भी शुरू कर दिया है। आशा है यह काम मार्च, 1978 तक पूरा हो जाएगा। इस से प्रायोजना के आवश्यक संयंत्र और भारी उपकरण ले जाये जा सकेंगे।

(5) चक्र सवेहकलू योजना का कार्य आरंभ हो चुका है जिसमें दो बांधों तथा वाटर कडंक्टर सिस्टम के निर्माण की व्यवस्था है। इससे कुद्रेमुख प्रायोजना के लिए आवश्यक अतिरिक्त बिजली के उत्पादन के लिए शर्वती बिजलीघर के लिए अतिरिक्त पानी उपलब्ध हो सकेगा। आशा है वर्ष 1980 तक बिजली प्राप्त हो जाएगी। कर्नाटक बिजली बोर्ड ने भी निर्माणाधीन अवस्था में इस प्रायोजना की अस्थायी आवश्यकता की पूर्ति के लिए दिसम्बर 1976 से एक मेघावाट बिजली देनी स्वीकार कर ली है। डीजल जेनरेटरों द्वारा बिजली की तात्कालिक आवश्यकता डीजल जेनरेटर लगाकर पूरी की जा रही है।

(6) खान स्थल पर कर्मचारियों के लिए कुछ रिहायशी मकान भी बनाए जा चुके हैं और बाकी मकान निर्माणाधीन हैं।

(7) खान स्थल से मंगलौर बन्दरगाह तक लोह खनिज की ढुलाई के लिए स्लरी पाइपलाइन बिछाने के लिए सर्वेक्षण कार्य हो रहा है।

(8) बंगलौर, मंगलौर तथा कुद्रेमुख के बीच दूर-संचार की सुविधाओं का और अधिक विकास किया जा रहा है।

### कोलम्बो में गुट निरपेक्ष सम्मेलन

1035. **श्री एच० एन० मुकर्जी** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोलम्बो शिखर सम्मेलन में विचार के लिये आम मसौदा गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन में भाग लेने वालों के पास भेज दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो उस पर अन्य देशों की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) विवादास्पद प्रश्नों को कहां तक कम किया गया है ?

**विदेश मंत्रालय में उप मंत्री ( श्री बिपिन पाल दास)** : (क) जी हां।

(ख) और (ग) इन निर्णयों के मसौदों पर इस समय कोलंबो शिखर सम्मेलन में विचार किया जा रहा है : प्रतिनिधिमंडलों के बीच विचार-विनिमय और मतैक्य के आधार पर उन्हें अंतिम रूप दिया जाएगा।

### खनिज उत्पादों का विकास

1036. **श्री एच० एन० मुकर्जी** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राज्यों तथा खनिजों की खानों के नाम क्या हैं जहां खनिज उत्पादों का विकास होता है; और

(ख) खनिज निक्षेपों का पता लगाने के लिए इस समय कितने राज्यों में भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण चल रहा है ?

**इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुखदेव प्रसास)** (क) आंध्र प्रदेश, आसाम, बिहार, दिल्ली, गोआ, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बंगाल राज्यों में 1975 के दौरान 3719 खानों में काम हो रहा था।

(ख) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया जाता है। [ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल० टी०-11150/76]।

### गर्भवती महिलाओं पर शमनकारी औषधियों के हानिकारक प्रभाव

1037. **श्री डी० डी० देसाई** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विदेशों में किये गये इन जांच परिणामों का पता है कि अधिक मास के गर्भ की स्थिति में महिलाओं द्वारा शमनकारी औषधियों के प्रयोग से जन्मजात दोष हो सकते हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार देश में ऐसे मामलों में शमनकारी औषधियों के प्रयोग पर प्रतिबन्ध लगायेगी ?

**स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक)** : (क) जी हां। विदेशों में किए गए अध्ययनों के निष्कर्षों में इस बात का कोई संकेत नहीं है कि अधिक मास के गर्भ की स्थिति में महिलाओं द्वारा शमनकारी औषधियों के प्रयोग से जन्म-जात दोष हो सकते हैं। वैसे, गर्भावस्था की पहली तिमाही के दौरान शमनकारी औषधियों के प्रयोग से जन्मजात दोषों में वृद्धि होने का खतरा पाया गया है।

(ख) जी नहीं। औषधि निर्माता चिकित्सकों को जो औषधि परिचयात्मक साहित्य देते हैं उसमें गर्भावस्था की पहली तिमाही के दौरान शमनकारी औषधियों का प्रयोग न करने के लिए अवश्य चेतावनी दे देते हैं।

**कर्नाटक में खनिज पदार्थों का निकाला जाना**

1038. **श्री के० लकप्पा** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक राज्य में सभी खनिज पदार्थों को निकालने के लिए क्या कदम उठाये हैं; और

(ख) क्या राज्य में कोई खनन उद्योग स्थापित करने का विचार है ?

**इस्पात और खान मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद)** : (क) कर्नाटक में निकाले जा रहे मुख्य खनिज इस प्रकार हैं :—एसबेस्टस, बाक्साइट, क्रोमाइट, तांबा अयस्क, सोना, कच्चा लोहा, केओलिन, चूना पत्थर, कच्चा मैंगनीज़, मैगनेज़ाइट, गेरू सिलिका रेत, ग्रेनाइट तथा स्टैटाइट आदि।

(ख) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

**भारत में पंजीकृत श्रम ठेकेदारों की संख्या**

1039. **श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में पंजीकृत श्रम ठेकेदारों की राज्यवार कुल संख्या कितनी है ?

(ख) यह प्रणाली बनाए रखने तथा ठेकेदारों को गुलामों की भांति हजारों श्रमिक रखने तथा उनसे धन कमाने की अनुमति दिए जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार का विचार इस प्रणाली को समाप्त करने का है ?

**श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा)** : (क) से (ग) उद्योगों में, जोकि राज्य क्षेत्र में आते हैं, ठेका श्रम अधिनियम के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकारों की है। जहां तक केन्द्रीय क्षेत्र का संबंध है, 31 मई, 1976 को ठेकेदारों की संख्या, जिन्हें लाइसेंस जारी किए गए हैं, संलग्न विवरण में दिखाई गई है। [ग्रन्थालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल० टी० 11151/76] ठेका श्रम अधिनियम, ठेका श्रम प्रणाली को, जहां इसे समाप्त किया जा सकता है, समाप्त करना है और जहां फिलहाल इसको समाप्त करना संभव नहीं है, विनियोजित करना है। समय-समय पर सरकार इस संबंध में कदम उठाती रहती हैं और केन्द्रीय सलाहकार ठेका श्रम बोर्ड की सिफ़ारिशों को मानते हुए, ठेका श्रम प्रणाली कोयला खदानों में निम्नलिखित पांच वर्जित श्रेणियों में पहले ही समाप्त किया जा चुका है—

(i) कोयले को उठाना या उठाना-व-बेचना,

(ii) कोयले को लादना और उतारना,

(iii) अधिक लादना, हटाना और जमीन की कटाई,

(iv) कच्चे कोयले का उत्पादन, और

(v) स्टोन ड्रिफट्स का ड्राइविंग और जमीन के नीचे विविध पत्थर काटना।

केन्द्रीय सलाहकार ठेका श्रम बोर्ड की सिफारिशों को मानते हुए (i) भारतीय रेलों के लोको-शैड, (ii) चूना-पत्थर, मैंगनीज तथा डोलोमाइट खानों और (iii) देश में लौह अयस्क खानों में ठेका श्रम प्रणाली के प्रश्न पर इस समय तीन समितियां विचार कर रही हैं।

**कर्मचारी राज्य बीमा निगम के औषधालयों में चिकित्सा**

1040. **श्री मूलचन्द डागा** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्मचारी राज्य बीमा निगम अधिनियम के अन्तर्गत आने वाले व्यक्तियों की चिकित्सा के स्तर में सुधार लाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है और क्या औषधालयों के स्तर पर वर्तमान पद्धति द्रुत और कुशल नहीं है, जहां डाक्टर मरीज की उचित जांच नहीं करते; और

(ख) कर्मचारी राज्य बीमा निगम के भंडारों से महंगी दवाओं की चोरी रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई है और इस संबद्ध में कितने कर्मचारियों को दंडित किया गया है ?

**श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा)** : दिल्ली को छोड़कर, जहां कर्मचारी राज्य बीमा निगम चिकित्सीय देखरेख स्वयं व्यवस्था करता है, कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अन्तर्गत चिकित्सीय लाभ का प्रशासन राज्य सरकारों की सांविधिक जिम्मेदारी है। निगम द्वारा दिल्ली में चिकित्सीय देखरेख की व्यवस्था के संबंध में दी गई सूचना निम्न प्रकार है :—

(क) औषधालय 26 (22 पूर्वकालिक और 4 अंशकालिक हैं), जिन में बहिरंग चिकित्सीय इलाज के लिए चिकित्सा अधिकारियों के 156 पद हैं। इन औषधालयों में डाक्टरों द्वारा रोगियों की जांच की पद्धति बड़ी चुस्त, दक्ष एवं सन्तोषजनक है । जहां कहीं आवश्यक होता है, व्यक्तिगत शिकायतों की जांच की जाती है तथा निवारक कार्यवाही की जाती है ।

(ख) दिल्ली के औषधालयों और मेडिकल स्टोरों में घटतियों और चोरियों की कुछ घटनाऐं हुई थीं जिनके संबंध में समुचित कार्यवाही की गई है । एक फार्मेसिस्ट को अनिवार्य रूप से सेवा निवृत कर दिया गया; एक और मुअत्तल है और विभागीय जांच पड़ताल चल रही है । दो अन्य मामलों में विभागीय जांचें प्रारंभ की गई हैं।

**शिक्षित युवकों में बेरोजगारी की समस्या का समाधान करने के लिए केन्द्रीय सहायता**

1041. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने शिक्षित युवकों में बेरोजगारी की समस्या का समाधान करने के लिए क्या उपाय किये हैं;

(ख) इस समस्या के समाधान में गत एक वर्ष में राज्यों को ठोस रूप में कितनी सफलता मिली है; और

(ग) इस संबंध में केंद्र ने राज्यों की किस सीमा तक सहायता की है ?

**श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा)** : (क) से (ग) शिक्षित युवकों के लाभ के लिए पिछले कुछ वर्षों के दौरान शिक्षित बेरोजगारी के लिए कार्यक्रम राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों के लिए विशेष रोजगार कार्यक्रम, पांच लाख रोजगार कार्यक्रम और रोजगार वर्धन कार्यक्रम जैसी अनेक विशेष रोजगारोन्मुखी योजनाएं बनाई गई और लागू की गई । इन कार्यक्रमों के अन्तर्गत दी गई केंद्रीय सहायता, किया गया व्यय और सृजित रोजगार के ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं । [ग्रन्थालय में रखे गए । **देखिए** संख्या एल० टी० 11152/76] अन्त में दिया गया कार्यक्रम अर्थात रोजगार वर्धन कार्यक्रम पांचवीं योजना (1974-75) के प्रथम वर्ष के दौरान शुरु किया गया था । इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 1974–75 और 1975–76 के दौरान राज्यवार सृजित रोजगार अवसर संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं । [ग्रन्थालय में रखे गए । **देखिए** संख्या एल० टी०-11152/76] रोजगार वर्धन कार्यक्रम के अन्तर्गत पहली जुलाई, 1975 से आज तक की अवधि के दौरान विभिन्न राज्यों को दी गई 490.56 लाख रुपए की बकाया सहायता संलग्न विवरण-III में दर्शायी गई है । [ग्रन्थालय में रखा गया । **देखिए** संख्या एल० टी०-11152/76]

व्यापक पैमाने पर रोजगार अवसर पैदा करना पांचवीं पंचवर्षीय योजना में अपनाई गई नीति के मूल तत्वों में से एक तत्व है । पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विभिन्न क्षेत्रों जैसे कृषि, सिंचाई, बिजली उत्पादन, मुख्य सिंचाई प्रणालियों का कमान क्षेत्र विकास, लघु और मध्यम उद्योगों, समाज सेवाओं, व्यापार, वाणिज्य, तथा अन्य अनुषंगी एवं संबद्ध कार्यकलापों में योजना कार्यक्रमों को कार्यान्वित करके शिक्षित युवकों के लिए पर्याप्त रोजगार अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे । नौकरी चाहने वाले शिक्षित व्यक्तियों के लिए स्व-रोजगार अवसर सृजित करने के लिए पांचवीं योजना में भी व्यवस्था की गई है । ग्रामीण और लघु उद्योग क्षेत्र में विकास कार्यक्रमों की मुख्य नीति का उद्देश्य पर्याप्त परामर्श सेवाओं की व्यवस्था करना और उद्यमों का विकास करना तथा उन्हें बढ़ावा देना है जिससे कि रोजगार, खासकर स्व-रोजगार के अधिकतम अवसर सृजित किए जा सकें। विभिन्न राज्यों में औद्योगिक और वाणिज्यिक सम्पदाएं स्थापित की जा रही हैं और भावी उद्यमकर्ताओं को राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं द्वारा ऋण उपलब्ध कराए जा रहे हैं जिस से कि वे अपना कारोबार स्थापित कर सकें ।

20-सूत्री आर्थिक कार्यक्रम के अन्तर्गत रोजगार अवसर बढ़ाने के लिए किए गए उपायों में से एक उपाय शिक्षु अधिनियम, 1961 को प्रभावपूर्ण ढंग से लागू करना है । जुलाई, 1975 से उपर्युक्त कार्यक्रम के अन्तर्गत की गई प्रगति का ब्यौरा निम्न प्रकार है :—

| | 30-6-76 को नियुक्त व्यवसाय शिक्षुओं की संख्या | 13-8-76 को नियुक्त व्यवसाय शिक्षुओं की संख्या |
|---|---|---|
| राज्य क्षेत्र . . | 47,047 | 89,714 |
| केंद्रीय क्षेत्र . . . | 22,189 | 50,691 |
| योग . | 69,236 | 1,40,405 |

इस के अलावा अधिनियम के अधीन जुलाई, 1975 से 12,864 ग्रेज्युएट्स इंजीनियर और डिप्लोमाधारी भी शिक्षुओं के ग्रुप में नियुक्त किए गए हैं ।

**प्रवेश परमिटों के बारे में ब्रिटेन के साथ बातचीत**

1042. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया :**
**श्री पी० गंगादेव :** } क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और ब्रिटेन के बीच प्रवेश परमिटों के बारे में अधिकारी स्तर पर कोई बातचीत हुई है;

(ख) क्या बातचीत के दौरान अन्तर्राष्ट्रीय महत्व के मामलों पर भी चर्चा की गई थी; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ?

(क) जी नहीं।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठते।

**खनन पट्टों के लिए अनिर्णीत पड़े आवेदन-पत्र**

1043. **सरदार स्वर्ण सिंह सोखी :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार, बंगाल, उड़ीसा, गोआ, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र के कितने आवेदकों, व्यक्तियों और फर्मों के कोयला और प्राकृतिक गैस के अतिरिक्त अन्य खनिज पदार्थों के लिए "प्रोस्पेक्टिंग" लाइसेंस और खनन पट्टों के लिये आवेदन पत्र सरकार के पास अनिर्णीत पड़े हैं तथा उनके संबद्ध क्षेत्र क्या क्या हैं; और

(ख) "प्रोस्पेक्टिंग" लाइसेंस और खनन पट्टे देने में लगभग कितना समय लगता है ?

**इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) :** (क) विवरण संलग्न है । **[ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी०-11153/76]।**

(ख) इन आवेदन पत्रों के निपटान में कितना समय लगता है यह इस बात पर निर्भर है कि राज्य सरकारों द्वारा की गई सिफारिशों को मानने या रद्द करने से पहले मामले में उन पर अन्तर मंत्रालयिक परामर्श लेना तो जरूरी नहीं है और उनमें कोई नीतिगत सवाल तो निहित नहीं है । अतः यह बताना संभव नहीं है कि कितना समय लगता है ।

**बम्बई में इस्पात यार्डों में मजूरी की अलग-अलग दरें**

1044. **श्री बसंत साठे :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के नोटिस में यह बात लाई गई है कि बम्बई में विभिन्न इस्पात यार्डों में एक ही प्रकार के कार्य के लिये श्रमिकों को अलग-अलग दर से मजूरी दी जाती है, और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

**इस्पात और खान मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) :** (क) जी, हां ।

(ख) पता चला है कि राज्य सरकार तथा हिंदुस्तान स्टील लि० दोनों ने स्टोरेज तथा हैण्डलिंग के उन ठेकेदारों से जो महाराष्ट्र सरकार के लोहा और इस्पात श्रम बोर्ड के पास रजिस्टर्ड नहीं थे कहा है, कि वे अपने आपको रजिस्टर करायें और लोहा और इस्पात सामग्री की ढुलाई के लिए अपने श्रमिकों को उन्हीं दरों से मंजूरी दें जो दरें बोर्ड द्वारा स्वीकृत हैं ।

**खानों के लिए लायसेंस देने संबंधी नियम**

**1045. श्री राम सहाय पांडे :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार खानों के लिए लायसेंस देने संबंधी नियमों में सुधार करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

**इस्पात और खान मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) :** खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 में कुछ संशोधन विचाराधीन हैं, जिसके लिए खनिज रियायत नियमावली 1960 में भी संशोधन करना जरूरी होगा । इसलिए संशोधनकारी प्रस्तावित विधान व उसके अन्तर्गत बनने वाले नियमों पर समेकित विचार करना आवश्यक है। खनिज रियायत नियमावली, 1960 की व्यापक समीक्षा विधान में प्रस्तावित संशोधन पर फैसला कर लिए जाने के बाद की जायगी । खनिज रियायत नियमावली, 1960 में संशोधन के लिए अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित मुख्य बातों पर भी ध्यान रखा जा रहा है:—

(1) खनिज रियायत की मंजूरी की प्रक्रिया को गतिशील बनाना;

(2) खनिजों की सहज और कुशल खुदाई पर जोर देना;

(3) खनिजों की गैर कानूनी खुदाई पर रोक लगाना।

(4) खान मालिकों द्वारा खनन राशि की शीघ्र अदायगी को संभव बनाना; और

(5) खनन उद्योग को वित्तीय संस्थाओं से ऋण प्राप्ति की सुविधाएं जुटाना।

**मिनी इस्पात संयंत्र**

**1046. श्री सोमनाथ चटर्जी :** क्या **इस्पात** और **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में अब तक कुल कितने मिनी इस्पात संयंत्र स्थापित किये गये हैं;

(ख) उन पर कुल कितनी पूंजी लगी है, कुल अधिष्ठापित क्षमता कितनी है; और वर्ष 1974-75 और 1975-76 में इनमें वास्तव में कितना उत्पादन हुआ ;

(ग) जून, 1976 के अन्त में कितने संयंत्र बन्द पड़े थे, और

(घ) मिनी इस्पात संयंत्रों के ठीक से काम न करने के क्या कारण हैं ?

**इस्पात और खान मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) :** (क) से (घ) : देश में अब तक कुल 100 लघु इस्पात संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं । लघु इस्पात संयंत्रों में कुल 116 करोड़ रुपए की पूंजी लगी हुई है । इनकी कुल अधिष्ठापित क्षमता 26 लाख टन पिण्ड प्रति वर्ष है । वर्ष 1974-75 में वास्तविक उत्पादन 7.5 लाख टन और वर्ष 1975-76 में 10.5 लाख टन था (द्रव धातु जिसमें ढलाई के लिए मिश्रित इस्पात तथा इस्पात भी शामिल है ) ।

जून, 1976 के अन्त में बन्द पड़े संयंत्रों के बारे में जानकारी प्राप्त की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

1975–76 तक इस उद्योग की मुख्य समस्याएं बिजली की कम उपलब्धि और स्क्रेप की कमी थीं। अब ये उनकी मुख्य समस्याएं नहीं हैं। पहले कुछ लघु इस्पात संयंत्रों को मुख्यतः अलाभ चालन, अपने उत्पादों के विपणन में कठिनाई तथा अपर्याप्त ऋण सुविधाओं आदि के कारण कठिनाइयां पेश आ रही थीं। उत्पादन-शुल्क में राहत देने के सरकार के निर्णय तथा देश की अर्थव्यवस्था में सामान्य सुधार होने से इन इकाइयों को काफी सहायता मिली है और इनका उत्पादन अब बढ़ना शुरु हो गया है।

**छटनी, जबरन छुट्टी और खारखानों के बंद होने की घटनाओं में वृद्धि**

1047. **श्री सोमनाथ चटर्जी**
**श्री राजा कुलकर्णी** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी से जून, 1975; जुलाई, से दिसम्बर, 1975 और जनवरी से जून, 1976 के बीच हड़तालों तथो तालाबन्दियों के कारण राज्यवार कितने जन-दिवसों की हानि हुई;

(ख) जनवरी, से जून, 1975; जुलाई से दिसम्बर, 1975 और जनवरी से जून 1976 के बीच छंटनी, जबरन छुट्टी और कारखानों के बन्द हो जाने की राज्यवार कितनी-कितनी घटनाएं हुई, और

(ग) छंटनी, जबरन छुट्टी तथा कारखानों के बन्द होने की घटनाओं में इन अवधियों के दौरान वृद्धि होने के क्या कारण हैं ?

**श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बालगोविद वर्मा) : (क) से** (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा समय सभा की मेज़ पर रख दी जायगी।

**समाचार द्वारा शिक्षित लोगों में बेरोज़गारी का सर्वेक्षण**

1048. **श्री सोमनाथ चटर्जी** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समाचार ने देश में हाल में शिक्षित लोगों में बेरोज़गारी के बारे में सर्वेक्षण किया था ;

(ख) यदि हां, तो सर्वेक्षण की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) शिक्षित व्यक्तियों के लिए रोज़गार उत्पन्न करने वाली सरकार की योजनाओं का प्रभाव क्या हुआ है ?

**श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा)** : (क) और (ख) : संभाव्यतः इसका प्रसंग बाबूगिरी की नौकरी के लिए अंडर-ग्रेज्युएटों में विद्यमान उत्सुकता के संबंध में 11-6-76 के फाइनेन्शियल ऐक्सप्रेस में 'समाचार' द्वारा छापी गई रिपोर्ट से है। उपलब्ध सूचना से, जो कि रोजगार कार्यालयों में दर्ज नौकरी चाहने वालों (जो सभी अनिवार्यतः बेरोजगार नहीं है) की संख्या के संबंध में है, पता चलता है कि नौकरी चाहने वालों (मैट्रिक उत्तीर्ण और उससे अधिक) की संख्या में वृद्धि हुई है। यह संख्या 31-12-75 को 48.05 लाख थी जिसमें 38.69 लाख (लगभग 80%) अंडर ग्रेजुएट शामिल हैं।

(ग) विभिन्न रोज़गार योजनाओं के अन्तर्गत, जिनका व्यौरा नीचे दिया गया है, पर्याप्त रोज़गार अवसर पैदा किए गए थे:—

| | |
|---|---|
| (1) शिक्षित बेरोज़गारों के लिए कार्यक्रम | 0.97 लाख नौकरियां |
| (2) राज्यों और संघशासित क्षेत्रों के लिए विशेष रोज़गार कार्यक्रम | 1.85 लाख नौकरियां। और रोज़गार के 239.21 लाख श्रम दिन। |
| (3) पांच लाख रोज़गार कार्यक्रम | 3.42 लाख नौकरियां। |
| (4) रोज़गार वर्धन कार्यक्रम | 0.67 लाख नौकरियां। |

पांचवीं पंचवर्षीय योजना में अपनाई गई रोज़गार नीति का उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में योजना कार्यक्रमों के कार्यान्वयन द्वारा रोज़गार अवसरों की व्यवस्था करना है। इन सभी कार्यक्रमों से विभिन्न राज्यों में पर्याप्त रोज़गार अवसर पैदा होने की संभावना है। इसके अलावा, 20-सूत्री आर्थिक कार्यक्रम से, जो कि इस समय कार्यान्वित किया जा रहा है, रोज़गार अवसर पैदा होने में काफी तेजी आएगी।

**नाविकों को आग बुझाने का प्रशिक्षण**

1050. **श्री मौलाना इसहाक सम्भली :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नाविकों की जहाज पर आग बुझाने का प्रशिक्षण देने हेतु व्यापारिक बेड़े के लिये ऐसे संस्थान बनाने का निर्णय किया है, और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

**नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० एम० त्रिवेदी) :** (क) जी हां ।

(ख) समुद्र में जहाजों में कार्यकुशल और प्रभावी ढंग से अग्नि की देखभाल करने के लिए व्यापार पोत अधिकारियों और नाविकों को प्रस्तावित अग्नि शमन संस्थान प्रशिक्षण देगा ।

**नवयुवकों में नशीली औषधियों के सेवन की लत**

1051. **श्री एम० एस० पुरती :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नशीली औषधियों के सेवन और उनका दुरुपयोग करने की लत विशेष रूप से नवयुवकों में खतरनाक सीमाओं तक बढ़ गई है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है ?

**स्वास्थ्य और परिवार नियोजन उप मंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक):** (क) और (ख) इस आशय की सूचना मिली है कि नशीली दवाइयों की लत खास कर छात्रों में बढ़ती जा रही है । अत: केन्द्रीय सरकार ने अन्य बातों के साथ साथ इस बात की भी जांच करने के लिए कि देश में विशेषत: छात्रों में औषधि की लत किस हद तक पड़ी हुई है एक समिति नियुक्त कर दी है और उससे अनुरोध किया है कि वह इस पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करे ।

**ईरान में रुके भारतीय**

1052. **श्री पी० गंगादेव :** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ईरान में भारतीय रुके हुए हैं और उनको वहां कठिन स्थिति का सामना करना पड़ रहा है ;

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं; और

(ग) इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

**विदेश मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बिपिनपाल दास) :** (क) और (ख) भारत के कुछ बेइमान एजेन्टों द्वारा अच्छी नौकरी के झूठे आश्वासनों में आकर जो अशिक्षित/अर्ध-शिक्षित भारतीय ईरान चले गए थे उनके वहां बेसहारा छोड़ दिए जाने के कुछ मामले सरकार की जानकारी में आए हैं । वित्तीय साधनों के अभाव और स्थानीय भाषा न जानने के कारण ऐसे लोगों को मुसीबतों का सामना करना ही पड़ता है ।

(ग) ऐसे असहाय लोग जब ईरान स्थित हमारे दूतावास में पहुंचते हैं तो देश प्रत्यावर्तन के मामले में उन्हें सभी संभव सहायता दी जाती है । इस क्षेत्र में बेइमानी से भर्ती करने वाले जो एजेन्ट कार्य कर रहे हैं उनकी गतिविधियां रोकने के लिए सरकार समुचित प्रशासनिक एवं कानूनी तरीके भी अपना रही है ।

**Foreign Participants in URS in Ajmer**

1053. SHRI LALJI BHAI : Will the MINISTER OF EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state the number of foreign nationals who participated in the annual Urs of Khwaja Moinuddin Chishti at Ajmer (Rajasthan) during the last three years together with their country-wise break-up?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI BIPINPAL DAS) : The information is being collected and will be placed on the Table of the House as early as possible.

**Sale of Rock Phosphate**

1054. SHRI LALJI BHAI : Will the MINISTER OF STATE AND MINES be pleased to state :

(a) whether the sale of rock phosphate from Jhamar-Kotra mine in Udaipur (Rajasthan) registered an increase of 62 per cent in 1975-76 as compared to that of last year whereas the imports have gone down by 45 per cent during the same period; and

(b) the steps being taken by Government to increase its production capacity?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF STEEL AND MINES (SHRI SUKHDEV PRASAD) : (a) Yes Sir.

(b) For increasing production capacity, the mining operations are being mechanised.

**दिल्ली में नसबंदी**

1055. **चौधरी रामप्रकाश** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में अप्रैल-जून, 1976 में नसबंदी आपरेशन का एक रिकार्ड कायम किया था; और

(ख) यदि हां, तो इस अवधि में कितने व्यक्तियों की नसबंदी की गई ?

**स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए0 के० एम० इसहाक)** : (क) इस अवधि के दौरान दिल्ली संघ शासित क्षेत्र ने नसबन्दी आपरेशनों के अनुपातिक लक्ष्य का 447.7 प्रतिशत के एक ऊंचे रिकार्ड को पूरा कर लिया है।

(ख) उपलब्ध अनंतिम आंकड़ों के अनुसार इस अवधि में 32,456 नसबन्दी आपरेशन किए गए।

**केरल सरकार द्वारा एक अटैक फेज यूनिट (मलेरिया) मंजूर करने का अनुरोध**

1056. **श्री ए० के० गोपालन** :
**श्री सी० एच० मोहम्मद कोया** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने केरल में वन हटाए जाने तथा नई बस्तियां बनाए जाने के परिणाम-स्वरूप बीमारी के खतरे वाले क्षेत्र के लिए एक अटैक फेज यूनिट (मलेरिया) मंजूर करने के लिए केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए0 के0 एम0 इसहाक)** : (क) जी हां।

(ख) राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के अन्तर्गत अनुरक्षण चरण में है। अतः वर्तमान पैटर्न के अनुसार केरल सरकार को कोई केन्द्रीय सहायता नहीं दी जा सकती।

**अफगानिस्तान में सांस्कृतिक महत्व के स्मारकों का संरक्षण तथा औद्योगिक बस्तियों की स्थापना**

1057. **श्री सुबोध हंसदा** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार अफगानिस्तान में अनेक बड़े सांस्कृतिक महत्व के स्मारकों के संरक्षण और औद्योगिक बस्तियों की स्थापना में सहायता दे रही है; और

(ख) इन सहयोग परियोजनाओं के समूचे विश्व में प्रचार हेतु विदेश प्रचार विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई ?

**विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बिपिन पाल दास)** : (क) जी हां, भारत सरकार बामियान में दो बौद्ध मूर्तियों के जिनके चारों तरफ समाधियां हैं, और बल्ख में रवाजा पर्सा मस्जिद के संरक्षण में सहयोग दे रही है।

भारत सरकार ने काबुल में लघु उद्योगों के लिए एक औद्योगिक बस्ती की स्थापना में अफगानिस्तान सरकार के साथ सहयोग किया है । इस समय भारतीय विशेषज्ञों का दल अफगानिस्तान गया हुआ है जो वहां कन्धार, हैरत और बल्ख में औद्योगिक बस्तियां स्थापित करने के बारे में सम्भाव्यता रिपोर्ट तैयार करेगा। उम्मीद है कि ये रिपोर्टें बहुत जल्दी तैयार हो जाएंगी।

(ख) भारत और अफगान की सरकारों के बीच आर्थिक तथा तकनीकी क्षेत्रों में सहयोग से संबंधित निर्णय भारत-अफगान संयुक्त आयोग में लिए जाते हैं और इन निर्णयों से संबद्ध सूचना को विज्ञप्तियों और प्रेस बंटनों के माध्यम से पर्याप्त रूप से प्रचारित किया जाता है।

विदेश मंत्रालय के विदेश प्रचार प्रभाग ने "द बुद्ध इन अफगानिस्तान : इंडियाज़ एण्ड टु ब्रिग बामियन बैक टु लाइफ"—नामक एक पुस्तिका प्रकाशित की है।

### इण्डियन आयरन एंड स्टील कम्पनी के स्टाक यार्डों द्वारा बिक्री में हानि

1058. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस्पात की कुछ वस्तुओं में 31, मार्च 1976 में वृद्धि की गई है ;

(ख) क्या इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कंपनी के कलकत्ता, दिल्ली और बम्बई स्थित स्टाक यार्डों में उस दिन पहले मूल्यों पर ही कुछ निजी व्यापारियों को बिक्री होती रही है तथा उधार माल दिया जाता रहा है जिससे उनको लाभ हुआ है और कम्पनी को भारी हानि उठानी पड़ी है, और

(ग) यदि हां, तो क्या इन कदाचारों की जांच की गई है और इनके क्या परिणाम निकले हैं?

**इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद)** : (क) रेल भाड़े की दरों में वृद्धि हो जाने से संयुक्त संयंत्र समिति ने 1 अप्रैल, 1976 से इस्पात के मूल्य बढ़ा दिए थे।

(ख) इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी के स्टाकयार्डों द्वारा 31 मई, 1976 को माल उस दिन के प्रवर्तमान मूल्य पर बेचा गया था और कुछ मामलों में उन की सामान्य वाणिज्यिक प्रथा के अनुसार माल उधार पर भी बेचा गया था।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

### इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी के स्टाकयार्डों द्वारा 'डिफक्टिव' इस्पात की बिक्री

1059. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी के कलकत्ता, दिल्ली और बम्बई स्थित स्टाक यार्डों द्वारा वित्त वर्ष 1975-76 में हर मास तथा सीधे उपभोक्ताओं को और (दो) निजी व्यापारियों को कितनी मात्रा में (क) "डिफैक्टिव" (ख) नान स्टैण्डर्ड, कट डाउन स्टील और (ग) परीक्षित किस्म का स्टैण्डर्ड इस्पात बेचा गया; और

(ख) क्या वह इस कथित आरोप की जांच का आदेश देंगे कि निजी व्यापारियों के साथ सांठ-गांठ करके निजी लाभ के लिए बड़ी मात्रा में इस्पात को धोखा धड़ी से 'डिफैक्टिव' तथा 'नान स्टैण्डर्ड' दिखाया गया हैं ?

**इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद)** : **(क) और (ख)** : जानकारी प्राप्त की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

### Parcel Postal Service between India and Bangladesh

1060. SHRI MOHAN SWAROOP : Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state :

(a) whether parcel postal service has been introduced on a permanent basis between India and Bangladesh; and

(b) if so, the facts thereof?

THE MINISTER OF COMMUNICATIONS (DR. SHANKAR DAYAL SHARMA) : (a) Yes, Sir.

(b) A bilateral parcel post agreement has been signed by India and Bangladesh. This took effect from 1-8-76 and has replaced the ad hoc arrangement under which postal parcels were being exchanged since 1-3-1973. The parcel postage and other fees concerning insurance, registration, redirection etc., have to be paid at the same rate as in the inland post; in addition a supplementary charge is also levied at the following rates

| | |
|---|---|
| Upto 1 Kg. | Rs. 1·50 p. |
| Over 1 Kg. upto 3 Kgs. | Rs. 2·45 p. |
| Over 3 Kgs. upto 5 Kgs. | Rs. 3·95 p. |
| Over 5 Kgs. upto 10 Kgs. | Rs. 6·15 p. |

Registration of the parcel is compulsory and the maximum weight admitted is 10 Kgs.

**टेलीफोन सलाहकार समितियों में काम करने हेतु संसद्-सदस्यों की सहमति प्राप्त करना**

1061. **श्री सुबोध हंसदा** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने पिछली समितियों की कार्यविधि बढ़ाते समय बम्बई तथा अन्य नगरों की टेलीफोन सलाहकार समितियों में काम करने के लिए संसद् सदस्यों की सहमति प्राप्त कर ली है; और

(ख) क्या सरकार टेलीफोन, डिस्ट्रिक्ट डाक तथा दूर संचार सर्किलों से संबंद्ध समितियों की आवश्यकता और/या 'गठन' के बारे में किसी नए दृष्टिकोण पर विचार कर रही है?

**संचार मंत्री (डा० शंकर दयाल शर्मा)** : (क) टेलीफोन सलाहकार समितियों में संसद् सदस्यों को संसद कार्य विभाग की सिफारिशों पर नामित किया जाता है। इस मंत्रालय द्वारा संबंधित संसद् सदस्यों की सहमति प्राप्त करने का प्रश्न ही नहीं उठता। दिल्ली और बम्बई की टेलीफोन सलाहकार समितियों का कार्यकाल बढ़ाने के बारे में संसद कार्य विभाग को सूचित कर दिया गया है।

(ख) जी नहीं।

---

**ओलिम्पिक खेलों में भारतीय हाकी टीम के प्रदर्शन के बारे में वक्तव्य**

RE : STATEMENT ON PERFORMANCE OF INDIA'S HOCKEY TEAM IN OLYMPICS :

**श्री कृष्णचन्द्र हाल्दर (ग्रौसग्राम)** : मैंने ओलम्पिक खेलों में भारतीय हाकी टीम के प्रदर्शन के बारे में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का नोटिस दिया था। इस बारे कोई भी वक्तव्य नहीं दिया गया।

**अध्यक्ष महोदय** : इस पर अध्ययन समिति विचार कर रही है।

**श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर** : इस बारे सभा में कोई भी घोषणा नहीं की गई है।

**अध्यक्ष महोदय** : घोषणा की कोई आवश्यकता नहीं।

# सभा-पटल पर रखे गए पत्र
# PAPERS LAID ON THE TABLE

**मद्रास पत्तन न्यास तथा बम्बई पत्तन न्यास के वर्ष 1974-75 के वार्षिक लेखे तथा वाणिज्य पोत परिवहन, 1958 के अन्तर्गत अधिसूचना**

**नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री एच० एम० त्रिवेदी)** : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—(1) मुख्य पत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 103 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखिन पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) मद्रास पत्तन न्यास के वर्ष 1974-75 के वार्षिक लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ।

(दो) बम्बई पत्तन न्यास के वर्ष 1974-75 के वार्षिक लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ।

**[ग्रंथालय में रखा गया देखिए संख्या एल० टी० 11133/76]**

(2) वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 की धारा 458 की उपधारा (3) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 784 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 5 जून, 1976 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें दिनांक 8 मई 1976 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 646 का शुद्धि-पत्र दिया हुआ है ।

**[ग्रंथालय में रखा गया देखिए संख्या एल० टी० 11134/76]**

**स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा तथा अनुसंधान संस्थान, चंडीगढ़ के वर्ष 1974-75 के प्रमाणित तथा अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 1973-74 के प्रमाणित लेखे**

**स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक)** : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:—

(1) स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा तथा अनुसंधान संस्थान, चण्डीगढ़ अधिनियम 1966 की धारा 18 की उपधारा (4) के अन्तर्गत स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा तथा अनुसंधान संस्थान चण्डीगढ़ के वर्ष 1974-75 के प्रमाणित लेखे (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ।

**[ग्रंथालय में रखा गया देखिए संख्या एल० टी० 11135/76]**

(2) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अधिनियम 1956 की धारा 18 की उपधारा (4) के अन्तर्गत अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली के वर्ष 1973-74 के प्रमाणित लेखे (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति ।

**[ग्रंथालय में रखा गया देखिए संख्या एल० टी० 11136/76]**

**भारत में महिलाओं के स्थान सम्बन्धी समिति का प्रतिवेदन और सभा-पटल पर न रखे जाने के कारण बताने वाला एक विवरण**

**शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री अरविंद नेताम)** : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) भारत में महिलाओं के स्थान सम्बन्धी समिति के प्रतिवेदन (हिन्दी संस्करण) की एक प्रति ;

(2) उपर्युक्त प्रतिवेदन के अंग्रेजी संस्करण के साथ उसका हिन्दी संस्करण पहले सभा पटल पर न रखे जाने के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं ।

**[ग्रंथालय में रखा गया देखिए संख्या एल० टी० 11137/76]**

**Annual Reports of Damodar Valley Corporation for 1973-74 with audit Report and a Statement for deley**

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF ENERGY (PROF. SIDDHESHWAR PRASAD) : I beg to lay on the table :—

(i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Damodar Valley Corporation along with the Audit Report on the accounts thereof for the year 1973-74. under sub-section (5) of section 45 of the Damodar Valley Corporation Act, 1948.

(ii) A statement (Hind and English versions) showing reasons for delay in laying the above report.

[Placed in the Library—*see* No. L.T. 11138/76]

**गुजरात खनिज विकास निगम लिमिटेड, अहमदाबाद के वर्ष 1974-75 के कार्यकरण की समीक्षा तथा वार्षिक प्रतिवेदन**

**इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद)** : मैं गुजरात राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा दिनांक 12 मार्च, 1976 को जारी की गई उद्घोषणा के खण्ड (ग) (तीन) के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति:—

(1) गुजरात खनिज विकास निगम लिमिटेड, अहमदाबाद के वर्ष 1974-75 के कार्यकरण की गुजरात सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) गुजरात खनिज विकास निगम लिमिटेड, अहमदाबाद का वर्ष 1974-75 का वार्षिक प्रतिवेदन लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां। **[ग्रंथालय में रखा गया देखिए संख्या एल० टी० 11139/76]**

---

# राज्य सभा से संदेश

## MESSAGE FROM RAJYA SABHA

**पुरावशेष तथा बहुमूल्य कलाकृति (संशोधन) विधेयक**

**महासचिव** : मैं राज्य सभा से प्राप्त एक संदेश की सूचना देता हूं कि राज्य सभा ने 16 अगस्त, 1976 की अपनी बैठक में पुरावशेष तथा बहुमूल्य कलाकृति (संशोधन) विधेयक, 1966 पास किया है।

2. मैं पुरावशेष तथा बहुमूल्य कलाकृति (संशोधन) विधेयक, 1976 राज्य सभा द्वारा पास किए गए रूप में, सभा पटल पर रखता हूं।

---

# अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

## CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

**विभिन्न राज्यों में सूखे की स्थिति**

**अध्यक्ष महोदय** : मैं चाहता हूं कि माननीय सदस्य 2–4 मिनट में अपनी बात कहें ताकि हम 30–35 मिनट में इस मामले पर विचार कर सकें।

**श्री के० लकप्पा** : हम चाहते हैं कि देश में सूखे की स्थिति पर विस्तार से चर्चा करें।

**अध्यक्ष महोदय** : मंत्री महोदय संक्षिप्त तथा पूर्ण उत्तर दें।

**निर्माण और आवास तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया)** : अत्यन्त संक्षिप्त ।

**इस्पात और खान मंत्री (श्री चन्द्रजीत यादव)** : प्रश्न संक्षिप्त होने चाहिए।

**श्री एम० कत्तामुतु (नागपट्टीयम)** : मैं कृषि और सिंचाई मंत्री का ध्यान निम्नलिखित लोक महत्व के विषय की ओर दिलाना चाहता हूं तथा उनसे निवेदन करता हूं कि वह इस पर एक वक्तव्य दें :

विभिन्न राज्यों में विशेषकर तमिलनाडु, कर्नाटक तथा अन्य सूखा प्रवृत्त क्षेत्रों में सूखे की स्थिति जिसके परिणामस्वरूप पीने के पानी की कमी हो गई है तथा पशु मर गए हैं।

**कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) :** इस वर्ष केरल में दक्षिण पश्चिमी मानसून 31 मई को समय पर आया और प्रायद्वीप के कुछ भागों में तेज़ी से बढ़ गया। तथापि, मानसून की गति-विधि जून के दूसरे और तीसरे सप्ताह के दौरान विशेष रूप से दक्षिण में कमज़ोर पड़ गई। मानसून जून के अंतिम सप्ताह में दक्षिणी और कुछ पूर्वी राज्यों में फिर शुरू हुआ, किन्तु देश के अधिकांश भागों में जुलाई के पहले सप्ताह तक यह कमजोर रहा। मानसून के अनियमित होने के कारण सरकार को पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और केरल के कुछ भागों में सूखे की सूचना मिली है। तमिलनाडु में पिछले उत्तर-पूर्वी मानसून के अपर्याप्त होने के कारण, जोकि उस राज्य में वर्षा का मुख्य स्रोत है, कुछ ज़िलों में सूखे की स्थिति की सूचना मिली थी।

उपलब्ध सूचना के अनुसार, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, और आंध्र प्रदेश राज्यों में फसल की स्थिति, अच्छी है, क्योंकि इन राज्यों में मानसून पर्याप्त रहा है। मध्य प्रदेश और उड़ीसा में कुछ छिटपुट क्षेत्रों को छोड़कर स्थिति संतोषजनक है। पश्चिम बंगाल, बिहार तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में सूखी हवाओं और कम वर्षा के कारण धान की रोपाई में विलम्ब हुआ है। यद्यपि केरल में दक्षिण-पश्चिमी मानसून समय पर आया, फिर भी जुलाई के मध्य तक आमतौर से अपर्याप्त वर्षा हुई। उसके बाद कुछ सुधार हुआ है, किन्तु राज्य में अभी तक कुल वर्षा लगभग 45 प्रतिशत तक कम हुई है। विरूपु मौसम के प्रथम भाग में बोई गई फसल प्रभावित हुई थी। कर्नाटक में मई से जुलाई के बीच देर से तथा अपर्याप्त वर्षा हुई थी। उत्तरी ज़िलों में कुछ छोटे क्षेत्रों के अलावा, राज्य के तटीय तथा मालनद क्षेत्र प्रभावित नहीं हुए हैं। दक्षिणी ज़िले प्रभावित हुए थे। परन्तु, कुछ तालुकों को छोड़कर, जुलाई के दौरान सारे राज्य में वर्षा हुई और अधिकांश क्षेत्रों को स्थिति में सुधार हुआ है। तमिल नाडु में अपर्याप्त उत्तर-पूर्वी मानसून के कारण कुछ ज़िलों में उत्पन्न हुई कठिनाइयों के अलावा, कर्नाटक तथा केरल राज्यों के पश्चिमी घाटों के सव्रण-क्षेत्रों में अपर्याप्त वर्षा होने से भी जलाशय जल से नहीं भरे। इसके फलस्वरूप सिंचाई के लिए जल की सप्लाई करने में देरी हुई।

देश के किसी भाग से चारे की कमी के कारण पशुओं के मरने की कोई सूचना नहीं मिली है। तमिल नाडु, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और बिहार के कुछ भागों से पेयजल की समस्याओं की सूचना मिली है। सम्बन्धित राज्य सरकारें इन समस्याओं को हल कर रहीं हैं।

पिछले चार सप्ताहों के दौरान देश के अधिकांश भागों में दूर-दूर तक तथा अच्छी वर्षा हुई। यदि मानसून की वर्तमान गति बनी रहे, तो आशा है कि प्रभावित राज्यों की स्थिति में सुधार होगा।

हमारा देश बहुत बड़ा है। कुछ भागों या क्षेत्रों में अपर्याप्त या असमान वर्षा होना एक असामान्य बात नहीं है।

इस समय देश में खाद्य स्थिति ठीक है। 1975-76 में अच्छी फसल होने के फलस्वरूप सारे देश में खाद्यान्न आसानी से उपलब्ध है। इसके अलावा, सरकार के पास 170 लाख मीटरी टन से अधिक का रिकार्ड स्टाक है, जिससे वह सार्वजनिक वितरण प्रणाली की पूरी आवश्यकताएं पूरा कर सकेगी और मूल्यों को उचित स्तर पर बनाए रखेगी। केरल, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र आदि कमी वाले राज्यों को खाद्यान्नों का अतिरिक्त आबंटन भी किया जा रहा है।

जैसा पहले उल्लेख किया जा चुका है, समग्र स्थिति ऐसी है जिस पर चिन्ता नहीं की जानी चाहिए। तथापि, हम राज्य सरकारों से बराबर सम्पर्क बनाए हुए हैं और आगामी महीनों की प्रगति के आधार पर आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।

**श्री एम० कत्तामुतु :** मंत्री महोदय ने अपने वक्तव्य में बताया है कि समग्र रूप से सूखे की स्थिति ऐसी गम्भीर नहीं है। तमिलनाडु के 15 जिलों में से 11 सूखाग्रस्त हैं। राज्य सरकार पेय जल पर 10 करोड़ रुपए व्यय करती है। सूखाग्रस्त क्षेत्रों में कृषि श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराने पर 12 करोड़ रुपए व्यय कर रही है। वक्तव्य में कर्नाटक तथा केरल द्वारा जल दिए जाने में विलम्ब का उल्लेख किया गया है। कावेरी नहर प्रणाली, जी० आई० नहर क्षेत्र तथा अन्य क्षेत्रों को पानी की सप्लाई नहीं मिली है जिसके परिणाम स्वरूप

4–5 लाख एकड़ भूमि को पानी नहीं दिया जा सका। राज्य सरकार ने कितनी सहायता मांगी थी तथा उसे कितनी सहायता दी गई?

**श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे** : कल मैं तमिलनाडु में था तथा मैंने राज्य प्रशासन से बातचीत की थी। अप्रैल में एक अध्ययन दल की नियुक्ति की गई थी। उनकी सिफारिशों पर राज्य सरकार को 7 1/2 करोड़ रुपए की अग्रिम सहायता दी गई। राज्य ने एक और दल की नियुक्ति की मांग की है, जिस पर विचार किया जा रहा है। धान की फसल को हानि हुई है। मक्का रबी, बाजरा, गन्ने आदि की फसलें सामान्य रही हैं। तमिलनाडु सरकार सभी आवश्यक कदम उठा रही है। 130000 व्यक्तियों को रोजगार दिया गया है।

**Shri Bibhuti Mishra** (Motihari) : In his brief statement the Hon Minister has admitted that there has been below normal rains in West Bengal, Bihar, U.P., Karnataka and Tamil Nadu and the condition of these states is deplorable.

In the absence of irrigation facilities the condition of the districts of Bihar State is critical. The Hon. Minister has stated that India is a vast country. It is but natural to see draught in some parts and floods in others. But it is in our hands to arrange for irrigation facilities. If the Gandak canal works well the State of affairs in Champaran, Saran, Muzaffarnagar and Darbhanga would not have been deteriorated to that extent. In our present system there is vast complex of affairs from overseer to chief Engineer even then the banks of our canals are breached. If that does not happen a lot of work can be done.

Private Tube-well owners charge 7 Rupees per hour. At that rate holders one Bhigha are required to spend 400 Rupees. How can the farmers afford that?

That matter was discussed in Bihar Assembly. The District Magistrate of my district has done a lot in this regard. Even the minor irrigation schemes are in your hands. What steps the Government are taking in this regard?

**श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे** : बिहार में मानसून में विलम्ब के कारण पौदे लगाने के कार्य पर बहुत विपरीत प्रभाव पड़ा। परन्तु हाल ही में स्थिति में परिवर्तन हो गया है। यह सही है कि पौदे लगाए जाने में विलम्ब के कारण विपरीत प्रभाव पड़ेगा। मामला राज्य सरकार के अधिकार में है जो आवश्यक होने पर केन्द्र से सहायता ले सकती है। इस समय राज्य सरकार ट्यूब वैलों के लिए बिजली दे रही है। वास्तव में बिहार में कृषि को नियंत्रण में लाया जा सकता है। यदि भूमिगत तथा भूमिस्तर पर विद्यमान जल को उपयोग में लाया जा सके।

**Shri Bibhuti Mishra** : There is shortage of drinking water in South Bihar.

**Mr. Speaker** : Let there be a meeting between the Chief Minister and the Irrigation Minister. That would solve your problem.

**श्रीमती पार्वती कृष्णन (कोयम्बाटूर)** : जहां तक सूखे का प्रश्न है यह प्रतिवर्ष का मामला बन गया है। सरकार उसे रोकने के लिए क्या कार्यवाही कर रही है। केन्द्रीय दल 5 दिन में 15 ज़िलों का दौरा करे यह पर्याप्त नहीं है। क्या सरकार वर्तमान टैंकों, बांधों की मरम्मत कर रही है ताकि पेय जल उपलब्ध होता रहे।

फसलों की स्थिति पर ध्यान दिया जाना चाहिए। केरल में सूखे के कारण धान की खेती में 13 करोड़ रुपए की हानि हुई।

तमिलनाडु में कई वर्षों से पड़ रहे सूखे के कारण नारियल के पेड़ सूख रहे हैं। मूंगफली में भी हानि हुई है। उसकी अनुमानित हानि 1 1/2 करोड़ रुपए है। विदेशी मुद्रा अर्जित करने वाली काली मिर्च में 44 लाख रुपए की हानि हुई है।

कोयम्बटूर जिसे दक्षिण का मांचेस्टर कहा जाता है जैसे जिलों में वर्ष प्रति वर्ष सूखे के कारण उद्योगों पर भी प्रभाव पड़ा है। पानी बिजली आदि की कमी के कारण लघु उद्योग ठप्प पड़े हैं। क्या सरकार अब इस बात पर विचार करेगी कि सूखे से बचाव के लिए जो भी राहतें दी जाती हैं वे स्थायी तौर पर दी जाएं। तमिलनाडु राज्य के 15 जिले सूखाग्रस्त हैं अतएव उसकी विषम स्थिति सिद्ध ही है।

कर्नाटक राज्य की भी वैसी ही स्थिति है। परन्तु मंत्री महोदय सदन में कहते हैं कि उन्हें कोई प्रतिवेदन नहीं मिला है।

यदि आप संसद की कार्यवाही देखें तो प्रति वर्ष सूखा पड़ता है और सदन में इसी प्रकार चर्चा की जाती है ।

नहरी पद्धति के आधुनिकीकरण के प्रश्न की भी वर्षों से उपेक्षा की जा रही है । आपात स्थिति की एक वर्ष से भी अधिक अवधि के दौरान जनता को कितनी राहतें दी गई हैं?

**श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे** : मुझे पता नहीं है कि माननीय सदस्यों को मेरे वक्तव्य पर क्या आपत्ति है। मामले के दो पहलू हैं। एक वस्तुस्थिति का सही मूल्यांकन तथा दूसरे राहत कार्य।

स्थिति को बढ़ा चढ़ा कर बताने से कुछ उपलब्धि नहीं होगी। कल ही मैंने मद्रास में चारे की समस्या तथा अन्य समस्याओं के बारे में राज्य प्रशासन से बातचीत की थी। वास्तव में दक्षिण-पश्चिम मानसून सामान्य रही हैं, हालांकि तमिलनाडु में मोनसून वर्षा का मुख्य साधन नहीं है।

राहत कार्यों के बारे में तमिलनाडु राज्य का 6000 कुएं खोदने का विचार है जिनमें से 3000 का कार्य पूरा हो गया है। राहत कार्यों पर लगभग 1 1/2 लाख व्यक्ति नियुक्त हैं। यदि अधिक व्यक्ति रोजगार चाहते हैं तो उसके लिए धन आदि उपलब्ध किया जाएगा। मुझे पता नहीं मेरे वक्तव्य में क्या असंगति है?

**अध्यक्ष महोदय** : : वह अन्य फसलों के बारे में जानना चाहती थीं।

**श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे** : मैं माननीय सदस्या को आश्वासन देता हूं कि अन्य फसलों को क्षति नहीं पहुंची है।

तमिलनाडु सरकार ने एक और दल भेजने के लिए निवेदन किया है। दल की नियुक्ति की जाएगी। तमिलनाडु तथा केरल राज्य के लोगों को जो भी सहायता अपेक्षित होगी, पहुंचाई जाएगी। सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में राहत कार्यों में कोई कमी नहीं रखी जाएगी।

**श्रीमती पार्वती कृष्णन** : जो कुएं वहां पर खोदे गए हैं उनकी देखभाल नहीं की जाती । सभी गांवों में कुओं की हालत खस्ता हो गई है। इसके अध्ययन के लिए एक पृथक दल की नियुक्ति की जानी चाहिए।

**श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे** : हम इन सुझावों को ध्यान में रखते हुए एक अध्ययन दल भेजेंगे।

---

## कार्य मंत्रणा समिति
## BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

### 63वां प्रतिवेदन

**निर्माण और आवास तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरमैया)** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा कार्य मन्त्रणा समिति के 63वें प्रतिवेदन से, जो 17 अगस्त 1976 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है।"

**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा कार्य मंत्रणा समिति के 63वें प्रतिवेदन से, जो 17 अगस्त, 1976 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ**

*The motion was adopted*

## विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण (दूसरा संशोधन) विधेयक, 1976—जारी
## CONSERVATION OF FOREIGN EXCHANGE AND PREVENTION OF SMUGGLING ACTIVITIES (SECOND AMENDMENT) BILL—*Contd.*

**अध्यक्ष महोदय** : अब हम 17 अगस्त, 1976 को श्री प्रणव कुमार मुखर्जी द्वारा पेश किए गए निम्न-लिखित प्रस्ताव पर आगे विचार करेंगे :—

"कि विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम, 1974 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

**श्री के० लकप्पा (तुमकर)** : तस्करी गम्बई से हट कर नेपाल की सीमा पर पहुंच गई है तथा वहां पर तस्करी कार्य तथा विदेशी मुद्रा का उल्लंघन व्यापक रूप से फैला हुआ है । उन्हें रोकने के लिए 1971 के द्विपक्षीय करार के अनुरूप प्रभावी कार्यवाही नहीं की जा रही है । अतः जहां तक नेपाल सीमा पर तस्करों के जमाव और उनकी गतिविधियों को रोकने के लिए इस मंत्रालय को कुछ कार्यवाही करनी होगी।

इस विधेयक का एक उद्देश्य देश की विदेशी मुद्रा का संरक्षण करना है। यह सर्वविदित है कि कुछ बैंकों में, विशेषकर गैर-राष्ट्रीयकृत बैंकों में कुछ उच्च अधिकारियों का तस्करों से सम्बन्ध है। यह समाचार समाचारपत्रों में भी छपा था और लोगों ने इस पर रोष भी प्रकट किया था, किन्तु कोई कार्यवाही नहीं की गई। लोग अपना धन गैर-राष्ट्रीयकृत बैंकों में जमा कर रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि कितने राष्ट्रीयकृत बैंकों ने विदेशी मुद्रा नियमों का उल्लंघन किया है और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बनाए गए नियमों तथा विनियमों के विपरीत कार्यवाही की है? हमारी बैंकिंग पद्धति का कुछ भाग अभी भी प्राइवेट लोगों के हाथों में है और ये लोग केन्द्रीय राजस्व बोर्ड के अधिकारियों से मिले हुए हैं। अतः जब तक इन तत्वों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही नहीं की जाएगी तब तक विदेशी मुद्रा विनियमों का उल्लंघन खत्म नहीं होगा। जब तक मंत्री जी स्वयं बैंकों द्वारा की जा रही धोखाधड़ी के मामलों को रोकने में रुचि नहीं लेंगे और जब तक तस्करों का बैंकों से सम्बन्ध बना रहेगा और उनके विरुद्ध कड़ी कार्यवाही नहीं की जाएगी तब तक विधेयक पास करने से कोई फायदा नहीं होगा। परन्तु उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई।

जहां तक इस देश से बचकर अन्य देशों में जाने वाले तस्करों का सम्बन्ध है, उनका पता लगाने के लिए हमारे दूतावासों को अधिक रुचि लेनी चाहिए और उन्हें गिरफ्तार करना चाहिए । किन्तु ऐसा नहीं किया जा रहा है। ऐसा लगता है कि उन लोगों की हमारे दूतावासों से भी कुछ सांठगांठ है। अतः जब तक उन लोगों को मदद पहुंचाने वाले लोगों का पता नहीं लगाया जाता और उन्हें दण्ड नहीं दिया जाता तब तक हम तस्करी को प्रभावशाली ढंग से नहीं रोक सकते । जो तस्कर इस तरह से बचकर निकल गए हैं उनकी सम्पत्ति तुरन्त कुर्क कर ली जानी चाहिए।

कर्नाटक राज्य की सीमा पर बहुत से लोग तस्करी कार्य में लगे हुए हैं। इन लोगों के विरुद्ध कार्यवाही नहीं की जा सकती क्योंकि उनके रिकार्ड उपलब्ध नहीं हो रहे हैं। अतः इन सब बातों की समुचित जांच की जानी चाहिए। ये तस्करी गतिविधियां समाप्त हो जाएं और इसके लिए समुचित समन्वय से कार्यवाही की जाए यह सुनिश्चित करने के लिए एक ही अभिकरण होना चाहिए सभी राज्यों को यह सुनिश्चित करने के लिए सहयोग देना चाहिए कि देश में तस्करी पूर्णतया समाप्त हो जाए। यदि कार्मिकों की कमी के कारण यह कार्य करने में कठिनाइयां हों तो इसका उपचार किया जा सकता है।

तीन या चार महीने पूर्व हमें बताया गया था कि हमें देश के विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर आधुनिक इलेक्ट्रोनिक उपकरण तथा मशीनें लगाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा था कि इसके लिए उन्हें विदेशों से कुछ सहायता मिलेगी। हमें पता नहीं है कि इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए गए हैं। जब तक हमारे पास इस तरह के उपकरण तथा इलेक्ट्रोनिक मशीनें नहीं होती तब तक हम तकस्री की गतिविधियों का पता नहीं लगा सकते । अतः ऐसे उपकरण तुरन्त लगाए जाने चाहिएं। आपात स्थिति का लाभ उठाते हुए हमें अपनी कार्यवाहियां बढ़ा देनी चाहिएं।

छापों के दौरान पाई गई व्यक्तिगत डायरियों से तस्करों के विदेशी मुद्रा धोखेबाजों से सम्बन्ध का पता चलता है । छापों के बाद जांच के लिए इन डायरियों को प्रस्तुत नहीं किया जाता। ये वापस कर दी जाती

हैं। यह गवाही के लिए बहुत महत्वपुर्ण चीज़ है। अतः मैं जानना चाहता हूं कि क्या छापे के दौरान पकड़े गए सारे रिकार्ड का फोटो लेने का प्रयास किया गया है। उसकी एक प्रति आपके मंत्रालय को भेजी जानी चाहिए जिसे बाद में जांच के लिए प्रस्तुत किया जाना चाहिए। यह काम ईमानदारी और निष्ठावान अधिकारियों द्वारा किया जाना चाहिए। एक ही स्थान पर अधिक समय तक तैनात अधिकारियों को बदल देना चाहिए। यदि ऐसा नहीं किया जाता तो तस्करों की गतिविधियों का पता लगाना कठिन होगा। जब तक अन्तर्राष्ट्रीय तस्करों तथा उनकी गतिविधियों को पूर्णतया समाप्त नहीं किया जाता तब तक वे पुनः अपना सिर उठा सकते हैं और इस विधान को निष्प्रभावी बना सकते हैं और अपनी गतिविधियां चालू रख सकते हैं।

अतः मैं इस विधेयक तथा इसकी भावना का स्वागत करता हूं। आपात स्थिति की घोषणा के बाद हम इसका मुकाबला सफलतापूर्वक कर सके हैं। मुझे आशा है कि मंत्री जी कड़ी कार्यवाही करेंगे।

**श्री एम० राम गोपाल रेड्डी** (निजामाबाद) : गत 1 1/2 वर्ष के दौरान मंत्री महोदय ने जो सराहनीय कार्य किया है उसके लिए वह बधाई के पात्र हैं। पहले तस्करों ने 1000 करोड़ रुपए के मूल्य की वस्तुओं की तस्करी की थी। किन्तु अब उनकी कमर तोड़ दी गई है। किन्तु अभी भी कई तस्कर गिरफ्तार नहीं किए जा सके हैं। जब तक सभी तस्करों को गिरफ्तार नहीं किया जाता तब तक ये अनुचित गतिविधियां नहीं रोकी जा सकतीं।

विदेशों से प्रति वर्ष 300 करोड़ रुपए से 400 करोड़ रुपए के मूल्य का सोना भारत में आता था। हम अपने देश में काफी सोना पैदा कर रहे हैं। और यदि हमें सोने की तस्करी पूरी तरह से रोकनी है तो सरकार को चाहिए कि वह कुछ सोने का मूल्य 400 रुपए से 500 रुपए प्रति 10 ग्राम निर्धारित करे।

लोग सोना इसलिए खरीदते हैं क्योंकि इसका मूल्य बढ़ रहा है। 1963 में 10 ग्राम सोने का मूल्य 150 रुपए था। अब यह बढ़ कर 500 रुपए से अधिक हो गया है। उस समय लोगों ने जो सोना खरीदा था अब उसका मूल्य तिगुना हो गया है। जब सोने का इतना अधिक मूल्य है तो फिर वर्तमान मूल्य पर सोना रखने पर सम्पत्ति कर क्यों नहीं लगा दिया जाता ?

बड़े तस्करों की गतिविधियों को समाप्त करने के लिए सरकार ने ये आपात शक्तियां प्राप्त की हैं। पहले जब किसी गुंडे को गिरफ्तार किया जाता था तो उनके बास लोग मामले को समाप्त करवा देते; वे गवाही को नष्ट कर देते या उन्हें समाप्त कर देते। अब सरकार के पास इस कानून के अलावा और कोई चारा नहीं था।

इस अध्यादेश की उद्घोषणा से पूर्व भारत में तस्करी की गई वस्तुओं का कुल मूल्य 10,000 करोड़ रुपए था। तस्करी से भारत को बहुत हानि हो रही थी। पहले जब तस्करी चल रही थी तो विदेशों में रह रहे हमारे लोगों ने नियमानुसार एक भी पैसा देश में नहीं भेजा। अब अवैध रूप से विदेशी मुद्रा भेजने पर प्रतिबन्ध लग गया है। अब विदेशों से भेजे जाने वाली विदेशी मुद्रा का मूल्य 2,000 करोड़ रुपए हो गया है। इस शानदार कार्य के लिए मंत्रालय बधाई का मात्र है।

हाल ही में ही जिन लोगों ने करापवंचन किया है उन्हें अपनी छिपाई सम्पत्ति की घोषणा करने का अवसर दिया गया था और उन्हें 50 प्रतिशत कर देने के लिए कहा गया था जिससे कि वे अन्य दण्डों से बच सकें। अब मंत्री जी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उन लोगों को भी एक अवसर दिया जाए जिन्होंने अपना धन विदेशी बैंकों में जमा कर रखा है। उन्हें अपनी सम्पत्ति की घोषणा करने तथा कर देने का अवसर दिया जाए। यदि ऐसे लोगों को कुछ रियायत दी जाए तो इससे देश को बहुत सहायता मिलेगी और उन लोगों को स्वयं को सुधारने का भी एक अवसर मिलेगा। मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करता हूं कि इस सुझाव पर गम्भीरता से विचार किया जाए।

**राजस्व और बैंकिग विभाग के प्रभारी राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) :** मैं उन सभी सदस्यों का आभारी हूं जिन्होंने इस विधेयक के बारे में अपने विचार वयक्त किए हैं। लगभग गत दो वर्षों से हम तस्करों तथा विदेशी मुद्रा छल साधकों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही कर रहे हैं। हमने 1974 में आंसुका पास किया था और संसद ने उस अध्यादेश को विदेशी मुद्रा संरक्षण तथा तस्करी निवारण अधिनियम नामक पूर्ण विधान में परिवर्तित किया। तत्पश्चात् विशेषरूप से धारा 12क में संशोधन किए गए और अब हमारा प्रस्ताव इसकी अवधि 12 महीनों के लिए बढ़ाने का है।

तस्करों तथा अन्य आर्थिक अपराधियों के विरुद्ध हमारी कार्यवाही तीन प्रकार की है। पहली यह कि हम बड़े-बड़े तस्करों के विरुद्ध निवारण नजरबन्दी लागू कर रहे हैं। दूसरी, हमने उनकी खोज, वस्तुएं बरामद करने और छापे मारने सम्बन्धी गतिविधियां बढ़ा दी हैं। तीसरी, संसद के अनुमोदन से हमने तस्करों तथा विदेशी मुद्रा छलसाधकों की सम्पत्तियां हड़पने के लिए एक विधान पेश किया है। इन बातों के परिणामस्वरूप तस्करी गतिविधियां बहुत कम हो गई हैं।

**अध्यक्ष महोदय** : मंत्री अपना भाषण मध्याह्न-भोजन के बाद जारी रखेंगे।

**तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए 14 बजे तक के लिए स्थगित हुई।**

*The Lok Sabha then adjourned for lunch till Fourteen of the Clock.*

**लोक सभा मध्याह्न भोजन के बाद 14.04 बजे पुनः समवेत हुई।**

*The Lok Sabha re-assembled after lunch at four minutes past fourteen of the clock.*

**(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)**

[MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*]

# विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण (दूसरा संशोधन) विधेयक—जारी

## CONSERVATION OF FOREIGN EXCHANGE AND PREVENTION OF SMUGGLING ACTIVITIES (SECOND AMENDMENT) BILL—*Contd.*

**उपाध्यक्ष महोदय** : श्री मुखर्जी अपना भाषण जारी करें।

**श्री प्रणव कुमार मुखर्जी** : मैं बता रहा था कि किस प्रकार मामले 1974 में 49,555 से बढ़कर 1975 में 64,559 हो गए थे। मई 1976 के अन्त तक इनकी संख्या 27,510 थी।

विदेशों से हमें जो गुप्त सूचना मिल रही हैं, विशेषकर उन क्षेत्रों से जहां तस्करी चल रही है और जहां से ये वस्तुएं आयात की जाती हैं, उनसे यह संकेत मिलता है कि वहां न केवल उन वस्तुओं का स्टाक जमा हो गया है बल्कि बकों ने भी उन वस्तुओं के लिए भुगतान करने से इन्कार कर दिया है। इसके फलस्वरूप बाहर से देश में पहुंचने वाली धनराशि में काफी वृद्धि हो गई है। 1974 में सामान्य बैंकिंग मार्ग से पहुंचने वाली धनराशि 569 करोड़ रुपए थी जो कि 1975 में बढ़कर 1053 करोड़ रुपए हो गई। यह इस बात का संकेत है कि इस राशि का एक भाग तस्कर लोग निषिध वस्तुएं खरीदने में लगाते थे और इन्हें देश में आयात करते थे। जब तस्करी विरोधी अभियान से बहुत से तस्कर पकड़े गए तो ये लोग ऐसा न कर सके। इसके साथ-साथ हमने देश में विदेशी धन भेजने की प्रक्रिया को भी सुचारु बना दिया है ताकि प्राप्त करने वाले को कोई कठिनाई न हो। हम इसे और अधिक सुधारने का प्रयास कर रहे हैं।

जहां तक फरार तस्करों के विरुद्ध की गई कार्यवाही का सम्बन्ध है, विदेशी मुद्रा संरक्षण तथा तस्करी निवारण अधिनयम की धारा के अन्तर्गत 220 मामलों में कार्यवाही की गई है और इसके फलस्वरूप 134 अपराधियों ने या तो पुलिस के या नजरबन्द करने वाले प्राधिकारियों के समक्ष आत्मसमर्पण किया है।

तमिलनाडु के एक विशेष मामले का उल्लेख किया गया है जिसमें हम सम्पत्ति जब्त नहीं कर सके। इसका कारण यह है कि सम्बन्धित व्यक्ति ने मद्रास उच्च न्यायालय से रोकादेश प्राप्त कर लिया था। हमारे भरसक प्रयासों के बावजूद भी हम रोकादेश को रद्द नहीं करवा सके और जब तक हम रोकादेश को वापस नहीं ले लेते तब तक हम उसकी सम्पत्ति की कुर्की नहीं कर सकते और सम्बन्धित व्यक्ति को नजरबन्दी प्राधिकारियों के समक्ष आत्म-समर्पण करने के लिए बाध्य नहीं कर सकते।

पासपोर्टों को जब्त करने के सम्बन्ध में यह कहा गया है कि शायद हमने अन्धाधुन्ध पासपोर्ट जब्त किए हैं। जब्त किए गए कुल पासपोर्टों की संख्या 1405 है। इनमें से 1063 उन लोगों के हैं जो पहले ही नजरबन्द हैं और 269 पासपोर्ट उन लोगों के हैं जो फरार हैं। 73 व्यक्ति ही केवल ऐसे हैं जिनके विरुद्ध हमें गुप्त सूचना मिली है और जोकि न तो नजरबन्द हैं और न ही फरार हैं। उनके पासपोर्ट जब्त किए गए हैं।

कुछ माननीय सदस्यों ने कहा है कि हमारी सीमा-शुल्क सम्बन्धी जांच पड़ताल में सुधार की काफी गुंजाइश है। मैं इससे सहमत हूं। एक माननीय सदस्य ने पूछा है कि जांच-पड़ताल के लिए हम आधुनिक गजेटों और उपकरणों का प्रयोग क्यों नहीं कर सकते ? इस तरह के उपकरण प्राप्त करने के लिए हमने पहले ही कदम उठाए हैं। इसके अतिरिक्त हमने हाल ही में एक समिति नियुक्त की है जिसमें कई विभागों के प्राधिकारी शामिल हैं ।

हमें रिपोर्ट मिलने की आशा है जिसके आधार पर हम इस पद्धति में सुधार कर सकते हैं। विदेश में रह कर वापस लौटने वाले भारतीयों को हम पहले ही कई रियायतें दे रहे हैं। वे 500/- रु० तक की वस्तुए निःशुल्क ला सकते हैं। सामान्य शुल्क देकर वे 2000/- रु० तक की वस्तुएं ला सकते हैं। तकनीशियनों, प्रौद्योगिकविदों, वैज्ञानिकों और डाक्टरों को यह छूट दी गई है कि वे अपने-अपने व्यवसाय से सम्बन्धित 50,000 रु० मूल्य तक के उपकरण बिना आयात लाइसेंस के ला सकते हैं। शुल्क में और छूट देने पर भी विचार किया जा रहा है। लेकिन कार इत्यादि लाने पर पूरा शुल्क देना पड़ेगा।

जेल में तस्करों को जो बहुत अधिक सुविधाएं मिलने की बात कही गई है, उसके बारे में मुझे यह कहना है कि जब भी ऐसा कोई मामला हमारे ध्यान में आया है, हमने कार्यवाही की है। हमने राज्य सरकारों को यह सुझाव दिया है कि इन तस्करों को उनके कायक्षेत्र से दूर की जेलों में स्थानांतरित कर दिया जाए जहां वे शीघ्र ही अपने सम्पर्क स्थापित न कर पाएं।

अधिकतर तस्कर अपनी सम्पत्ति अपने रिश्तेदारों या अन्य व्यक्तियों के नाम से खरीदते हैं। ये लोग देश भर में फैले हुए हैं इसलिए इस सम्पत्ति का पता लगा कर नोटिस जारी करने में समय लगता है। हमने एक सक्षम प्राधिकारी नियुक्त किया है और 293 नोटिस जारी किए हैं जिसमें 12.16 करोड़ रुपए का मामला बनता है। अपीलीय प्रक्रिया के पूरा हो जाने पर अन्तिम रूप से सम्पत्ति को जब्त किया जा सकेगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हम इस मामले म बहुत शीघ्र कार्यवाही करेंगे।

आर्थिक अपराधों से निपटने के लिए विशेष न्यायालय स्थापित करने के बारे में हम एक विधेयक ला रहे हैं। भारत-नेपाल सीमा पर स्त्रियां भी तस्करी में भाग लेती हैं। वहां कई प्रकार के गैरकानूनी रास्तों से तस्करी की जाती है। हम राज्य सरकार के सहयोग से इस विषय में कदम उठा रहे हैं। निगरानी के लिए महिलाओं की भी नियुक्ति की जा रही है। तस्करों और विदेशी मुद्रा का काला धंधा करने वालों के विरुद्ध हम स्थायी कानून बना रहे हैं।

सरकारी तौर पर प्रयत्न हो रहे हैं लेकीन जनता के सहयोग के बिना किसी भी कार्य का सफल होना कठिन होता है। तस्करों को डाक्टर बीमारी का झूठा प्रमाणपत्र दे देते हैं जिससे उन्हें बहुत आसानी हो जाती है। पर धीरे-धीरे लोगों में जागृति आ रही है, हमें उनका सहयोग अधिक मिलने लगेगा।

**उपाध्यक्ष महोदय :** : प्रश्न यह है :

"कि विदेशी मुद्रा संरक्षण और तशकरी निवारण अधिनियम, 1974 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

*The motion was adopted*

**उपाध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2, 3, 4 और 1 अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक का अंग बने।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ**

*The motion was adopted*

**खण्ड 2, 3, 4 और 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ा गया।**

**Clauses 2, 3, 4 and 1, the Enacting Formula and the title were added to the Bill.**

**श्री प्रणब कुमार मुखर्जी** : मैं प्रस्ताव करता हूं कि
"विधेयक पारित किया जाए।"

**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :
"कि विधेयक पारित किया जाए"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

*The motion was adopted*

# इण्डियन आयरन एंड स्टील कम्पनी (शेयरों का अर्जन) विधेयक

## INDIAN IRON AND STEEL COMPANY (ACQUISITION OF SHARES) BILL

**इस्पात और खान मंत्री (श्री चन्द्रजीत यादव)** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि कम्पनी के काम काज का उचित प्रबन्ध और देश की आवश्यकताओं के लिए अत्यावश्यक माल का उत्पादन जारी रखने और उसका विकास सुनिश्चित करने की दृष्टि से इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लिमिटेड के कतिपय शेयरों के अर्जन का और उससे सुसंगत या आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

उपाध्यक्ष महोदय, इण्यिन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी के शेयरों को शीघ्र अर्जित करने के लिए वित्तीय सहायता देने हेतु 17 जुलाई, 1976 को एक अध्यादेश जारी किया गया था जिसके द्वारा सभी गैर-सरकारी पार्टियों के शेयर अर्जित किए गए थे।

विचार प्रकट करने से पूर्व मैं यह बताना चाहता हूं कि आयुक्त का काम आसान करने के लिए अध्यादेश में कतिपय संशोधन किए गए हैं। इसे अनावश्यक कठिनाइयां भी दूर हो जाएंगी। इस अध्यादेश के बाद स्थिति यह है कि 'इसको' में सरकारी शेयर अधिक होंगे। यह सरकारी उपक्रम ही बन जाएगा।

इस कम्पनी का इतिहास सर्वविदित है। इसका उत्पादन पिछले चार वर्षों के दौरान तेजी से कम होता जा रहा था। यह पूरी कम्पनी ही नष्ट करने के प्रयत्न हो रहे थे। श्रमिकों के हितों पर आघात हो रहा था। देश की अर्थ व्यवस्था में इस्पात की प्रमुख भूमिका को देखते हुए सरकार चुपचाप नहीं बैठ सकती थी। इसलिए राष्ट्रीय हित में इस कम्पनी का प्रबन्ध ग्रहण किया गया है।

सरकारी अधिकार में लिए जाने के बाद कम्पनी को पहले कस्टोडियन और फिर प्रशासक द्वारा चलाया जा रहा है। इस अवधि के दौरान कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। पुनर्वास योजना बनाई गई और श्रमिकों के समाज कल्याण के लिए कार्यवाही की गई है। इस कार्य के लिए एक समिति भी नियुक्त की गई है।

इस कम्पनी ने बहुत भारी ऋण ले रखा था जिस पर काफी ब्याज देना पड़ता था। सरकार ने इसकी स्थिति सुधारने के लिए एक बड़ी राशि व्यय की है। इसलिए इसे पुराने प्रबन्धकों को नहीं सौंपा जा सकता।

यद्यपि कई उपाय किए गए हैं तथापि कम्पनी का कार्य संतोषजनक हो गया है, यह नहीं कहा जा सकता। पुनर्वास योजना चल रही है और कम्पनी के गम्भीर आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है। अत: सरकार को कार्य-भार सम्भालना पड़ा क्योंकि तभी निवेश किया जा सकता था। पिछले चार वर्षों के दौरान कम्पनी की उत्पादन-क्षमता को बढ़ाने के पूरे प्रयास किए गए हैं। सरकार अधिकार में लिए जाने से पूर्व यह क्षमता कम होते होते 13 प्रतिशत तक पहुंच गई थी लेकिन वित्तीय वर्ष 1975-76 के दौरान कुल क्षमता का 63% उत्पादन हुआ। चालू वर्ष के दौरान 68.5% तक का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

कई समस्याओं को सुलझाने के लिए हमने योजना आयोग और वित्त मंत्रालय से बातचीत की है। हमने प्रबन्धकों से कहा कि 68.5% का लक्ष्य पूरा होने पर भी उन्हें संतुष्ट नहीं हो जाना चाहिए बल्कि उसे और बढ़ाया जाना है। प्रबन्धकों ने मुझे इस बारे में आश्वस्त किया है।

इस कम्पनी में 22,000 श्रमिक बर्नपुर में, लगभग 8000 कुल्टी में, लगभग 9000 कोयला खानों और अयस्क खानों में और लगभग 400 श्रमिक उज्जैन में काम कर रहे हैं। अभी भी वे संविद श्रमिक हैं और हम इस सम्बन्ध में भी उपाय कर रहे हैं। मुख्य कार्मिक संघों से भी बातचीत हुई है और एक फार्मूला तैयार किया गया है। काफी श्रमिकों की सेवाओं को स्थायी बनाया गया है और धीरे धीरे सभी श्रमिकों को स्थायी बनाने के लिए कार्यवाही की जाएगी।

अन्य इस्पात संयंत्रों की भांति यह संयंत्र भी काफी तरक्की करेगा। एक सलाहकार भी नियुक्त किया गया है। सरकार यह भी निर्णय करेगी कि क्या इस संयंत्र की क्षमता को 10 लाख टन से बढ़ा कर 20 लाख टन किया जा सकता है।

श्रमिकों की यह मांग काफी समय से चली आ रही है कि उन्हें रिहायश की पर्याप्त सुविधाएं प्रदान नहीं की जातीं। इसमें केवल 25% श्रमिकों को क्वार्टर दिए गए हैं। हमने 2 करोड़ रुपए की एक योजना तैयार की है जिसके अन्तर्गत 1,260 क्वार्टर बर्नपुर और कुल्टी में तैयार किए जाएंगे। बिजली, अस्पताल तथा अन्य सामुदायिक सुविधाएं भी हाल ही में उपलब्ध करायी गई हैं। पिछले 4–5 महीनों के दौरान हमने प्रयत्न किया है कि श्रमिकों को न्यूनतम सुविधाएं तो अवश्य उपलब्ध करा दी जाएं।

अन्य इस्पात संयंत्रों की भांति इस इस्पात संयंत्र में श्रमिक सहभागिता की योजना लागू नहीं की जा सकी है। लेकिन इस बारे में चार मुख्य कार्मिक संघों से वार्ता चल रही है। संयंत्र स्तर पर चार समितियां कार्य कर रही हैं। कार्मिक संघ नेताओं और प्रबन्धकों ने मुझे आश्वासन दिया है कि श्रमिक सहभागिता योजना लागू करने के लिए शीघ्र ही आवश्यक उपाय किए जाएंगे।

**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

> "कि कम्पनी के कामकाज का उचित प्रबन्ध और देश की अत्यावश्यकताओं के लिए अत्यावश्यक माल का उत्पादन जारी रखने और उसका विकास सुनिश्चित करने की दृष्टि से इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लिमिटेड के कतिपय शेयरों के अर्जन का और उससे सुसंगत या आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

इस पर चर्चा के लिए दो घन्टे का समय नियत किया गया है।

**श्री दीनेन भट्टाचार्य** (सीरमपुर) : मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं। यह कम्पनी भारत में सबसे बड़ी कम्पनियों में से एक है। 1953 से 1971 तक इस कम्पनी की अभिदत्त पूंजी चार गुना बढ़ गई है अर्थात् 7.88 करोड़ से बढ़कर 27.5 करोड़ हो गई है। सुरक्षित पूंजी भी सात गुना बढ़ गई है अर्थात् 6.11 करोड़ रुपए से बढ़कर 42.44 करोड़ रुपए हो गई है। कम्पनी का अर्जन करने से पहले 23.71 करोड़ रुपए से भी अधिक का कुल लाभांश दिया गया है। फिर भी अंशधारियों को मुआवजे के रूप में 7.23 करोड़ रुपए का भुगतान करने का प्रस्ताव है। मंत्री महोदय शेयर धारियों को यह राशि देते समय इसका औचित्य बताएं। इसके अतिरिक्त उन्होंने विस्तार से यह भी बताया है कि वह इस संयंत्र को कैसे पुनः चालू करना चाहते हैं और इसके लिए एक समिति नियुक्त की गई है। मुझे पता नहीं कि क्या यह एक-सदस्यीय समिति है या इसमें हमारे या कुछ विदेशी विशेषज्ञ भी होंगे और उनका प्रतिवेदन कब प्राप्त होगा? मैं यह भी नहीं जान सका कि इस कम्पनी की वित्तीय स्थिति क्या होगी क्योंकि अब यह एक सरकारी क्षेत्र की कम्पनी है।

इस कम्पनी का प्रबन्ध एक बोर्ड करेगा। इस बोर्ड का प्रबन्धक कौन होगा और उसका पुराने प्रबन्ध के साथ क्या सम्बन्ध होगा? यह सब बातें मंत्री महोदय स्पष्ट करें।

इस विधेयक में बहुत से कर्मचारियों की सेवा जारी रखे जाने का कोई उपबन्ध नहीं है। इस अधिनियम में यह गारन्टी नहीं है कि इन कर्मचारियों की सेवा की क्या स्थिति होगी। जहां तक मेरा खयाल है इन कर्मचारियों को अलाय और अन्य इस्पात संयंत्रों में काम करने वाले कर्मचारियों की तुलना में कम वेतन तथा कम प्रोत्साहन मिलता है।

कर्मचारियों की देय राशि के भुगतान की जिम्मेदारी इस प्रबन्ध व्यवस्था की है क्योंकि एक सरकारी क्षेत्र का उपक्रम है। उन्हें पूरा भुगतान किया जाना चाहिए तथा उन्हें उनकी देय बकाया राशि से वंचित नहीं रखा जाना चाहिए। इस कम्पनी ने कर्मचारियों को भविष्य निधि का पूरा भुगतान नहीं किया है। अतः काम कर रहे कर्मचारियों का क्या होगा? औद्योगिक सम्बन्ध भी ठीक नहीं हैं। रानीगंज स्थित रिफ्रैक्ट्रीज के कर्मचारियों का वेतन नहीं बढ़ाया गया है। बर्नपुर में शाप फ्लोर स्तर की समितियों पर दबाव जाला गया है, लेकिन सामान-सूची क्रम तथा प्रबन्ध के अन्य पहलुओं में कर्मचारियों की पहुंच के बारे में क्या स्थिति है? कर्मचारियों को प्रबन्ध व्यवस्था के सभी मामलों में शामिल किया जाना चाहिए।

सरकार ने संविद श्रम को पर्याप्त मात्रा में घटाने का निर्णय किया है। परन्तु इस सम्बन्ध में प्रगति क्या है? पता नहीं सरकार इस प्रबन्ध व्यवस्था के प्रति इतना नरम रवैया क्यों अपना रही है? मंत्री महोदय इस बात को स्पष्ट करें।

**Shri Swaran Singh Sokhi** (Jamshedpur) : This Bill is a welcome measure and the Minister deserves compliments for bringing forth such a timely legislation to take over the Indian Iron and Steel Company with a view to removing the mismanagement in this company. Government are demanding an amount of Rs. 80 crores for the rehabilitation of this plant, but nothing has been told about the existing situation of the plant. In 1973, the rehabilitation scheme is estimated to cost Rs. 43 crores and these estimates have now gone upto Rs. 55 crores. It appears that adequate study has not been made about the entire question. Many jobs are still lying incomplete. We have not been told how they propose to spend Rs. 80 crores on the renovation of the plant.

It is learnt that a good deal of equipment is proposed to be imported. In fact, no imports should be allowed in respect of these equipment which can be manufactured indigenously. The plant at Kulti is very old and it also needs renovation.

There is also complete mismanagement in the Tata Iron and Steel Company. Therefore, this company should also be nationalised and taken over.

**श्री इन्द्रजीत गुप्त** (अलीपुर) : इस कम्पनी को अन्तिम और निर्णयक रूप से सरकारी क्षेत्र के अधीन लाने वाला यह विधेयक स्वागत योग्य है। मंत्री महोदय ने ठीक ही कहा है कि हमें अपनी पूरी शक्ति और संसाधन इस कम्पनी की रचनात्मक रूप से पुनः स्थापना करने में लगा देनी चाहिये। विधेयक के उद्देश्य और कारण बताने वाले विवरण में वस्तुतः यही कारण दिया गया है कि सरकार कम्पनी में पूंजी निवेश करने तथा कम्पनी के पूंजी आधार का आवश्यक पुनर्विन्यास करने के लिये ही यह कदम उठा रही है। लेकिन पूंजी का पुनर्विन्यास करने से ही इस समस्या का समाधान नहीं होगा। इसकी प्रबन्ध व्यवस्था का पुनर्विन्यास किया जाना अत्यन्त महत्वपूर्ण है।

सन्तोष की बात तो यह है कि इस कम्पनी की प्रबन्ध व्यवस्था को अपने अधिकार में लेने के वाद उत्पादन में सुधार हुआ है और मार्च, 1976 में तो 63000 मीटरी टन प्रतिमास की दर तक बढ़ गया है। किन्तु क्या यह सच नहीं है कि इस वर्ष मार्च के बाद उत्पादन बहुत तेजी से कम हुआ है और बाद के महीनों में तो उत्पादन के आंकड़े 55,000 मीटरी टन से अधिक नहीं पहुंचे हैं। यदि यह सही है तो यह बहुत गम्भीर मामेला है और इसके कारणों का पता लगाने का प्रयास किया जाना चाहिये। मंत्री महोदय को इस बात की जांच करनी चाहिए कि क्या उत्पादन में आने वाली यह गिरावट घटिया किस्म के कोयल्ने या घटिया लौह पिण्ड के कारण है या प्रबन्धकों की असफलता के कारण हैं।

यह कहा गया है कि सरकारीकरण का मुख्य उद्देश्य प्रबन्ध को व्यावसायिक और व्यापक आधार प्रदान करना है तथा उसके ढांचे को सरकार के सामाजिक उद्देश्यों के अनुसार सुव्यवस्थित करना है।

इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी के बहुत से युवा अधिकारी त्यागपत्र दे रहे हैं और निराश होकर बाहर जा रहे हैं। कुल्टी में वेतन का बिल 3-1/2 करोड़ रुपये है जबकि समयोपरि भत्ता बिल 1.25 करोड़ रुपये का है। वहां के कार्मिक संघ ने बार-बार सुझाव दिया है कि अधिक आदमी भर्ती कर इसे कम किया जाये। परन्तु यह नहीं किया गया।

ठेका श्रमिकों के वेतन का बिल बढ़ता जा रहा है। जैसा कि सरकार का दावा है कि ठेका श्रमिकों की संख्या घट रही है, ठेकेदारों का बिल नहीं बढ़ना चाहिये, परन्तु अभी भी स्थायी कार्यों के लिये ठेका श्रमिकों को लगाया जाता है।

मंत्रालय पुरानी कम्पनी के वरिष्ठ अधिकारियों पर निगरानी रखे। इस समय भी ऐसे 5 अधिकारी बहुत ही महत्वपूर्ण पदों पर काम कर रहे हैं। इनके स्थान पर दूसरे लोगों को लगाने के लिये प्रयत्न किये जाने चाहियें क्योंकि पूंजी का निर्माण पर्याप्त मात्रा में नहीं हो रहा है। हमें प्रबन्ध का भी पुनर्गठन करना चाहिये।

कम्पनी को उत्पादन के बजाय बिक्री में अत्यधिक भ्रष्टाचार होने के कारण बड़ी हानि हो रही है। वित्तीय वर्ष के अन्त में बिक्री को बढ़ा चढ़ा कर दिखाने के लिये बड़ा गोल माल किया गया। यह दिखाया गया है कि 31 मार्च, 1976 को 8000 मी० टन इस्पात कलकत्ता बिक्री कार्यालय को दिया गया। इसमें कुछ गड़बड़ी है क्योंकि इस्पात का मूल्य 31 मार्च, 1976 से बढ़ाया गया था। हिन्दुस्तान स्टील के अन्य सभी कारखानों में अपने मूल्य यथानुसार बढ़ा दिये थे तथा नये मूल्य 31 मार्च, 1976 से लागू किये गये थे। इण्डियन आयरन और स्टील कम्पनी ने नये मूल्य 1 अप्रैल, 1976 से लागू किये थे तथा 31 मार्च को पुराने मूल्यों पर निजी व्यापारियों को सारी बिक्री कर दी गई और बिक्री को बढ़ा-चढ़ा कर दिखा दिया गया। इसके परिणाम स्वरूप इस समय 2 करोड़ रुपया बिना वसूल हुए पड़ा है क्योंकि कुछ व्यापारियों को अनियमित रूप में उधार बिक्री की गई। इनके साथ कुछ अधिकारियों की सांठ-गांठ अवश्य थी। इन सबकी सावधानीपूर्वक जांच की जानी चाहिए।

कलकत्ता और दिल्ली के भण्डार घरों में बड़ी मात्रा में इस्पात को बेचकर उसे दोषपूर्ण दिखाना एक आम बात हो गई है। दोषपूर्ण और निचले स्तर के इस्पात की बाहर बड़ी मांग है क्योंकि उसमें लाभ अधिक होता है। मेरा आरोप यह है कि अच्छे इस्पात को बड़ी मात्रा में दोषपूर्ण इस्पात के रूप में बेच दिया जाता है। कुछ व्यापारियों और अधिकारियों की इसमें सांठ-गांठ है और इससे कम्पनी को बड़ी हानि होती है, इसकी जांच केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा की जानी चाहिये।

जहां तक उद्योगिक सम्बन्धों की बात है इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी में बर्नपुर में केवल सयंत स्तर पर समितियां बनाई गई हैं। शाप स्तर पर समितियां नहीं बनी हैं। संयंत्र स्तर की समितियों में भी कर्मचारियों और अधिकारियों के संघ को प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है। कम्पनी के हित की दृष्टि से औद्योगिक सम्बन्धों को सुधारा जाये।

**Shri M. C. Daga (Pali) :** Kashmir is the most beautiful place in India and whosoever goes there thinks that he has reached heaven. Similarly public undertakings are heaven for the high officers and the moment an officer gets an opportunity to join an undertaking, he starts thinking that now he will be more privileged than anybody else or even than an I.A.S. officer.

Regarding losses in a Company, it is often said that these are due to mismanagement at top level. In view of this oft quoted excuse I want to know whether any responsibility for the same has been fined? May I know if any attempt has been made to ascertain who were the people responsible for same and if so what steps have been taken to penalise them?

I may also draw the attention of the Government to the fact that posts of Government-held companies are sine-cure posts. It is regrettable that a good number of retired I.A.S. Officers, who have no experience or knowledge about business affairs, are given important posts. These people do not feel liable for the losses of the company. So only those persons who possess some previous experience in bars, should be taken in top-management.

It has also been said that Civil Procedure Code will be applied to it but at the same time the power to appeal has been withdrawn. It is a matter of satisfaction that as a result of take-over the management of companies, the conditions may improve. But I may stress that whatever legislation is made, there should be only one legislation for public as well as private undertakings. They should not be governed by separate rules.

**श्री बी० आर० शुक्ल (बहराइच) :** सर्वप्रथम मैं इस्पात तथा खान मंत्री को उनकी कार्यकुशलता के लिए बधाई देना चाहता हूं। पिछले कुल समय में यह प्रचार किया जाता रहा है कि कार्य-कुशलता केवल प्राईवेट क्षेत्र में ही पाई जा सकती है तथा सरकारी क्षेत्र के कारखाने तो नुकसान तथा अकुशलता के लिये ही प्रसिद्ध रहे हैं। खान तथा इस्पात मंत्रालय ने स्थिति में सुधार करने के लिये काफी सराहनीय प्रयत्न किये हैं। सरकार ने जब यह देखा कि इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी का उत्पादन घट रहा है तो उसने उसे अपने हाथ में ले लिया। यह एक उचित निर्णय ही था।

अब प्रश्न यह है कि भला प्रबन्ध को अपने हाथ में ले लेने के क्या प्रबन्ध परिणाम निकलते हैं? यह हर्ष की बात है कि इस्पात के उत्पादन में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। 1974-75 में पिण्डों का उत्पादन 4.71 लाख टन था तो 1975-76 में यह बढ़ कर 7.30 लाख टन हो गया। इसी प्रकार से बिक्री योग्य इस्पात का उत्पादन 1974-75 में 3.47 लाख मी० टन से बढ़ कर वर्ष 1975-76 में 5.5 लाख मी० टन हो गया।

कम्पनी को हाथ में लेने का दूसरा लाभ कर्मचारियों को भी हुआ है, उनका वेतन 200 रुपये से बढ़ाकर 300 रुपये कर दिया गया है। वेतन वृद्धि के साथ-साथ उनमें आत्मविश्वास की भावना भी पैदा हुई है। कम्पनी के प्रति भी उनकी अपनत्व की भावना हो गई है। इन सभी कारणों के परिणामस्वरूप उत्पादन में वृद्धि हुई है। अतः इन परिस्थितियों में हम यह आशा कर सकते हैं कि अच्छे प्रबन्ध के फलस्वरूप कम्पनी को लाभ होने लगेगा तथा वह अन्य प्रबन्धित सरकारी उपक्रमों के बराबर आ जायेगी। यह बहुत ही सहर्ष की बात है कि अब भारत इस्पात के मामले में न केवल आत्मनिर्भर होता जा रहा है अपितु वह इसका निर्यात करने का विचार भी कर रहा है जिसके फलस्वरूप विदेशी मुद्रा अर्जित की जा सकेगी। प्रस्तुत विधेयक से इन सभी लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। अतः इसी लिए मैं प्रस्तुत विधेयक का भरपूर समर्थन करते हुये, मंत्री महोदय को इसे प्रस्तुत करने के लिए बधाई देता हूं।

**श्री वाई० एस० महाजन** (बुलडाना) : मैं इस प्रगतिशील विधेयक के लिए मंत्री महोदय को बधाई देता हूं। इस्पात सम्पूर्ण उद्योग का आधार होता है तथा किसी भी देश के औद्योगिक विकास को उसके द्वारा उत्पादित इस्पात के अनुपात से ही आंका जाता है। इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी का आरम्भ प्रथम विश्व युद्ध के बाद किया गया था। वर्ष 1952 में इसकी निर्धारित क्षमता 10 लाख मी० टन हो गई थी परन्तु छटे दशक में कम्पनी के उत्पादन में गिरावट आने लगी। वर्ष 1963 में स्थिति यह थी कि यानी कम्पनी को प्रतिवर्ष 1.4 लाख मी० टन की हानि होने लगी जो कि उसकी कुल निर्धारित क्षमता का लगभग 13 प्रतिशत थी। सम्भवतः इसका मुख्य कारण कुप्रबन्ध ही था।

इस कम्पनी के प्रबन्ध में सुधार करने, उपकरणों की त्रुटियों को दूर करने, तथा औद्योगिक सम्बन्धों में सुधार करने की दृष्टि से सरकार ने वर्ष 1972 में इसका प्रबन्ध अपने हाथ में ले लिया। सरकार काफी हद तक अपने इस उद्देश्य में सफल हो गई।

कारखाने की तकनीकी आवश्यकताओं की जांच करने के लिए सरकार ने एक समिति नियुक्त की। सरकार ने कारखाने को पुनः चालू करने सम्बन्धी कार्यक्रम बनाया है। इस कार्यक्रम पर 60 करोड़ रुपये व्यय होंगे जिसमें से 31 करोड़ रुपये पहले व्यय किए जा चुके हैं। सरकारी कार्यवाही के परिणामस्वरूप उत्पादन में वृद्धि हुई है। वर्ष 1972-73 में उत्पादन 4.31 लाख टन था जो 1975-76 में बढ़कर 6.3 लाख टन हो गया। वर्ष 1974-75 में कम्पनी ने 1.5 करोड़ का लाभ कमाया। यह एक बड़ी उपलब्धि है। कोयला तथा लौह-अयस्क के क्षेत्र में भी कम्पनी ने उत्पादन में वृद्धि की है। अब यह कम्पनी अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में इस्पात का निर्यात कर रही है। अब प्रश्न यह उठता है कि क्या 5 वर्षों के सरकारी प्रबन्ध के बाद अब यह प्रबन्ध पुराने प्रबन्धकों को सौंप दिया जाए अथवा सरकार को इसका राष्ट्रीयकरण कर देना चाहिए।

सरकार ने कम्पनी के गैर सरकारी व्यक्तियों के शेयरों को खरीदने का निर्णय लेकर सही काम किया है। इस कम्पनी को 60 करोड़ रुपया ऋण दिया गया है, जिसमें से 31 करोड़ रुपये पहले ही व्यय किए जा चुके हैं। अब प्रश्न यह है कि इतने भारी ऋण भार के बाद क्या अब कम्पनी अपने पैरों पर खड़ी हो सकेगी? मंत्री महोदय को यह स्पष्ट करना चाहिये कि वह कम्पनी को सुदृढ़ करने के लिए क्या करेंगे?

अगली बात मैं मुआवज़े के बारे में कहना चाहता हूं। वर्तमान अंशधारियों को काफी अच्छा मुआवज़ा दिया जा रहा है। सरकार अंशधारियों के प्रति न्याय करना चाहती है और वह 4 प्रतिशत व्याज देने के लिए तैयार है क्योंकि लाभांश से तो उन्हें कुछ मिलने वाला नहीं है। हमें पूरी आशा है कि इसे हाथ में लेने के पश्चात्, उत्पादन क्षमता में वृद्धि होगी तथा इस्पात उद्योग का मजबूत औद्योगिक ढांचा तैयार हो सकेगा।

**Shri Hari Singh** (Khurja) : I want to congratulate the Minister for bringing forward this legislation. The reasons for the nationalisation of this company have been well explained by the Minister.

It is a well known fact that steel occupies an important place in the economy of a country. It forms the back-bone of the industry. So when our Government realised that due to mismanagement, production is going down in Indian Iron and Steel Company, they decided to take over the same. Now an attempt is being made to improve the working of the company and also augment its production. The production of steel has increased substantially. The production of ingot steel which was 4·71 lakh tonnes in 1974-75 rose to 7·30 lakh tonnes in 1975-76. Similarly the production of saleable steel has also gone up from 3·47 lakh tonnes in 1974-75 to 5·5 lakh tonnes in 1975-76.

The workers of the company have also been benefited as a result of take-over. Previously their salary was about Rs. 200 per month which has now been increased to Rs. 300 P.M. Besides the increase in pay, this step of the Government gave them a kind of confidence and also a sense of identification with the company which are vital factors in boosting production.

In view of these developments, we can say confidentially that as a result of good management this company will soon be able to make profits and fall in line with other well-managed public undertakings.

Lastly I may mention that India is not only interested in attaining self-sufficiency in steel but it also interested in its export to other countries. It is a valuable foreign exchange earner. We hope that this legislation will go a long way in achieving this objective.

With these words, I support this Bill.

**श्री चपलेन्दु भट्टाचार्य** (गिरिडीह) : मैं इस विधेयक का हार्दिक स्वागत करता हूं। यादव जी का भाषण इस सम्बन्ध में बहुत ही विस्तारपूर्ण रहा है। अपने भाषण में उन्होंने उद्योग सम्बन्धी अनेक पहलुओं पर प्रकाश डाला है। उद्योग के लिये जरूरी बुनियादी ढांचे को तयार करने की भी उन्होंने चर्चा की है। बर्नपुर की स्थापना हुए 45 वर्ष हो चुके हैं जबकि 40 वर्ष पहले इसे बंद हो जाना चाहिये था। निष्ठा, सुरक्षात्मक रख-रखाव और सामान्य रख रखाव के कारण अनेकों कठिनाईयों के बाजजूद भी संयंत्र चालू रहा।

इस संयंत्र के प्रबन्ध को हाथ में लेना उचित ही था क्योंकि यह अनिवार्य आवश्यकता हो गई थी, जैसा कि हमने कोयले के सम्बन्ध में किया है। यह बेहतर होता कि इस कम्पनी का पहले वर्ष ही राष्ट्रीयकरण कर दिया गया होता। उस दशा में कम्पनी को 25–30 करोड़ रुपये के ब्याज के भारी भार को न उठाना पड़ता। अपने सबसे उत्तम समय में भी कम्पनी को एक वर्ष में 10 करोड़ रुपये का लाभ तक न हुआ। 10 लाख मी० टन का उत्पादन करने के लिये इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी को 80 क रोड़ या 100 करोड़ रुपये देना भी कम है।

मंत्री महोदय को इस्पात का निर्यात करने पर विचार करना चाहिये। इस्पात संयंत्र के ढांचे के पुनर्निर्माण के लिये उसके पास उचित जानकारी है तथा इस्पात संयंत्र के लिए भविष्य की योजना हेतु हमें व्यापक दृष्टिकोण अपनाना चाहिये। यदि हम 10 लाख मी० टन इस्पात का निर्यात 120 से 150 करोड़ रुपये के हिसाब से करें और इसे फिर से इस्पात उत्पादन में लगा दें तो इस्पात उद्योग के इतने बड़े विस्तार का भार कम हो जाएगा।

चसनाला में इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी ने विभिन्न उपकरणों पर 44 करोड़ रुपया लगा दिया। चसनाला में 430 लाख मी० टन उंची किस्म के कोयले का भंडार है। क्या हम इसे छोड़ सकते हैं? चाहे कैसे भी हो, सरकार को इसे फिर से खोलना होगा और इस अत्यंत अच्छे कोयले को निकालना होगा। इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

**श्री बी० वी० नायक** (कनारा) : विधेयक में शेयरों के अधिग्रहण के भुगतान के लिये 7, 23, 95, 137 रुपये का उपबंध है। कम्पनी ने असंख्य बोनस शेयर भी जारी किये हैं। उद्देश्यों और विवरण सम्बन्धी वक्तव्य से पता चलता है कि अभी 60 करोड़ रुपये तक और कर लगाये जायेंगे। यह बात समझ में नहीं आती कि सरकार किस आधार पर यह राशि देने के निर्णय पर पहुंची है। फिर नैतिकता की दृष्टि से भी ऐसी कम्पनी को कोई मुआवज़ा देने का कोई औचित्य नहीं है जो अपनी निर्धारित क्षमता के 11 या 15 प्रतिशत के बराबर उत्पादन कर रही थी। मंत्री महोदय बतायें कि इस कारखाने की वास्तविक प्रदत्त पूंजी कितनी है। इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

**श्री प्रियरंजन दास मुंशी** (कलकत्ता-दक्षिण) : इस विधेयक को लाने के लिये मैं मंत्री महोदय को बधाई देता हूं। उन्होंने स्वर्गीय श्री मोहन कुमारमंगलम् के आशवासन को पूरा किया है, जिन्होंने सदन को आश्वासन दिया था कि कम्पनी को पुराने प्रबन्धकों को नहीं सौपा जायेगा।

ऐसा कहना ठीक नहीं है कि कारखाने का प्रबन्ध सर्वथा खराब था और सभी पुराने लोग खराब थे। कुछ लोगों ने ठीक काम नहीं किया परन्तु सभी ऐसे नहीं थे।

सभा के सामने रखे गये प्रतिवेदन में कारखाने को पुनः चालू करने के कार्यक्रम का उल्लेख किया गया है। मंत्री महोदय कृपया यह बताएं कि इस कार्यक्रम की समीक्षा के लिए प्रतिमास अथवा समय समय पर प्रगति की समीक्षा करने के लिए मंत्रालय अथवा संयंत्र द्वारा कोई समिति नियुक्त की गई है अथवा नही।

सदन को उज्जैन के कारखाने के बारे में भी बताया जाए, तो पहले ब्रिटिश स्टील कम्पनी के सहयोग से बन रहा था और जो इंडियन आयरन एंड स्टील कम्पनी एक और संयंत्र, जिसकी स्थिति भी चसनाला के समान है। चसनाला दुर्घटना की न्यायिक जांच हो रही है। इसमें क्योंकि बहुत समय लगेगा, इसलिये मंत्री महोदय इसकी केन्द्रीय जांच ब्यरो द्वारा जांच कराएं जिससे दुर्घटना के कारणों का शीघ्र पता लगाया जा सके।

हमें जतिपुर तथा चसनाला दुर्घटनाओं के बारे में बहुत दुख हुआ है। इस विधेयक को लाने के लिये मैं फिर से मंत्री महोदय को बधाई देता हूं। इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

**श्री श्यामसुंदर महापात्र** (बालासौर) : कई वर्षों के कुप्रबन्ध, भ्रष्टाचार, पक्षपात और भाई-भतीजावाद के कारण इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी की प्रतिष्ठा समाप्त हो गई है। 1974 में ही यह निष्कर्ष निकाल लिया गया था कि सरकार के अन्तर्गत प्रबन्ध आने पर ऐसा ही होगा। तुरंत कार्यवाही करने के लिये मंत्री महोदय और उनका मंत्रालय बधाई के पात्र हैं।

इस कम्पनी के राष्ट्रीयकरण के समय इसमें भ्रष्टाचार के अनेकों मामले थे। इसके उन्नति करने के लिये हम मंत्री को बधाई देते हैं। स्थिति के सुधार के लिए श्रमिकों को भी बधाई दी जानी चाहिये। हजारों श्रमिक कारखाने में लक्ष्य प्राप्ति के लिए मेहनत कर रहे हैं।

मशीनें खरीदने के लिये हम 42.5 करोड़ रुपये की राशि निवेश करने जा रहे हैं। पता चला है कि संयंत्र में ही अच्छी मशीनें हैं लेकिन कुछ अधिकारियों की ठेकेदारों से सांठगांठ है और वे पुरानी मशीनों का इसलिए निपटारा करना चाहते हैं ताकि नई मशीनें खरीदी जा सकें। यदि हम इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी में कोई धमन भट्टी या नई क्रेन लगाना चाहते हैं तो हमें विदेशियों के बजाय अपनी भारतीय तकनीकी जानकारी पर ही निर्भर करना चाहिये।

**इस्पात और खान मंत्री (श्री चन्द्रजीत यादव)** : मैं उन सभी माननीय सदस्यों का आभारी हूं जिन्होंने इस वाद-विवाद में भाग लिया है और इस विधेयक का स्वागत किया है। सन्तोष का विषय है कि इस मंत्रालय द्वारा किये गये प्रयासों की सराहना की गई है। हमारे कर्मचारियों ने बड़ी शानदार भूमिका निभाई है। इन वर्षों में इनके सहयोग और औद्योगिक शान्ति के बिना यह कार्य होना असम्भव था। अतः यह श्रेय कर्मचारियों को ही जाता है। लेकिन इसके साथ ही हमारे इंजीनियर्स, टक्नीशियनों, प्रबन्धकों और मंत्रालय जिसने यह उपलब्धि प्राप्त की है, ने भी सामूहिक प्रयास किया है तथा हम यह प्रयास जारी रखेंगें।

प्रश्न किया गया है कि हम मुआवजे के रूप में 7.24 करोड़ रुपया क्यों दे रहे हैं? इस कम्पनी के 50 प्रतिशत से अधिक शेयर व्यक्तिगत शेयरधारियों ने ले रखे हैं जिनमें अधिकांश मध्यवर्ग के व्यक्ति हैं। यह उचित प्रतीत नहीं होता कि हम उन्हें कुछ भी न दें। इस राशि का भुगतान हमने उन सभी संगत पहलुओं पर विचार करके किया है, जैसे कम्पनी के गत पांच वर्षों के वार्षिक लेखे-जोखे और जनवरी, 1976 से 6 महीने पुराने कम्पनी के शेयरों के स्टाक मार्किट की मूल्य सूची (कोटेशन) की जांच की है। पूंजीगत मामलों के नियंत्रक ने यह बताया है कि कम्पनी के प्रत्येक साम्य शेयर का वास्तविक मूल्य 4.7 रुपये है जबकि उसका अंकित मूल्य 10 रुपये है तथा 100 रुपये मूल्य के अधिमान शेयर का वास्तविक मूल्य 32.75 रुपये है। इस आधार पर हम इस राशि का भुगतान कर रहे हैं। जो लगभग 7.24 करोड़ रुपये बैठती है। यह राशि वास्तव में उन लोगों को मिल रही है जिन्होंने इस कम्पनी में पूंजी लगाई है।

कर्मचारियों की सेवा की सुरक्षा और उनके रोजगार के बारे में कोई शंका नहीं करनी चाहिये। कम्पनी के सभी कर्मचारी अपनी नौकरियों पर बने रहेंगे। हमने कर्मचारियों के कल्याण के कार्यों की देख-रेख के लिये कुछ कदम उठाये हैं। कम्पनी की वित्तीय स्थिति के अनुसार इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी के कर्मचारियों को अन्य सहयोगी उपक्रमों के कर्मचारियों की तुलना में कोई घाटा नहीं होगा।

कम्पनी का अर्जन करने से पहले उत्पादन और उपयोग क्षमता कुल 13 प्रतिशत ही थी। गत वर्ष का उत्पादन उपयोग क्षमता का 63 प्रतिशत था। इसकी तुलना में इस वर्ष हमारा लक्ष्य 68.5 प्रतिशत उत्पादन करने का है। लेकिन हमारा प्रयास और अधिक उत्पादन करना है, गत वर्ष अप्रैल से जुलाई, 1975 तक इस फैक्टरी से 1,92,246 मीटरी टन उत्पादन हुआ था। गत वर्ष के 5 महीनों के उत्पादन की तुलना में इस वर्ष के 5 महीनों का उत्पादन 2,12,058 मीटरी टन हुआ है। यह गत वर्ष के उत्पादन से 10.31 प्रतिशत अधिक है। अतः यह शंका करने का कोई कारण नहीं है कि इस कम्पनी का उत्पादन कम हो रहा है। हमने अधिकाधिक लक्ष्य निर्धारित किये हैं और हमें दृढ़ विश्वास है कि हम न केवल लक्ष्य ही पूरा करेंगे बल्कि हम निर्धारित लक्ष्य से अधिक उत्पादन करेंगे।

हमने यह सुनिश्चित करने के लिये पूरी सावधानी बरती है कि पहले जिन गुटबन्दियों के कारण उत्पादन कम हुआ था वे अब समाप्त हों। इस सम्बन्ध में आवश्यक कदम उठाये गये हैं। और यह सुन्तोष की बात है कि अब वहां सौहार्दपूर्ण, तथा मिल कर काम हो रहा है।

हमने सोचा है कि कोई सक्षम अधिकारी वहां जाये और इस संयंत्र की देख-रेख करे और इसीलिए मंत्रालय के एक संयुक्त सचिव को जो एक अनुभवी और लोकप्रिय अधिकारी हैं, इस फैक्टरी के पूर्णकालिक प्रशासन के रूप में नियुक्त किया गया है। इनके नेतृत्व में एक अनुभवी दल इस संयंत्र की देखरेख करेगा।

हम उन सभी अधिकारियों को जो, वहां नियुक्त हैं, नहीं हटा सके हैं। लेकिन जिन अधिकारियों के विरुद्ध कुछ अभियोग हैं उन की निगरानी रखी जा रही है। एक उच्च अधिकारी के विरुद्ध केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच की जा रही है तथा उन अधिकारियों के विरुद्ध कुछ कदम उठाये गये हैं जो अपने कार्य में लापरवाह रहे हैं।

प्रशासक से इस मामले की जांच करने का अनुरोध किया गया है। यदि कुछ अधिकारियों के विरुद्ध प्रत्यक्षतः मामला सिद्ध हो गया कि उन्होंने जानबूझकर कम्पनी के हितों के विरुद्ध धोखेधड़ी का काम किया है तो उनके विरुद्ध आवश्यक और उचित कदम उठाये जायेंगे।

फैक्टरी के सामने कुछ चुनौतीपूर्ण कार्य हैं और प्रबन्धक पूरे विश्वास से इन कठिन कार्यों का हल निकालने में लगे हुए हैं। पिछले चार महीनों में इस उपक्रम ने 30,000 मीटरी टन इस्पात का निर्यात किया है। हमें आशा है कि 1976-77 में इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी एक लाख टन इस्पात का अच्छे मूल्य पर निर्यात करेगा।

प्रश्न उटाया गया है कि हम विदेशों से वे मशीनें आयात करते हैं जो हमारे देश में ही उपलब्ध हैं। जब कभी किसी मशीन का आयात करने की आवश्यकता पड़ती है तो हमें तकनीकी विकास के महानिदेशक से इसकी अनुमति लेनी होती है। कोई फैक्टरी अपने आप किसी मशीन का आयात नहीं कर सकती। हमारा सदा यही प्रयास रहा है कि जो स्वदेशी मशीन या उपकरण हमारे देश में ही उपलब्ध होते हैं हम उन्हें यहां से ही प्राप्त करते हैं।

हाल ही में हमने यह सुनिश्चित करने के लिये महत्वपूर्ण कदम उठाये हैं कि इस देश में इस्पात का वितरण सरकारी भण्डारों के माध्यम से हो। हम देश के अपने ग्राहकों अर्थात् जनसाधारण का ध्यान रखते हैं। इसी कारण से कई वर्षों से इस्पात का मूल्य नहीं बढ़ा है कि जन साधारण को उचित मूल्य पर इस्पात मिले। सरकार द्वारा उठाये गये अनेक प्रभावी कदमों के परिणामस्वरूप ही आज देश में इस्पात की चोरबाजारी नहीं हो रही है। समूचे देश में लोगों को बड़ी आसानी से इस्पात मिल रहा है। जहां तक इस्पात के उत्पादन का सम्बन्ध है यह बहुत अच्छा वर्ष होगा। हमारा लक्ष्य है कि भारतीय इस्पात उद्योग न केवल हमारे लोगों की आवश्यकता पूरी करेगा बल्कि चालू वर्ष में हम विश्व के 40 देशों को 300 करोड़ रुपये के मूल्य का इस्पात निर्यात भी करेंगे।

हम भावी आयोजना पर ध्यान दे रहे हैं और उन सभी इस्पात संयंत्रों जिनके व्यावहारिकता सम्बन्धी प्रतिवेदन प्राप्त हो गये हैं, के बारे में कोई शंका नहीं की जानी चाहिये, क्योंकि अब हमारे संसाधनों की स्थिति सुधर गई है। हम बड़े पैमाने पर इस्पात-विस्तार कार्यक्रम अपनायेंगे। औद्योगिक और कृषि विकास की दर, देश में पैदा किये गये वातावरण और इस तथ्य को देखते हुए कि हमारे पास वैज्ञानिक, तकनीकी एवं आर्थिक आधार मजबूत हैं, हम महसूस करते हैं कि भारतीय अर्थ-व्यवस्था सुधरेगी और तदनुसार इस्पात का उत्पादन भी बढ़ेगा।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि कम्पनी के कामकाज का उचित प्रबन्ध और देश की अत्यावश्यकताओं के लिये अत्यावश्यक माल का उत्पादन जारी रखने और उसका विकास सुनिश्चित करने की दृष्टि से इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लिमिटेड के कतिपय शेयरों के अर्जन का और उससे सुसंगत या आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

**The motion was adopted**

**सभापति महोदय** : अब हम विधेयक पर खण्डवार विचार आरम्भ करते हैं। खण्ड 2 से 18 पर कोई संशोधन नहीं है। प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 से 18 विधेयक का अंग बने ।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।**

**The motion was adopted.**

खण्ड 2 से 18 विधेयक में जोड़ गये ।

**Clauses 2 to 8 were added to the Bill.**

खण्ड 1 विधेयक में जोड़ा गया ।

**Clause 1 was added to the Bill.**

अधिनियम सूत्र, प्रस्तावना और पूरा नाम विधेयक में जेड़े गये ।

**The Enacting Formula, the preamble and the title were added to the Bill.**

**श्री चन्द्रजीत यादव** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पास किया जाये ।"

**सभापति महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पास किया जाये ।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।**

**The motion was adopted.**

---

## अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य) 1976-77

## SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS (GENERAL) 1976-77

**सभापति महोदय** : सभा अब वर्ष 1976-77 के बजट (सामान्य) के सम्बन्ध में अनुदानों की अनुपूरक मांगों पर चर्चा आरम्भ करती हैं ।

**श्री बीरेन दत्त** (त्रिपुरा पश्चिम) : अनुदानों की अनुपूरक मांगों में 244 करोड़ रुपये की राशि की मांग की गई है । यह एक बहुत बड़ी राशि है । समझ नहीं आता कि आपात-स्थिति के बाद इतनी अधिक राशि की मांग किस लिये की जा रही है । अनुदानों की अनुपूरक मांगें अधिकांशतः राज सहायता देने के लिये होती हैं । कृषि के अन्तर्गत मांग संख्या 2 के अधीन 60 करोड़ रुपये की राशि उर्वरकों के उत्पादन उत्पादकों को राजसहायता के रूप में दी गई है । यह समझ में नहीं आता कि किस आधार पर इस राशि का आकलन किया गया है तथा किस प्रकार इसका वितरण किया जायेगा । इस बजट में हमने निर्माताओं को राजसहायता दी है । बाढ़ के कारण पूर्वी क्षेत्र के आसाम, त्रिपुरा और मणीपुर राज्यों में कृषि बुरी तरह प्रभावित हुई है । इनको राहत देने के लिये कोई मांग नहीं की गई है । हम उद्योगपतियों को राजसहायता दे रहे हैं लेकिन खेतीहारों के प्रति उचित ध्यान नहीं दे रहे हैं ।

**श्री सी० एम० स्टीफन पीठासीन हुए**

**[Shri C. M. Stephen** *in the chair*]

सूचना मंत्रालय की मांगों में 'रोजगार समाचार' के लिये कुछ राशि मांगी गई है । 'रोजगार समाचार' में केवल बाबूगीरि के बारे में जानकारी दी जाती है । इस बुलेटिन में केवल उन्हीं लोगों के लिये नौकरियां निकलती हैं जो पहले से नौकरी कर रहे होते हैं तथा जिन्हें और अच्छी नौकरी मिल जाती है ।

इस बजट में शिक्षा के उद्देश्यों के लिये कोई मांग नहीं की गई है । आज देश की सबसे अधिक महत्वपूर्ण आवश्यकता शिक्षा ही है । बेहतर रहता यदि बजट में शिक्षा के लिये समुचित धन का आवंटन किया जाता ।

**श्री एस० एम० बनर्जी** (कानपुर) : कहा गया है कि कृषकों को सहायता देने हेतु स्वदेशी उर्वरकों के दाम घटाये गये हैं, यह एक अच्छी बात है । मंत्री महोदय को इस कटौती के वास्तविक प्रभाव को स्पष्ट करना चाहिए । जिन भूमिहीन श्रमिकों को भूमि दी गई है उन्हें भी सस्ते दामों पर उर्वरक सप्लाई करने के लिये कुछ व्यवस्था की जानी चाहिये ।

मांग संख्या 14 के अन्तर्गत उन समस्याओं का उल्लेख किया गया है जिनका जूट निर्माताओं को सामना करना पड़ रहा है तथा उसमें रुग्ण मिलों के बारे में भी उल्लेख किया गया है। वाणिज्य मंत्रालय के उपमंत्री कानपुर की बन्द पड़ी दो कपड़ा मिलों, अर्थात् लक्ष्मीरतन काटन मिल्स और अथरटन वैस्ट मिल के अधिग्रहण के लिये बधाई के पात्र हैं। वह हमें बतायें कि श्री आलोक जैन के कानपुर जूट उद्योग के बारे में क्या हुआ। सरकार को इस सम्बन्ध में निर्णय लेना चाहिये और इस एकक के बारे में जो कि सवाई माधोपुर सीमेंट कारखाने का रक्षित एकक है उसे भारतीय सीमेंट निगम के अन्तर्गत लाया जाना चाहिये।

जहां तक रक्षा सेवाओं के सम्बन्ध में दी गई मांग संख्या 25 का सम्बन्ध है, यह बड़े दुःख की बात है कि निरीक्षकों और सम्बद्ध वर्गों के वेतनमानों के बारे में आज तक भी अन्तिम निर्णय नहीं लिया जा सका है।

मांग संख्या 39 से 41 के बारे में मैं महसूस करता हूं कि देश में चल रहे सभी विदेशी बैंकों को सरकार द्वारा अपने हाथों में ले लेना चाहिये जैसा कि तेल कम्पनियों के मामले में किया गया है। इस मामले पर शीघ्र निर्णय लिया जाना चाहिये।

यह प्रसन्नता की बात है कि केन्द्रीय कर्मचारियों को मंहगाई भत्ते की छठी किस्त देने पर विचार किया जा रहा है। मूल्य पुनः बढ़ गये हैं। मंत्री महोदय हमें बताएं कि इस बारे में अद्यतन स्थिति क्या है। कम से कम महंगाई भत्ते का वेतन में विलय कर दिया जाये। महंगाई भत्ते के विलय से पेंशन का उद्देश्य हल हो जायेगा। महंगाई भत्ते का प्रश्न केन्द्रीय कर्मचारियों तथा राज्य सरकारों और सरकारी उपक्रमों के लाखों कर्मचारियों के मन में असन्तोष पैदा कर रहा है। मंत्री महोदय को इस पर गम्भीरता से विचार करना चाहिये।

प्रत्येक कर्मचारी चाहता है कि 272 प्वाईंट पर महंगाई भत्ता वेतन में मिला दिया जाये क्योंकि यह महसूस किया गया है कि वस्तुओं के सूचकांक का 272 से कम होने का प्रश्न ही नहीं है। महंगाई भत्ते का प्रश्न आज प्रत्येक प्रकार के कर्मचारी के मन अन्दोलित कर रहा है। मंत्री महोदय को इसे गम्भीरता से लेना चाहिए।

मंत्री महोदय इस संबन्ध में श्री गाडगिल समिति की 1960 की रिपोर्ट पर ध्यान दें जिसमें 50 प्रतिशत महंगाई भत्ते को वेतन में मिलाने की सिफारिश की गई है।

मांग संख्या 48 परिवार नियोजन के सम्बन्ध में है। मैं परिवार नियोजन के लिए वचनबद्ध हूं, परन्तु अफवाहें हैं हो सकता है कि गलत ही हों कि इस बारे में शिक्षकों आदि पर दबाव डाला जा रहा है, वह उचित नहीं है। लोग वैसे ही समझने लगे हैं कि बहुत बड़ा परिवार ठीक नहीं रहता। नसबन्दी कराने वालों को दी जाने वाली विशेष छुट्टी की अवधि को बढ़ाया जाना चाहिए इस तरह की सुविधायें सभी प्रकार के केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को उपलब्ध होनी चाहिए।

कानपुर महानगर बन गया है। उसे 'ए' क्लास का नगर घोषित कर दिया गया है। उसकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक बढ़ाया जाये। परिवार नियोजन तभा जन संख्या वृद्धि साथ-साथ नहीं चलते। श्री वीरेन दत्त ने 'रोजगार समाचार' का प्रकाशन की आलोचना की है। मैंने उक्त समाचारपत्र देखा है तथा पसन्द किया है। 'समाचार' का अन्तर्राष्ट्रीय न्यूज ऐजेन्सी बनाया जाये।

मांग संख्या 51 में केन्द्रीय कर्मचारियों के प्रतिनिधियों के लिये सेवा अधिकरणों की स्थापना के बारे में है। हम उसके विरुद्ध नहीं हैं। हम चाहते हैं कि सेवा के मामले शीघ्र निपटाये जायें। हम चाहते हैं कि प्रत्येक अधिकरण का चैयरमैन उच्च न्यायालय अथवा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश अथवा सेवा निवृत न्यायाधीश को बनाया जाये। क्योंकि जब आप कर्मचारियों का न्यायालय जाने का अधिकार समाप्त कर रहे हैं तब आप उच्च/उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति तो करें। गृह मंत्री महोदय कर्मचारियों से एक बार और विचार विमर्श करें।

क्या 244 करोड़ रुपये के बाजार में आने से मुद्रा स्फीती तो नहीं बढ़ेगी? मुद्रा स्फीति रोकने के लिये मैं मंत्री महोदय को बधाई देता हूं।

**Shri D. N. Tewari** (Gopal Ganj) : I support these supplementary demands. The Department of Parliamentary Affairs should see that the Ministers of the concerned Ministries whose demands are discussed here are present at the time of such discussion.

**The Deputy Minister in the Ministry of Finance (Shrimati Sushila Rohtagi) :** We have prepared notes of the Demands of the various Ministries and sent the same to them.

**Shri D. N. Tewari :** But they cannot cover my grievances in their notes.

We formulate good plans and adopt better measures. But the real difficulty comes at implementation stage. There are various scheme which are held up from many years and as a result these projects are not yielding any profits. Such projects of over 5 year old should be completed as priority basis. Gandhak project originally of Rs. 64 crores is still incomplete although over Rs. 200 crores has been spent on it.

**Shrimati Sushila Rohtagi :** As per section 216 the debate on the supplementary grants shall be confined to the items constituting the same and no discussion may be required on the original grants.

**Shri D. N. Tewari :** I only want to say the continuing schemes may be given money.

The states or districts who have supported family planning have been punished by way of reduction of their parliamentary and assembly seats. Such action should not be taken

The remaining Banks of India may also be nationalized and taken directly under Government control.

You may keep some control on your officers. There has been no improvement in service class. I realised this matter even at the time of general budget and was assured that the matter would be investigated.

Posts are created and upgraded in order to benefit the personnel. There are a lot of malpractices in the employment exchanges. Money plays a great role there. The Ministers whose demands for grants are discussed here should be present here and reply to our questions.

**सरदार स्वर्ण सिंह सोखी** (जमशेदपुर) : मैं 224.18 करोड़ रुपये की अनुपूरक मांगों का समर्थन करता हूं। 1970 से हम सभी मांगों को बिना किसी रुकावट के पास करते आ रहे हैं। मेरे बिहार राज्य से न्याय नहीं किया गया है। बैंकों के राष्ट्रीकरण से पूर्व विभिन्न राज्यों को बाजार से प्राप्त ऋणों का बंटवारा केपीटल मार्किट के मूल्यांकन के आधार पर किया जाता था। बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद कैपिटल मार्किट बन गई है। तीसरी योजना के दौरान 311.57 करोड़ रुपए के परिव्यय में से बाजार के ऋण केवल 20.82 करोड़ रुपये थे। चौथी योजना के दौरान 431 करोड़ रुपए के परिव्यय में बाजार ऋण केवल 64.37 करोड़ रुपये के थे।

मेरा आशय यह है कि बिहार अत्यन्त पिछड़ा राज्य है तथा हमारे पास विकास कार्यों के लिये धन नहीं है। मुझे बिहार के मुख्य मंत्री ने बताया है कि वह वित्त मंत्री से मिलें हैं तथा उनके समक्ष राज्य की कठिनाइयां रखीं हैं। राज्यों के चौथी योजना के दौरान 1277 करोड़ रुपये के ऋणों में बिहार का भाग केवल 5 प्रतिशत ह जबकि कतिपय विकसित राज्यों को बहुत अधिक भाग मिला है। महाराष्ट्र को 13, गुजरात को 8.5, कर्नाटक का 7.8, तमिलनाडु को 8 तथा पश्चिम बंगाल को 9.8 प्रतिशत आवंटन किया गया है। राज्यों के प्रति व्यक्ति ऋण भी यह दर्शाते हैं। उच्चतम 50.8 रुपये की तुलना में बिहार के आंकड़े 11.4 प्रतिशत है जबकि सभी राज्यों की औसत 23.4 बैठती है।

**सभापति महोदय** : मैं माननीय सदस्य का ध्यान अनुपूरक मांगों पर वाद-विवाद के नियमों की ओर दिलाना चाहता हूं। यह राजस्व और बैंकिंग विभाग द्वारा स्थापित एक आयोग के व्यय के सम्बन्ध में है। इस पर राज्य को आवंटन का मामला नहीं उठाया जा सकता।

**सरदार स्वर्ण सिंह सोखी** : मैं नियमों का पालन करूंगा।

पता चला है कि 1976-77 में भारत सरकार ने बाजार ऋण में 10 प्रतिशत वृद्धि स्वीकार की है। परन्तु इस वृद्धि को भी इस प्रकार से वितरित किया गया है कि असमानता कायम है। मैं इन सब बातों का उल्लेख इसलिये कर रहा हूं कि मंत्री महोदय बिहार के मामले पर सहानुभूतिपूर्ण रवैया अपनाएं। मैं मुगसलाय बाजार जमशेदपुर में एक ऊपरी पुल का निर्माण करने के लिये रेलवे बोर्ड से आग्रह करता रहा हूं।

गाडगिल समिति ने केन्द्रीय सहायता के वितरण के लिये ऐसे सूत्र की सिफारिश की जिसमें 60 प्रतिशत जनसंख्या के आधार पर, 10–10 प्रतिशत पिछड़ेपन–प्रति व्यक्ति आय करी, बड़ी सिंचाई योजनाओं तथा राज्य की विशेष समस्याओं के आधार पर वितरित किया जाये। इस सूत्र के अनुसार बिहार सरकार का वार्षिक भाग लगभग 96 करोड़ रुपय आयेगा जबकि इस समय राज्य को 68.68 करोड़ रुपये प्राप्त हो रहे हैं। इस प्रकार इसमें 28 करोड़ रुपये वार्षिक की कमी है। इन शब्दों के साथ मैं अनुदानों की अनुपूरक मांगों का समर्थन करता हूं।

**Shri Hari Singh** (Khurja) : I congratulate the Hon. Minister for giving subsidy to the farmers on purchase of fertilisers. This subsidy has helped thousand of farmers to use fertilisers. There is self sufficiency of foodgrains in the country today and the country is marching towards prosperity. The Department has earmarked a lot of money from the purchase of foodgrains from the farmers. The farmers have produced foodgrains in abudance. The Finance Ministry gave money generally to manufacturers to produce fertilisers in the country.

The Finance Ministry has allocated money Handlooms. Handloom industry is second only to Agriculture. The Government has given money to the industry liberally. Handloom Department has started various types of projects in such of the states having over 40 thousand handlooms. Money has also been allocated from the modernisation of handloom industry. If the Finance Ministry continues to help us in our problems the country would prosper very soon.

Recently the Government took over rich textile mills and money was allocated from their maintenance.

Provision has also been made in the supplementary budget for the newly farmed news Agency 'Samachar'. The journalists would now reach the rural areas and place an ideal be.

Funds have also been allotted for family planning. Our plans cannot succeed unless we control our population. The more liberally we allocate funds for family planning all our schemes would fail. I appreciate the liberal location.

Thus the Finance Ministry has acted wisely by allocating funds for useful purposes.

With these words I support the supplementary demands for grants.

**Shri R. S. Pandey** (Rajangaon) : I support the supplementary demands for grants. Thesè demands include grants for two useful purposes, one, family planning and the other for what youth leader Shri Sanjay Gandhi has initiated i.e. vigorous programme for family planning. Various incentives have been announced for those who volunteers for sterlization.

With regard to 'Samachar' there was in fact great need for a co-ordinated news Agency so that the correct news may reach the people. We have drawn the attention of non-alligned countries towards establishing a news Agency.

**इसके पश्चात् लोक सभा शुक्रवार, 20 अगस्त, 1976/29 श्रावण, 1898 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई ।**

*The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the clock on Friday the 20th August, 1976/Sravana 29, 1898 (Saka).*

---

684LSS/76—200—15-10-76—GIPF.